खण्ड-350, अंक-7
मंगलवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1903
(24 मार्च, 1981 ई0)

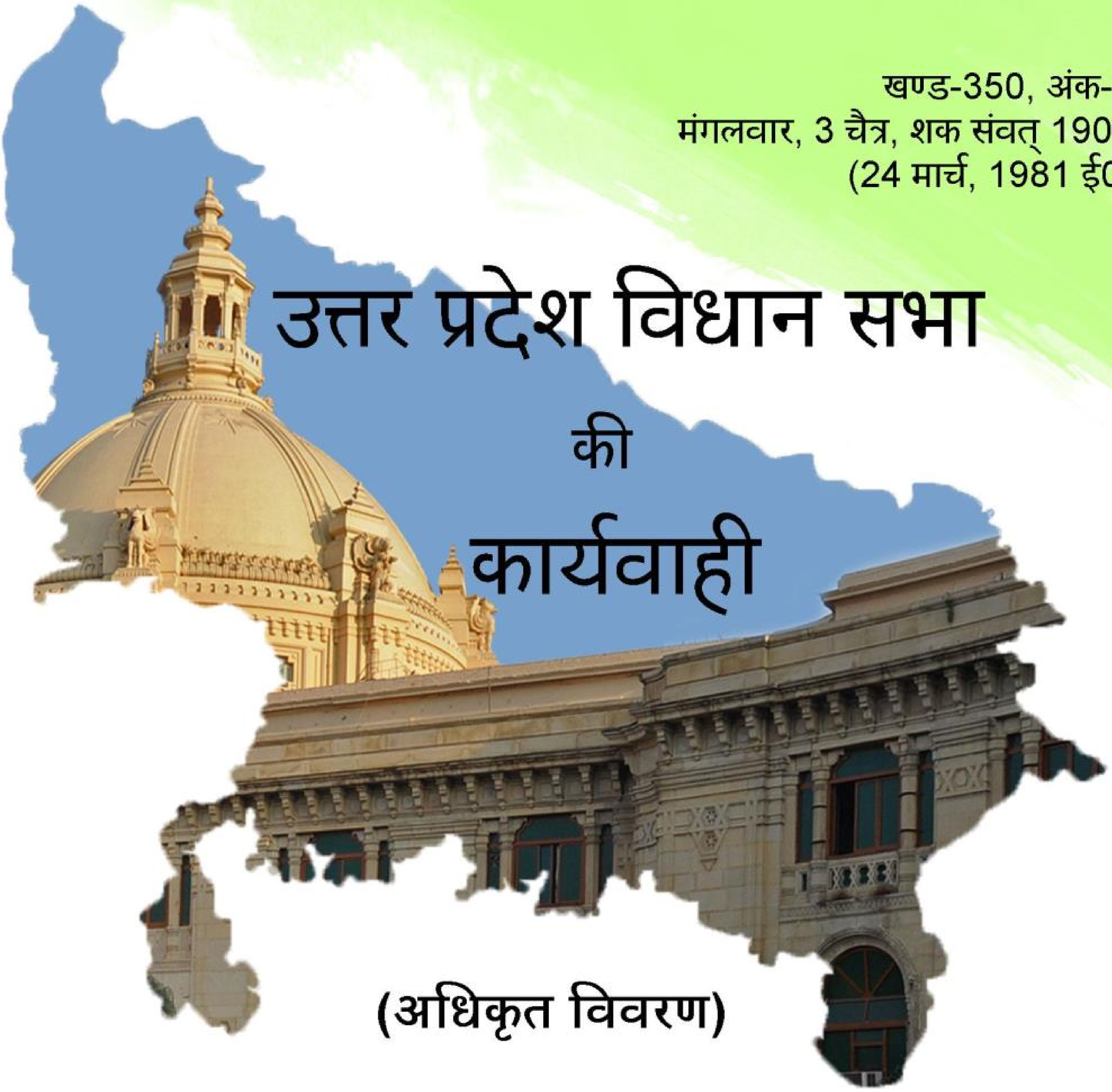

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय-	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	739-742
प्रश्नोत्तर	743-802
ए-पुलिस अधीक्षक श्री शमी मोहम्मद सिद्दीकी को पुनः निलम्बित किये जाने की मांग	803-806
आजमगढ़ के लालगंज तथा मेहनगर विधान सभायी क्षेत्रों में ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	806
वाराणसी की ज्ञानपुर तथा वाराणसी सदर के तहसीलों के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से क्षति व राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	806-807
सीतापुर नगर में सरायन नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	807
नानपारा नगर में होली के दिन पानी की सप्लाई बन्द रहने से जनता को हुई कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	807-808
बुन्देलखण्ड संभाग में गेहूं के खरीद मूल्य की घोषणा किये जाने तथा क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	808
विधान सभा सदस्य, श्री लटूरी सिंह की गिरफ्तारी की सूचना ..	808-809
श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को लिए जाने की मांग	809-810
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1981 (पुरःस्थापित किया गया) ..	810
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	810-811
पायनियर दैनिक के मुख्य सह सम्पादक श्री ए० यू० सिद्दीकी की हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	811-818
रजा टेक्सटाइल मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	818-820
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य, अनुदान संख्या 43--सूचना, अनुदान संख्या 74--पर्यटन, अनुदान संख्या 89--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--108 पर्यटन विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	820-846

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 11—परिवहन तथा अनुदान संख्या 107—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	846-874
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	
श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर कृत कार्यवाही की सूचना	874-875
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने से कतिपय छात्रों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	875-876
हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की होने वाली परीक्षा का शिक्षकों द्वारा बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	876-879
नस्थियां	881-890

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 307

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्मल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिल अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्रेहम, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनेश्वरी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ना लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)

महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (बाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री, (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)

विश्राम दास श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढ़ाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सुन्दर उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हर देव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 24 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सी0 टी0 (बेसिक) प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की नियुक्ति

*1--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से सी0 टी0 (बेसिक) प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त वर्ष के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से अब तक कितनों की नियुक्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जा चुकी है ? कितनी नियुक्तियां होना शेष है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जी हां ।

वर्ष 1976 में 351 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे । प्रदेश के 9 मंडलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से अब तक 79 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है और 272 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां शेष हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह प्रश्न इस बात पर पहले स्थगित हुआ था कि बेसिक ब्रेकेट में लिखा हुआ था और वही इस बार हुआ है । मेरे प्रश्न का मतलब था कि बी0 टी0 सी0 के कितने अध्यापक ट्रेन्ड हैं क्योंकि ट्रेन्ड हजारों की तादाद में हैं लगभग 50-60 हजार । पिछली सरकार की नीति थी कि 10 हजार टीचर्स को लगाया जायेगा और ट्रेन्ड अध्यापक अधिक थे इसलिये इनके ट्रेनिंग सेन्टरों को बन्द कर दिया गया । मेरा प्रश्न उन ट्रेन्ड अध्यापकों को लगाने से सम्बन्धित था और बी0 टी0 सी0 से सम्बन्धित था, इसलिये पहले यह स्थगित किया था । मैं बी0 टी0 सी0 के सम्बन्ध में सूचना चाहता हूं । इसलिये यदि यह सूचना न हो तो बाद में लिखित भेज दें जिससे सदन को अवगत करा दें । तो मैं जानना चाहता हूं कि बी0 टी0 सी0 के ऐसे कितने टीचर्स हैं जो ट्रेन्ड हैं और लगाये नहीं जा सके हैं ?

श्री सच्चिदानंद--

मान्यवर, सी0 टी0 बेसिक की सूचना दिया है, बी0 टी0 सी0 की सूचना नहीं है और यदि इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो अलग से उनको हम सूचित कर देंगे ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुये कि बी0 टी0 सी0 बेसिक के जो भी उत्तीर्ण हुये हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं दे पाये हैं तो क्या

[श्री सूबेदार सिंह--]

मन्त्री जी कोई नई योजना कार्यान्वित करेंगे जिससे तत्काल या एक वर्ष के अन्दर उनको इम्प्लायमेन्ट मिल जाय ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जो सी0 टी0 ट्रेन्ड बेसिक लड़के हैं उनके सम्बन्ध में आदेश किये गये हैं कि बी0 टी0 सी0 के साथ ही उनकी नियुक्ति भी कर ली जाय ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह लोग ट्रेन्ड हैं इसलिये जब तक वह कहीं लग न जायं तब तक क्या इनको बेरोजगारी भत्ता देने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानंद--

बी0 टी0 सी0 के भी लड़के ट्रेन्ड हैं उन्हीं के साथ इनको भी समायोजित करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री पंचानन--

मान्यवर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कम है और पूरे प्रदेश में बी0 टी0 सी0 के ट्रेन्ड बेकार पड़े हैं और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा में लगाकर उनको भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में नहीं चलाया जा रहा है केवल कुछ जनपदों में है । इस सम्बन्ध में हम दिखवा लेंगे ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर पद पर श्री अंगने लाल की नियुक्ति के विरुद्ध याचिका

*2--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर पद पर स्वर्ण पदक प्राप्त डा0 अंगने लाल (हरिजन) ने राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार 29 फरवरी, 1980 को पद भार ग्रहण किया था, किन्तु उनकी नियुक्ति एवं चान्सलर महोदय के आदेश के विरोध में डा0 यू0 एन0 राय ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया ? यदि हां, तो क्या इस विवादित मुकदमे को कुलपति व रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय की ओर से लड़ा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी हां ।

कुलाधिपति महोदय के आदेश के विरुद्ध डा0 यू0 एन0 राय द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका को विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लड़ा गया। विश्वविद्यालय ने याचिका को लड़ना उचित नहीं समझा।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह सरकार कितनी हरिजन प्रेमी है जिसका कभी-कभी खाता देखने को मिलता है। इस प्रश्न में भी वही है मान्यवर, आप देखें श्री अंगने लाल हरिजन को नियुक्ति-पत्र दिया था महामहिम राज्यपाल महोदय ने, इन्होंने ज्वाइन किया, काम कर रहे थे। उसी बीच यू0 एन0 राय को इशारा मिल गया उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका कर दिया। रिट हो गई तब वह प्रश्न जुड़ गया महामहिम राज्यपाल की प्रतिष्ठा से और सरकार की प्रतिष्ठा से वह कहते हैं कि जरूरत नहीं समझी गई पैरवी की। जबकि जरूरत थी इस याचिका में प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने जरूरत क्यों नहीं समझी इस मामले में पैरवी करने की, सरकार की हरिजन सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए पैरवी क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह रिट पिटीशन जो दायर की गई वह चान्सलर महोदय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। इस सम्बन्ध में चान्सलर महोदय रिट को लड़ने का आदेश दे सकते थे इसमें शासन का कोई प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने औचित्य नहीं समझा ऐसा जान पड़ता है।

श्री हुकम सिंह--

श्रीमन्, प्रश्न से स्पष्ट है कि विवादित मुकदमे को कुलपति व रजिस्ट्रार की ओर से लड़ा जा रहा है। चान्सलर ने डाक्टर अंगने लाल की नियुक्ति किया था। क्या रजिस्ट्रार, कुलपति, सरकार की सहमति से इस पद के लायक मानकर नियुक्त किया था ? यदि हाँ, तो उस आदेश के विरुद्ध याचिका दायर हुई तो उसमें पैरवी न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने अभी निवेदन किया कि चान्सलर साहब के निर्णय के विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय हाई कोर्ट से हो गया और जो नियुक्ति थी उसको निरस्त करने के आदेश दे दिये गये और जब चान्सलर साहब ने इसको लड़ने का औचित्य नहीं समझा तो सरकार को लड़ने का प्रश्न नही उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जब हाई कोर्ट का फैसला होता है, फैसला हाई कोर्ट में समावेश होने के बाद राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट चान्सलर को भेजती है कि फलां मुकदमा है, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने नहीं लड़ा। तो क्या राज्य सरकार ने कोई सिफारिश किया था कि इसको लड़ना चाहिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह जो रिट उन्होंने दायर किया है उसमें जो एप्वाइन्टमेन्ट हो गया डाक्टर अंगने लाल का वह निरस्त हो गई है। इसमें आदेश दिया है कि इसको

बारे में जानकारी करें कि इक्जीक्यूटिव कौंसिल में 2 रिजोलूशन कैसे पारित किया गया क्योंकि मान्यवर, ऐसा है कि एक रिजोलूशन डाक्टर अंगने लाल का था। चयन समिति ने एक नाम दिया था वह डा0 राय का था दूसरा नाम नहीं था। इक्जीक्यूटिव ने डाक्टर अंगने लाल के नाम को स्वीकार किया और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया मैंने यह नहीं पूछा था। मैंने यह जानकारी चाही थी कि हाई कोर्ट में रिट दायर हो गई जो राज्य सरकार को लड़ना था उसमें राज्य सरकार पार्टी थी और फैसला उनके अगेंस्ट हो गया। यह मामला चांसलर के पास गया तो चांसलर ने शासन और यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी होगी कि इस पर मुकदमा लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तो शासन ने चांसलर को कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी होती है और शासन उसके बारे में कोई आदेश नहीं दे सकता। यह मामला हाई कोर्ट में था, उसका निर्णय भी हो चुका है। इस सम्बन्ध में डाक्टर राय की चांसलर के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर हुयी थी और यह चांसलर के लेबिल पर लड़ी जा सकती थी जिसका उन्होंने औचित्य नहीं समझा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैंने पूछा था कि क्या चांसलर ने शासन से कोई रिपोर्ट मांगी थी या नहीं, इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर क्या फायदा हुआ, देहलवी जी ने सवाल किया, अगर इसमें जानकारी नहीं है तो सदन का समय निरर्थक जा रहा है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये। इसको स्थगित कराइये। सरकार इसमें इन्वाल्व है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें हाई कोर्ट का निर्णय हो गया। सरकार उसमें अपील नहीं कर रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, रिट याचिका में शासन को पार्टी नहीं बनाया गया था।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, चूंकि डाक्टर अंगने लाल जिनकी नियुक्ति महामहिम राज्यपाल ने की है, वह हरिजन, कुरील हैं और जिनकी रिट याचिका है वह राय हैं।

श्री पंचानन--

मान्यवर, जाति के आधार पर यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है। मान्यवर, यह आक्षेप है। माननीय मन्त्री जी, इक्जीक्यूटिव की जो प्रोसीडिंग थीं। क्या उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में प्रोसीडिंग में टेम्परिंग की गयी है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण

*3--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, 1980 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण शासन द्वारा किया गया था फिर किन परिस्थितियों में इस अधिकारी को उसी जिले में रोक दिया गया जबकि इस अधिकारी के खिलाफ यूनीसेफ के धन का दुरुपयोग करने की शिकायतों की ग्रामीण अभियन्त्रण शाहजहांपुर द्वारा जांच की जा रही है ? क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी का जनहित में स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया था किन्तु अब उन्हें स्थानान्तरित किया जा रहा है।

यूनिसेफ के धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इन्जीनियर की आख्या शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हो चुकी है। निदेशक द्वारा इसमें कुछ बिन्दुओं पर जिला विद्यालय निरीक्षक से जिज्ञासा की गई है शिक्षा निदेशक से पूरी आख्या प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ के मंत्री श्री राम जनम सिंह के शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र

*4--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ के मंत्री श्री राम जनम सिंह के शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित कितने पत्र 1 जनवरी, 1979 से 1980 के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुए ? उनमें प्रमुख समस्यायें क्या थीं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? पत्रों में लिखी समस्याओं में से कितनी समस्याओं का समाधान किया गया और कितनी शेष हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

प्रश्नगत अवधि में प्राप्त कुल पत्रों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। छानबीन की जा रही है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर कुल 20 प्रमुख समस्यायें थीं जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से 12 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है शेष के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री पंचानन--

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहला पत्र प्राप्त हुआ वह कब प्राप्त हुआ और उसमें कितनी समस्यायें थीं और उसमें से कितनी समस्याओं का समाधान हो गया और कितनी समस्यायें शेष हैं? और यह जो 20 समस्याओं की सूची संलग्न है इसमें से कौन सी 12 समस्याओं का समाधान कर दिया गया है? इसका उत्तर मान्यवर, दिलवा दें।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, जो प्रथम प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि प्रथम शिकायती पत्र कब मिला तो यह सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य को मैं बाद में बता दूंगा।

श्री पंचानन--

मान्यवर, इसी में बता दें कि 12 कौन सी समस्यायें हैं जो हल हो गयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

जिनका समाधान हो गया है उनको बता दें।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 881 पर।)

मुहल्ला रेती व लाल मस्जिद ईदगाह, मुरादाबाद में पुलिस के गोली चलाने से मृत व्यक्तियों की संख्या

*5—श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-9-80 को मुहल्ला रेती व लाल मस्जिद ईदगाह, मुरादाबाद की भीड़ पर पुलिस के गोली चलाने से कितने लोग मारे गये और कितने जख्मी हुए?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 10-9-80 को मुहल्ला लाल मस्जिद ईदगाह, मुरादाबाद में पुलिस ने गोली नहीं चलाई। दिनांक 10-9-80 को मुहल्ला रेती, मुरादाबाद में पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गोली चलाये जाने से कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुहल्ला लाल मस्जिद और मुहल्ला रेती यह दोनों 100 गज की लोकेलिटी में है। वहां पर एक बिल्डिंग की एक साइड पर मोहल्ला लाल मस्जिद

और दूसरी साइड पर मोहल्ला रेती कहलाता है। 10 तारीख को जो मंत्री जी ने बतलाया कि एक आदमी की मृत्यु हो गयी तो मंत्री जी बतायेंगे कि 10 सितम्बर को मुरादाबाद में किस समय कर्फ्यू लगा और जो गोली चलाई गयी और जिसमें एक आदमी मर गया तो वहां गोली कर्फ्यू लगने के पहले चलायी गयी या बाद में चलायी गयी ? लाल मस्जिद और मोहल्ला रेती में बड़े पैमाने पर कंसट्रेशन हुआ है तो उस सम्बन्ध में मंत्री जी के पास कुछ सूचना हो तो वह भी बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, निश्चित तौर पर यही लगता है कि कर्फ्यू बाद में लगा है। वहां 400-500 लोगों की भीड़ दोनों तरफ से इकट्ठा हो गयी और उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिये मैजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर पर एलान किया। और जब वह उपद्रव पर उतर आई तो गोली चलाने का आदेश मैजिस्ट्रेट ने दिया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि कर्फ्यू बाद में लगा। तो कर्फ्यू लगने के वक्त जब लोग तितर-बितर होकर अपने-अपने घरों में चले गये तो मोहल्ला लाल मस्जिद और मोहल्ला रेती में कुछ जख्मी लोग और कुछ मरे हुये लोग मिले। अगर मिले तो उनका पोस्टमार्टम न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो स्पष्ट रूप से उत्तर में कह दिया गया है कि जख्मी कोई दूसरा नहीं मिला। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी जिसको अस्पताल ले जाया गया वहां उसका पोस्टमार्टम हुआ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि एक आदमी मरा लेकिन मेरी सूचना है कि बहुत से परिवारों में संदर्भित मोहल्लों में कुछ लोग गायब हैं और आज तक एवेलेबिल नहीं हैं। क्या मंत्री इस बात का पता लगायेंगे कि वह लोग कहां गये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य आपको बता दें कि वह कौन से लोग हैं। मैं पता लगाकर माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिस घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी तो क्या उस घटना में किसी पुलिस कर्मी या सरकारी अधिकारी को चोट आयी ? जो मरने वाला है उसका नाम और मोहल्ला बता दें ? क्या उसको मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पुलिस कर्मी को इस घटना में वहां चोट नहीं आयी लेकिन उग्र भीड़ को हटाने के लिये पहले हवाई फायर किया गया और उसके बाद फायर किया

गया। दुर्भाग्य से उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। जिनकी मृत्यु हुयी है सबको वहां पर मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यक्ति गोली से मरा है उनका नाम पूछा है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, एक सेकेन्ड का समय दें, उनका नाम मैं अभी बताये देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

नाम आप जान लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरे एक और प्रश्न का जवाब इस नाम के निकालने के साथ माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें कि मरने वालों को जो लगभग 300 लोग हैं, जिन्हें 5-5 हजार फिक्स दिया गया है, उनमें से 10 सितम्बर वाले कितने हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो 10 सितम्बर के मरने वाले हैं, वह एक ही व्यक्ति है, जिनका नाम आपको बताया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस सन्दर्भित घटना के बारे में प्रश्न है, उस पर क्या कोई जांच के लिए जुडिशियल इन्क्वायरी कमीशन नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसने अपना काम शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वह अपना काम प्रारम्भ करेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस घटना के बारे में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी नियुक्त की गयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

[दिनांक 24 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को लागू किये जाने की मांग

*1--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान मण्डल द्वारा पारित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को सरकार कब तक लागू करने का

विचार कर रही है तथा उक्त अधिनियम को अभी तक लागू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आयोग की स्थापना शीघ्र ही की जायगी ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, जैसा कि यह विधेयक इस सदन द्वारा पारित हुआ तो क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि आयोग बन जाने के बाद ही नियुक्तियां प्रारम्भ होंगी ? परन्तु इस बीच में जो नियुक्तियां हो रही हैं और उसमें बहुत सी गलत भी हो रही हैं, तो माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आयोग बनने तक उन नियुक्तियों पर रोक लगायी जायेगी ? और दूसरी बात एक और है कि क्या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई आयोग बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक तो जो आयोग बनाये जाने का निर्णय लिया गया है, वह शिक्षा जगत में बहुत क्रान्तिकारी कदम है और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि जब तक आयोग बन न जाये तब तक नियुक्तियां रोक दी जायें । यह बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है । हम आश्वासन देते हैं कि इस पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री पंचानन--

माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में भी आयोग बनाने के सम्बन्ध में क्या सरकार विचार कर रही है ? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमने निवेदन किया कि हम क्रान्तिकारी कदम उठाते ही जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी के सम्बन्ध में एक पूरक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब तक कमीशन का गठन नहीं हो जाता तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए विचार करेंगे और विचार कर नियुक्तियों पर रोक लगा देंगे तो क्या इससे जो पढ़ाई का नुकसान होगा, तो पढ़ाई का नुकसान न होने पावे, इसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप सम्भावना पर बात कर रहे हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अवश्य इस पर ध्यान दिया जायेगा कि पढ़ाई का किसी तरह का नुकसान न हो यह तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और उच्च शिक्षा सेवा आयोग का गठन शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा ।

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

[13वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डी० वी० एस० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर के प्रांगण में स्थापित सरस्वती प्रतिमा को नष्ट करने का प्रयास

*3--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 3-10-1980 को कुछ अराजक तत्वों ने डी० वी० एस० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर के प्रांगण में स्थापित सरस्वती जी की प्रतिमा को खंडित व नष्ट करने का प्रयास किया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में धारा 295 भा० द० वि० के अन्तर्गत की गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

प्रश्नगत घटना की विवेचना के दौरान यह अभियोग धारा 427 भा० दं० वि० का होना पाया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त महेश चन्द्र के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सरकार समान पेंशन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी दर क्या होगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासन द्वारा सभी राज्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन की धनराशि दिनांक 14-11-1980 से समान रूप से 100 रु० प्रतिमास कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की जानकारी है कि सीतापुर सहित प्रदेश के अनेक जिले ऐसे हैं जहां 40 रुपये जो पेंशन बढ़ी हुई है उसकी सूचना या उसके आदेश महालेखाकार के यहां से वहां नहीं पहुंचे हैं और उनको वह बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को बढ़ी हुई पेंशन तत्काल उन्हें मिल सके ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह दिखवा रहे हैं। यदि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही होगी तो शीघ्र ही उन्हें उसे दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि शासन द्वारा हर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को समान रूप से 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन कर दी गयी है, तो क्या

सरकार इस बात का आश्वासन इस सदन में देगी कि उनको तुरन्त इस पर निर्णय करके पेन्शनर्स को लाभान्वित करेगी ? ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तादाद में बहुत हैं जो इस 100 रुपये की पेंशन से लाभान्वित होने से वंचित हैं तो क्या सरकार उन्हें पेंशन से लाभान्वित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है, इसे आप अलग से दे सकते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाकर पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी संख्या स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की है, जिनको पेन्शन नहीं मिल रही है और जिनकी एप्लीकेशन आपके सचिवालय के विभाग में पड़ी हुई है और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो क्या जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् बनाया गया था...

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है, इसे फिर कीजिएगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

पहले जनता सरकार में, जो लोग राजनैतिक पेंशन पा रहे थे, उनकी पेंशन को काट दिया गया है, उनका पेंशन की दरख्वास्तें आपके पास पड़ी हुई हैं, तो उन पर विचार करके फिर से उन्हें पेंशन दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह भी उसी तरह का प्रश्न है, इसे अलग से कीजिएगा ।

*5--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

*6--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सहायक लोक अभियोजक की सेवाओं हेतु अभियोजन निदेशालय की स्थापना

*7--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोक अभियोजकों तथा सहायक लोक अभियोजकों (प्रासिक्यूटिंग आफिसर्स) की सेवाओं को पुलिस प्रशासन की अधीनता से स्वतन्त्र कर उनके संचालन हेतु एक अलग निदेशालय खोलने के गत सरकार के निर्णय पर अमल करने की दिशा में राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस निर्णय पर कब तक अमल होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक की सेवाओं को पुलिस प्रशासन से अलग करके शासन द्वारा दिनांक

27-11-80 को आदेश जारी करके इस प्रदेश में एक अलग अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर दी गयी है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक अलग अभियोजन निदेशालय स्थापित करने मात्र से लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों का पुलिस प्रशासन से अलग मान लिया गया ? मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आज भी इन लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों का वेतन पुलिस द्वारा ड्रा होता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की सेवायें तुरन्त पुलिस प्रशासन से विच्छेद करके अभियोजन निदेशालय के अन्तर्गत सरकार कब तक करने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष--

अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर दी गयी है, बताया तो अभी ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

निदेशालय की स्थापना कर दी लेकिन उनकी सेवायें अभी भी पुलिस प्रशासन के अधीन हैं, तो एक निदेशालय तो बना दिया गया लेकिन आप उसके अन्तर्गत अभी उनकी सेवाओं को नहीं ला पाये, अभी भी पूरे राज्य के अन्दर लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की सेवायें उनके अन्तर्गत हैं, और वे सब एस0पी0 को सलाम करने जाते हैं, तो सरकार इन लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की सेवायें अभियोजन निदेशालय के मातहत करने पर कब तक विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह पुलिस से उनकी सेवायें अलग करने के लिए ही यह स्थापना हुई है निदेशालय की और इसीलिए इसमें जो भी आवश्यक है उसके लिए कार्यवाही हो रही है, वह की जा रही है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, यह कोई समयावधि बतायें कि कब तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी कोई समयावधि आप बता देंगे, यह पूछ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यथाशीघ्र कर देंगे ।

*8--श्री रियासत हुसैन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कानपुर के गांव मकनपुर में ईसन नदी पर पुल निर्माण की मांग

*9--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर (डी0 सी0 यू0) ने जनपद कानपुर के गांव

मकनपुर में ईसन नदी पर प्रथम वरीयता के रूप में पुल बनाने की संस्तुति भेजी है ? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष पुल बनना प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

जी हां ?

जी नहीं ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जनता पार्टी के शासन काल में इस पुल को बनवाने के लिए कई मंत्रियों ने संस्तुति की थी ? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि संदर्भित पुल को यथाशीघ्र बनवाने के लिए किन मंत्रियों ने सिफारिश की थी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अवश्य बता दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जब एक बार प्रायरटी पर उसको रिकमेन्ड कर दिया गया और अब आपने जवाब यह दिया कि जी नहीं तो अब किन कारणों से उसको आपने बन्द कर दिया है, क्या बात है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

डी0 सी0 यू0 ने उसका प्रस्ताव दिया है और उसके अनुसार प्रदेश में 25वें नम्बर पर इसका स्थान आता है तो श्रीमन्, जैसे ही वह आ जायेगा इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

श्रीमन्, कानपुर में मकनपुर दरगाह शरीफ है और यह वह स्थान है जिसे कानपुर में हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है और मान्यवर, इस स्थान पर पुल न बनने की वजह से कई जानें जा चुकी हैं, तो क्या इसको देखते हुए माननीय मंत्री जी इसको महत्व देंगे और इसको यथाशीघ्र बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जहां पुल की बात माननीय विधायक जी कह रहे हैं उस पर सड़कें निर्माणाधीन और जब वह कार्य पूरा हो जायेगा तब इस पर विचार किया जायेगा ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत द्विवर्षीय पाठ्य-क्रमों में जूनियर लेक्चरर, स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के वेतनमान

*10--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1963 में जिस समय उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् चालू किया गया उस समय

जूनियर लेक्चरर, स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का वेतनमान भी जूनियर लेक्चरर हिन्दी व अंग्रेजी के समान 200-450 ही संस्तुत था ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति संस्तुति के विपरीत 120-300 में करने का क्या कारण था ?

श्री सच्चिदानन्द--

स्टेनोग्राफी-कम-सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पाठ्यक्रम वर्ष 1963 में चलाया गया था जिसके अन्तर्गत जूनियर लेक्चरर, हिन्दी व अंग्रेजी के पद रु0 200-450 के वेतनमान में स्वीकृत किये गये थे । जूनियर लेक्चरर, स्टेनोग्राफ एवं टंकण के पद वर्ष 1964 में रु0 120-300 के वेतनमान में स्वीकृत किये गये थे और उन पर नियुक्तियां स्वीकृत वेतनमान में ही की गयी थीं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, क्या यह सही है कि 120-300 का वेतनमान इनस्ट्रक्टर्स के लिए स्वीकृत हुआ था या जूनियर लेक्चरर्स के लिए । अगर जूनियर लेक्चरर्स के लिए था तो इसकी स्वीकृति किसने दी और कब दी ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह जूनियर लेक्चरर, स्टेनोग्राफी के पद के लिए 120-300 का वेतनमान था ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से फिर पूछना चाहूंगा कि क्या मान्यवर को जानकारी में यह बात है कि जूनियर लेक्चरर के द्वारा पढ़ाये गये जो स्टेनोग्राफर हैं उनको राज्य सरकार 350-700 का वेतनमान देती है और रिपोर्टर्स को 500-1,000 का वेतनमान देती है, इन निरीह और उपेक्षित जूनियर लेक्चरर्स के बारे में आप इस सरकारी जवाब से अलग हट कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये क्या इनका वेतनमान बढ़ाने की सोचेंगे ?

(उत्तर न आने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, वाजपेयी जी के प्रश्न का उत्तर दे दें।

(उत्तर में विलम्ब होने पर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, उत्तर तो सरकार से दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

उन्हीं से कह रहा हूं । दोनों वाजपेयी हैं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

दोनों वाजपेयी हैं, मान्यवर, एक पैदल हैं और एक मंत्री हैं, कुछ भ्रम हो रहा है ।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, कुछ भ्रम हो रहा है माननीय सदस्य को। जूनियर लेक्चरर, हिन्दी और अंग्रेजी के पद की योग्यता एम0 ए0 पास की है और जूनियर लेक्चरर, स्टेनोग्राफी के पद की योग्यता इन्टरमीडिएट है। इसलिए दोनों में अन्तर उस समय था।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग्यता इन्टरमीडिएट है। उनके इन्टर कालेज में जो वेतनमान इन्टर के प्रवक्ता को मिलता है उसके बराबर वेतन मान उनको भी देने की घोषणा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह वेतन आयोग द्वारा निर्धारित होता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या यह सही है कि इसी विभाग में कसटयूम एण्ड डिजाइन के जूनियर लेक्चरर को इस समय 550-1200 रुपये का वेतनमान दिया जाता है और स्टेनोग्राफी के जूनियर लेक्चरर को केवल 325-575 का वेतनमान ? यदि हां तो यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? दोनों में समानता लाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? क्या सरकार इसकी घोषणा करेगी की दोनों में समानता लाई जाय ? अलग-अलग वेतनमान क्यों हैं इस पर कुछ अपनी बुद्धि लगा कर क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

इसकी जानकारी करवा लेंगे।

आगरा के रकाबगंज थाने में बस चोरी की रिपोर्ट

*11--श्री बदन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला आगरा के रकाबगंज थाने में अनुबन्धित बस नं0 एम0 पी0 एच0 9754 की चोरी की रिपोर्ट दिनांक 27-8-80 को की गई है ? यदि हां, तो अब तक उस बस की रिकवरी क्यों नहीं हो पाई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां।

अनुबन्धित बस नं0 एम0 पी0 एच0 9754 जो अभियुक्तों द्वारा ट्रक के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी, दिनांक 31-12-80 को बरामद की जा चुकी है।

ग्राम बेट, थाना बहादुरगढ़ (गाजियाबाद) निवासी श्री गफूर की कथित पुलिस पिटाई से मृत्यु

*12--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 जून, 1978 को ग्राम थाना बहादुरगढ़, जनपद गाजियाबाद के श्री गफूर को थाना बहादुरगढ़ की पुलि

इतना मारा कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-6-78 को गोवध के जुर्म में थाना बहादुरगढ़, जिला गाजियाबाद की पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया था, जिसमें ग्राम वेट, थाना बहादुरगढ़ का श्री गफूर भी था। इस सम्बन्ध में अभियोग अन्तर्गत धारा 3/8 सी0 एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया एवं विवेचना के उपरान्त 10 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 14-12-78 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। बन्दी अभियुक्त श्री गफूर की हालत खराब होने के कारण उसे दिनांक 7-6-78 को ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मृत्यु दिनांक 8-6-78 को हो गई। मृतक को पुलिस द्वारा झूठा केस बनाकर गिरफ्तार करने व उसे मारपीट करने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाने सम्बन्धी मृतक के पुत्र द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भी धारा 304 भा0 दं0 वि0 का अभियोग कायम किया गया था, जिसमें विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में मैजिस्टीरियल जांच भी कराई गई। जांच से उसकी मृत्यु पुलिस की मारपीट से होना नहीं पाई गई। मृत्यु का कारण अचानक रक्तचाप बढ़ना तथा उससे "ब्रेन हेमरेज" उत्पन्न होना पाया गया।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मृतक के परिवार ने, जो दरख्वास्त दी उसके ऊपर जांच किसने की और जो व्यक्ति मरा है जो कि 6 तारीख को पकड़ा गया और 7 तारीख को अस्पताल में मर गया, उसकी डाक्टरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी जांच एस0 डी0 एम0 द्वारा हुई थी। पोस्ट मार्टम में जो दिखाया गया है वह यह है काज आफ डेथ नाट एसटेंट। मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हुआ।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं माननीय मंत्री से फिर जानना चाहूंगा कि उस वक्त एस0 ओ0 कौन था जिनकी मौजूदगी में उसको मारा जाना बताया गया था ? दरख्वास्त की जांच किसने की ? दूसरी बात यह है कि क्या आप इस पूरे समूचे केस को सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी जांच श्री एस0 एम0 गौड़ ने की थी और श्री वीरेन्द्र कुमार आर्य ने उसका परीक्षण किया था और इसे प्राप्त किया था। सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द इस केस को करने का औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि सारी बातें मैजिस्टीरियल जांच से साबित हो गई है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि चूंकि पहले आपने बताया कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में काज आफ डेथ का पता नहीं चला

और इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उसकी मौत पुलिस के मारने-पीटने से नहीं हुई । दूसरी बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि काज आफ डेथ नाट एसर्टेन्ड, ब्रेन हेमरेज से हुआ । श्रीमन्, ब्रेन हेमरेज तो हाइपरटेंशन से भी होता है और उससे दिमाग की नली भी फट सकती है । जब पुलिस ने उसको अपने पास रखा तो उसका काज आफ डेथ हाइपरटेंशन अथवा हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है जिससे उसका ब्रेन हेमरेज हुआ हो ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जो जांच अधिकारी था और जो डाक्टर उसका इलाज कर रहा था उनका बयान भी लिया गया है और उन्होंने कहा कि उसका रक्तचाप बढ़ गया था ।

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस अभियुक्त को कब गिरफ्तार किया गया और जब वह पुलिस की कस्टडी में आ गया तो उसके शरीर में कोई चोट पाई गई, जिसका कि कोई इन्दराज पुलिस केस डायरी में है ? क्या उस वक्त उसका कोई डाक्टरी मुआयना कराया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, उसको 7 जून, 1978 को गिरफ्तार किया गया और उस वक्त पुलिस ने उसकी अस्वस्थ होने की शिकायत पाई। इसलिए उनको अस्पताल में रखा गया था।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मैजीस्टीरियल इन्क्वायरी तब हुई जब मन्त्रियों की इन्क्वायरी समाप्त हो गई ? क्या किसी इन्क्वायरी में यह आशंका भी पाई गई कि जिस समय मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की उस समय देहात के लोगों से, बेट के लोगों से बयान लिए होंगे जिसमें स्पष्ट हुआ होगा कि गफूर पहले से बीमार रहता था या उसको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर रहता था जिसके कारण उसका ब्रेन हैमरेज हुआ ?

श्री राजन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, दोनों तरफ से बयान दिये हैं । यह भी निश्चित नहीं किया जा सका कि पहले वह बीमार रहता था यह जानकारी डाक्टरों ने दी है कि वह अस्वस्थ थे और उनकी रिपोर्ट ली थी ।

श्री सुबेदार सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के बाद क्या गफूर को जेल भेजा गया और अगर भेजा गया तो क्या वहां उसका डाक्टरी मुआयना हुआ ? यदि हुआ, तो उसके शरीर पर कहां-कहां पर चोटें पाई गईं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

गिरफ्तारी के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया वहां उनकी डाक्टरों ने जांच की ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं यह दुबारा सवाल कर रहा हूं मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि समूचे मामले का जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? मैंने यह भी पूछा था कि जितेन्द्र यादव जो उस समय बहादुरगढ़ थाना के इंचार्ज थे उन्होंने ग्राम वेट में गफूर को इतना मारा कि वह जेल भी नहीं पहुंच पाया और अस्पताल पहुंचते ही मर गया जिसके सम्बन्ध में उसके घरवालों ने और वहां के प्रधान ने उस समय के मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव और बनारसीदास जी को दरख्वास्त दी थी कि इसकी सी0आई0डी0 जांच कराई जाये लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं कराई गई तो क्या अब सी0आई0डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने पुनः प्रश्न किया है कि इन बातों को देखते हुए सी0आई0डी0 की जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैजिस्टीरियल जांच हो गई न्यायालय से बात तय हो गई इसलिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई है कि जांच कराई जाये ।

श्री मन्जूर अहमद—

न्यायालय से केस छूट गया है, जिन लोगों को न्यायालय में भेजा था वह छूट चुके हैं । मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात को सही मान कर इस केस को दुबारा जांच सी0आई0डी0 से करायेंगे ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

क्षेत्री विद्यालय इन्टर कालेज, रन्जीतपुर, कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*13—श्री भोला लाल (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्री विद्यालय इन्टर कालेज, रन्जीतपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 22 जुलाई, 1980 प्रधान, ग्राम सभा रंजीतपुर, बाराखेड़ा, प्रतापपुर खास और सिंहपुर दिवने तथा अध्यक्ष नवयुवक मंगल दल, रंजीतपुर और अध्यक्ष, ग्राम सुधार संगठन, रंजीतपुर द्वारा हस्ताक्षरित उनको तथा माननीय मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और उसपर जांच कराई गई अथवा नहीं और यदि जांच कराई तो क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

मुख्य शिकायतें निम्न हैं :—

1—अवैधानिक ढंग से बिल्डिंग शुल्क वसूल करना ।

2—अध्यापकों के चयन में अनियमितता करना ।

3—प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार के सदस्य होना ।

4—चपरासियों को प्रबन्धक के घर में कार्य करना ।

5--अनियमित ढंग से अध्यापक का अवशेष नियमितीकरण का भुगतान करना ।

6--नियमित ढंग से साइकिल स्टैन्ड तथा कैन्टीन एवं प्राभूत आदि का हिसाब-किताब न रखना ।

उक्त अनियमितताओं की जांच दिनांक 26 जुलाई, 1980 को कराई गई, किन्तु ग्रामवासियों ने थाना शिवली, कानपुर में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी । जिला सरकारी वकील की राय के अनुसार विभाग द्वारा जब तक पुलिस जांच पूरी न हो जाये, अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है । तत्परता से जांच हेतु पुलिस को लिखा गया है ।

फर्रुखाबाद की पुलिस चौकी बढ़पुर की समाप्ति

*14--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की फर्रुखाबाद कोतवाली के अन्तर्गत आने वाली पुलिस चौकी बढ़पुर देवी के मन्दिर के अन्दर स्थित है जिसको लेकर धार्मिक भावना वाले लोगों को असन्तोष है ? क्या इस सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन स्थानीय अधिकारियों को दिए गए और अन्तिम ज्ञापन 25 जुलाई, 1980 को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को लिखा गया ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण देवी के मन्दिर से पुलिस चौकी न हटाए जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां, बढ़पुर, जिला फर्रुखाबाद की स्थानीय जनता की मांग एवं उनकी राय से 7-8 वर्ष पूर्व एक पुलिस चौकी बढ़पुर देवी मन्दिर के बरामदे में स्थापित की गई थी जिसे दिनांक 23 जनवरी, 1981 से समाप्त कर दिया गया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां की जनता की मांग यह थी कि इसको किसी अन्यत्र स्थान पर हटा दिया जाये, लेकिन उसके बजाय 13 जनवरी, 1981 से यह चौकी समाप्त कर दी गई तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि किसी दूसरी जगह इसको चालू रखा जाये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वह 7-8 वर्ष पूर्व इसलिए चौकी स्थापित की गई कि वहां के लोगों ने चाहा कि इस चौकी की आवश्यकता है और अब दूसरी जगह के लोग कहेंगे कि यहां इसे स्थापित करने की आवश्यकता है तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

*15--श्री ऊदल--

[24 फरवरी, 1981 को तारांकित प्रश्न संख्या 143 द्वारा उत्तरित ।]

उप पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*16--श्री जगदीश सिंह, श्री परमाई लाल तथा श्री राधे श्याम पटेल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-11-1980 को ग्राम सरसवा, थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर में उप पुलिस अधीक्षक ने भले आदमियों तथा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया जिसकी शिकायत तार द्वारा व प्रार्थना-पत्र भेज कर मुख्य मन्त्री व अन्य अधिकारियों से की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच तत्काल किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और दोषी पुलिस उप अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 16-11-1980 को ग्राम सरसवा, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के ग्रामवासियों तथा महिलाओं से सहायक पुलिस अधीक्षक श्री बंशीलाल तथा उनके पेशकार श्री पाराशरी द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत तार द्वारा व प्रार्थना-पत्र भेजकर मुख्य मंत्री व अन्य अधिकारियों से की गयी थी । इस शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा की गई, जिसके फलस्वरूप आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये । अतः क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*17--श्री मित्रसेन--

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसान इन्टर कालेज, भानपुर बस्ती के अप्रशिक्षित अध्यापकों को अनियमित वितरित वेतन की वापसी की मांग

*18--श्री माता प्रसाद पान्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज, भानपुर, जनपद बस्ती में सत्र 1967-68 से अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित सी० टी० वेतनक्रम में वेतन भुगतान किया गया है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 2/3 अप्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि प्रबन्धक समिति ने 1-7-1979 ई० को अनियमित वितरित वेतन वापसी का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि की वापसी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर के ग्राम सैदपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव

*19--श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में ग्राम सैदपुर में एक सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव 4 व 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन रक्षा मन्त्री, भारत सरकार श्री बंशी लाल ने किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया था, किन्तु रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में पहले से 2 सैनिक स्कूल हैं और प्रत्येक सैनिक स्कूल में 525 छात्र भरती हो सकते हैं । लेकिन घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में केवल 370 छात्र हैं । राज्य सरकार घोड़ाखाल सैनिक स्कूल को पूरी प्रकार चलाये और जिस साज-सज्जा की कमी है उसे पूरी करें । यदि आगे यह महसूस हो कि उत्तर प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल की आवश्यकता है तो फिर विचार किया जा सकता है ।

इस समय घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्वीकृत छात्र संख्या 400 है ।

*20--श्री किरन पाल सिंह--

[32वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

परिवहन मंत्री के पास दो स्टाफ कारों का औचित्य

**1--श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि परिवहन मंत्री के पास दो स्टाफ कारें (एक परिवहन तथा दूसरी राज्य सम्पत्ति विभाग की) हैं ? यदि हां, तो दो स्टाफ कार रखने तथा दिये जाने का औचित्य क्या है तथा उस पर प्रतिमाह कितना खर्च अलग-अलग पड़ रहा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । परिवहन मंत्री जी के उपयोगार्थ राज्य सम्पत्ति विभाग की एक स्टाफ कार है । उक्त कार के स्थानीय उपयोग के लिए मंत्री जी को नियमानुसार 150 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह अनुमन्य है जिसका वर्तमान मूल्य लगभग 675·50 रु0 प्रतिमाह होता है तथा उक्त स्टाफकार के चालक के वेतन आदि पर लगभग 483·35 रु0 प्रतिमाह खर्च आता है ।

परिवहन मंत्री जी को निगम के कार्यों की देख-रेख के लिए परिवहन निगम द्वारा एक कार दी जाती है । यह सुविधा प्रत्येक परिवहन मंत्री को निगम के गठन के पहले से दी जाती रही है । परिवहन निगम ने भी इस आशय का संकल्प पारित किया है । इस पर पेट्रोल आदि पर औसत मासिक व्यय लगभग 3,145 रु0 तथा चालक के वेतन पर लगभग 632·00 रु0 व्यय होता है ।

कुमारी मंशा राजपूत कांड के अभियुक्त, उप पुलिस अधीक्षक, श्री सिद्दीकी की बहाली

**2--श्री भीखालाल तथा श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप अधीक्षक शमी मोहम्मद सिद्दीकी ने 19 फरवरी, 1978 को मंशा राजपूत को लखनऊ रेलवे रिटायरिंग रूम में जलाकर हत्या करने का प्रयास किया था जिसकी छानबीन सी0 आई0 डी0 ने

को और अतिरिक्त जिला सेशन जज, लखनऊ की अदालत में धारा 307/384/201 भा0 दं0 विधान के अन्तर्गत चार्जशीट दाखिल कर दी है ? क्या यह सही है कि उक्त पुलिस उप अधीक्षक इसी अपराध में निलम्बित किया गया था लेकिन उक्त अपराध से दोष मुक्त होने के पूर्व ही बहाल कर दिया गया और मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज में नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कुमारी मंशा राजपूत के द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21-2-78 जिसमें उन्होंने श्री सिद्दीकी के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि उन्होंने कुमारी मंशा राजपूत को लखनऊ रेलवे स्टेशन रूम में जलकर हत्या करने का प्रयास किया था, पर अपराध दर्ज किया गया । मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गयी । जांच के उपरान्त धारा 307/384/313/201 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री सिद्दीकी को इस मामले में दिनांक 4-3-78 से निलम्बित किया गया था । उनके इस प्रत्यावेदन पर कि उनके निलम्बन को बहुत समय हो गया है और कोई फैसला नहीं हो पाया है, विचारोपरान्त उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद II में नियुक्त कर दिया गया है ।

श्री मोहन सिंह--

इस उत्तर से इनके पाखंड की कलई खुल रही है । सुल्तानपुर का मामला था, तब तो यह अहंकार पूर्ण घोषणा करते हैं कि हमने उसको बर्खास्त कर दिया है, लेकिन एक आदमी यह जिसके खिलाफ इतने बड़े और गम्भीर आरोप हैं और केस चल रहा है, उसमें इस तरह से बहाल कर दिया गया है नौकरी पर, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि न्यायालय में जो आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, उसके महत्वपूर्ण अंश क्या हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आरोप तो उन पर उसी तरह के हैं, जो मंशा राजपूत ने....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

जिसके खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं और उसको आपने बहाल कर दिया है, तो आप आरोप बताइये कि क्या पुलिस ने आरोप उस पर लगाए हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक कुमारी मंशा राजपूत से उनका अवैध सम्बन्ध होना और उसको छुपाने के लिए छिपाने की नीयत से उनको आग लगाकर मारने का आरोप उन पर है । उनको इस विषय पर कि न्यायालय में इतने समय से मुकदमा चल रहा है, उन्हें बहाल किया गया है । तीन-चार वर्ष से यह मुकदमा पेंडिंग है । जिस वक्त निर्णय हो जाये, तब तक उसका कुछ सदुपयोग हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया है ।

श्री मोहन सिंह--

यह बिलकुल बेशरमी का उत्तर है....

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न पूछे, उत्तर जानें, अब उत्तर किस प्रकार का है, उस पर इस तरह से रिमार्क न करें ।

श्री मोहन सिंह--

आप देखें तो यह कितनी बेशरमी की बात है। वह मानते हैं कि उनकी पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया है, तो अब बिना अदालत से फैसला हुए आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि विलम्ब हो रहा है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन--

शासन ने इतने खतरनाक अपराधी को इस तरह से जो रिइन्स्टेट किया तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ला एन्ड आर्डर रहेगा ? जिस पर हत्या करने का आरोप है....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

जो इन्होंने 'बेशरमी' शब्द का इस्तेमाल किया है, यह उसको वापस लें ।

श्री पंचानन--

जितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित हैं, क्या उनके सब के विरुद्ध केस वापस लिया जायगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि 4 साल से अधिक समय व्यतीत हो रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे बहुत से मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं, जिनसे सम्बन्धित लोग 10-10 साल से निलम्बित हैं और उन पर केवल सामान्य आरोप हैं, तो इस केस में कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई थी कि इतने गम्भीर आरोप होने के बावजूद उक्त पुलिस अधिकारी को उन्हें बहाल करना पड़ा ?

श्री मोहन सिंह--

दिल्ली से टेलीफोन आया होगा । सदन जानता है कि यह सरकार का कितना पाखंड है कि एक पुलिस उप-अधीक्षक जिसके खिलाफ एक लड़की को जलाने का गम्भीर आरोप है, उसको बहाल कर दिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वर्तमान सरकार को दिल्ली से टेलीफोन पर निर्देश नहीं होता है । यह उस समय होता था जब कि माननीय मोहन सिंह जी मंत्री थे । अब वह बन्द हो गया है । यह दुर्भाग्य की बात थी कि पिछले वर्ष के बीच में हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द में कुछ कमी आयी थी....

(घोर व्यवधान)

(अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मेरी प्रार्थना है कि प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सबको बहाल किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब कृपया बैठ जायं । प्रश्न केवल इतना पूछा गया था कि जलाने का इतना बड़ा आरोप उस पर था और आपकी पुलिस ने ही आरोप लगाया था। आपने इसका उत्तर दिया कि वह मुकदमा 4 साल से चल रहा था और उसको कुछ तन्ख्वाह भी दी जा रही थी इसलिए कि उसका उपयोग हो सके उसको बहाल कर दिया गया और दूसरे प्रश्न का उत्तर जब आपने आरम्भ किया तो सदन में उत्तेजना हो गयी । आपने शब्द 'सौहार्द' से आरम्भ किया जिससे ऐसा मालूम पड़ा कि अपने मुस्लिम सौहार्द बनाने के लिए ऐसा किया था । अतः यदि स्पष्ट उत्तर दे सकें तो दें अन्यथा समय मांग सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पता नहीं सौहार्द के कारण क्यों तकलीफ हो गयी । वह तो बन गया है । चूंकि ज्यादा समय से यह मामला पेंडिंग है, इसलिए उनको नियुक्त कर दिया गया और बाद में जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसको शिरोधार्य करके निर्णय किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि अगर ऐसी बात है तो प्रदेश के जितने ऐसे लोग हैं, 10-10 सालों से जिनके मुकदमें निर्णीत नहीं हुए हैं और जिनमें मुस्लिम, सिख, इसाई सभी लोग हैं, सब को बहाल किया जाय ।

(व्यवधान) (अनेक सदस्य पुनः अपने स्थान पर खड़े हो गये)

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग पहले बैठ जायं । अभी प्रश्नों का 20 मिनट का समय शेष है । इसलिए एक-एक करके खड़े होकर प्रश्न करेंगे तो 20 मिनट में आप काफी प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो मैंने प्रश्न पूछा था वह बिना किसी उत्तेजना के बड़ी ही नम्रता के साथ पूछा था जो कि सारे प्रश्न का मूल था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों के लिए इससे गम्भीर अपराध और कोई नहीं हो सकता था कि जिसने स्वयं कानून को अपने हाथ में लेकर लड़की को जलाने का प्रयास किया था तो वे कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं जिनके कारण आपको मुकदमा वापस लेना पड़ा ? तब तो समाधान होगा अन्यथा हल्ला मचता ही रहेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इनको रिइन्सटेट किया है, मुकदमा वापस लेने की बात नहीं है। इसमें चूंकि 3-4 साल का समय लग चुका था, काफी समय लग रहा था, इसलिये उनको रिइन्सटेट किया गया।

(घोर व्यवधान)

श्री ऊदल--

क्या यह सही है...।

श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, देखिये माननीय मंत्री जी प्रश्न नहीं सुन रहे हैं और दूसरे मंत्री जी से बात कर रहे हैं, लगता है वे उनको डांट रहे हैं....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, कृपया देखें, माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं और आप वार्ता कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस लड़की को जलाया गया उसका डाक्टरी मुआयना भी हुआ होगा तो उसमें क्या लिखा है ? क्या उसमें यह लिखा है कि उसको मार डालने की नीयत से जलाया गया और क्या उनके खिलाफ पुलिस ने दफा 307 के अन्तर्गत केस अदालत में दायर किया है ? यदि हां, तो फिर इतने भारी जुर्म के होते हुये उनको रिइन्सटेट करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह बात सही है कि उनका चालान दफा 307 के अन्तर्गत हुआ था। उनको रिइन्सटेट करने का कारण यही था कि उनके मुकदमें में काफी समय लग रहा था।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को यह बात विदित है कि इस्लाम धर्म में इस जुर्म की सजा जान से मार देने की है ? यदि हां, तो ऐसे बदमाशों को सपोर्ट करके उनको बहाल करने का क्या कारण है ? इसमें कोई गुडविल क्रिएट करने

की बात नहीं है, वह तो मुसलमानों के लिये भी एक तौहीन की बात है। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली से टेलीफोन नहीं आता है, वह जब मंत्री जी रोज दिल्ली जाते हैं, तो टेलीफोन आने की क्या जरूरत है। मेरा प्रश्न स्पष्ट यह है कि जब दफा 307 में यह मामला पुलिस ने अदालत में भेजा तो यह तभी भेजा होगा जब पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने देखा होगा कि गले से यह फंदा नहीं निकल सकता। तो इन सारी चीजों को देखते हुये, जब तक न्यायालय का फैसला न हो जाय, उनको सस्पेंड न रखने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उनको केवल अपना काम करने का अवसर दिया गया है, दंड से बचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो न्यायालय कार्यवाही करेगा उसका तो पालन किया ही जायगा।

श्री मंजूर अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन डी0 एस0 पी0 को फंसाने के लिये ही एक ऐसा जाल रचा गया है जिसमें कई आफिसरों तथा कई नेताओं का भी हाथ है, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इसकी जानकारी करा लेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शमी मोहम्मद सिद्दीकी जैसे कामी पुलिस अपराधियों को जो छूट दी गयी है, क्या इस तरह से सारे पुलिस अधिकारियों को छूट देकर समाज में यौन पापाचार को प्रश्रय देने के लिए कृत संकल्प हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री श्याम लाल बाजपयी—

मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न है जिसका उत्तर मैं दिला दूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि मिस्टर सिद्दीकी का सम्बन्ध केवल इसी मामले में ही नहीं है, बल्कि वह फ्लैश ट्रेडर्स के मामले में तथा अन्य कई मामले में इसके पहले से भी इनवाल्व हैं और इनके खिलाफ उनकी शिकायत अखबारों के पन्नों में छाई हुई थी। क्या माननीय मंत्री जी अदालत की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उस अधिकारी को तुरन्त निलंबित करने का आदेश देने का आश्वासन देंगे ताकि वह केस डायलूट न होने पावे ?

श्री अध्यक्ष--

अन्तिम प्रश्न क्या किया आपने ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय न्यायालय में जो प्रश्न विचाराधीन है, वह डायलूट न होने पावे क्योंकि उनको रिइन्सटेट कर दिया गया है, इसके लिए यह आवश्यक है, अपनी इस शासन की तो कोई प्रतिष्ठा है नहीं, लेकिन माननीय न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए इतना तो करेंगे कि उस अधिकारी को तुरन्त निलंबित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का कोई निर्देश आयेगा, तो अवश्य निलंबित किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि उसने आवेदन दिया था कि उसको निलंबित हुए काफी समय हो गया है, उसे रिइन्सटेट कर दिया जाय, तभी उसको रिइन्सटेट किया गया था। मान्यवर, उस अधिकारी के खिलाफ 307 अटेम्प्ट टु मरडर का एक सीरियस चार्ज है, जो कि न्यायालय में चल रहा है । मैं, माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के हर एक पुलिस अधिकारी के लिए यह रूल बना दिया गया है कि जिसके खिलाफ गम्भीर आरोप है, अगर वे आवेदन पत्र देते हैं, तो उन सभी अधिकारियों का निलंबन आदेश निरस्त कर देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, हर केस में गुणावगुण के आधार पर ही विचार किया जा सकता है ।

(श्रीमती प्रेमवती तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आप निर्देश दें कि माननीय मंत्री जी सही उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । मैंने श्रीमती तिवारी को बुलाया है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह जो पुलिस उप अधीक्षक शमी मोहम्मद सिद्दीकी ने 19 फरवरी, 1978 को मंशा राजपूत को लखनऊ रेलवे रिटायरिंग रूम में जला कर हत्या का प्रयास किया, जिसकी छानबीन सी० आई० डी० द्वारा हुई, उसके बाद उनका निलंबन हुआ । मान्यवर, प्रश्न गम्भीर है । मैं यह जानना चाहती हूं कि उनको पुनः बहाल करने का माननीय मंत्री जी ने क्या आधार लिया, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बता चुके ।

(व्यवधान)

उसका उत्तर उन्होंने बार-बार दिया कि समय बहुत लग रहा था और उन्होंने प्रार्थनापत्र दिया, इसलिए उन्हें बहाल कर दिया ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री ऊदल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये),

श्री रियासत हुसैन--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

(विपक्षी दल के काफी सदस्य खड़े हो गए और बोलने की अनुमति मांगने लग)

श्री खैरुल बशर--

मन्त्री जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अपराधी द्वारा जो पीड़ित महिला है मंशा राजपूत, उसने एक पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा, उसकी कापी हमको दी है। इस पत्र में उसने इल्जाम लगाया है कि शासन ने दिल्ली की सरकार के संकेत पर उक्त पुलिस उप अधीक्षक को फिर बहाल किया है और वह मुकदमे की पुरजोर तरीके से पैरवी कर रहा है और पुलिस अधिकारियों पर दबाव डाल रहा है, जिससे उक्त महिला को न्याय नहीं मिल सकेगा। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने इस पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? उसने यह भी लिखा है कि उसका जीवन, उसको बहाल कर दिये जाने के कारण फिर खतरे में पड़ गया है। तो मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह बता दें कि इस पत्र पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, उस पत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर यह भाव होगा तो उनकी सुरक्षा की हर तरह की व्यवस्था शासन करेगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो आधार बताया निलम्बन आदेश निरस्त करने का कि केस काफी दिनों से चल रहा था, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह

बतायेंगे कि चार्जशीट अदालत में जाने के बाद, बार-बार सिद्दीकी साहब के पास सम्मन भेजे गये, लेकिन वह किसी तारीख पर पेश नहीं हुए और केवल अपने निलम्बन आदेश की समाप्त करने की प्रक्रिया चलाने के लिए वे अपने को गैर हाजिर करते रहे। क्या मेरी इस बात को आधार मानकर माननीय मन्त्री जी पुनः उन्हें निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, अगर वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो ऐसे मामलों में न्यायालय स्वयं ही कार्यवाही करते हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट कब अदालत में गयी और वे बहाल कब हुए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

3-3-78 को उनको निलम्बित किया गया था और 29-4-78 को उनके ऊपर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, 14-1-81 को उनको बहाल किया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक पत्र, जैसा माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, मंशा राजपूत ने भेजा और पत्र दिया माननीय मुख्य मन्त्री जी को और उसकी कापियां हम लोगों के पास आयीं, वह पत्र फाइल में नहीं है, आपको उसकी जानकारी भी नहीं है। मान्यवर, हमको निश्चित जानकारी है कि यह पत्र मुख्य मन्त्री जी को मिला। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस समय सदन में नहीं हैं। मान्यवर, मेरा आप से अनुरोध है कि आप उनको इस सदन में बुलवाने की कृपा करें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए। वह एक पत्र है, जिसे कि मंशा राजपूत ने लिखा। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वह पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी को मिल चुका है। वह फाइल में होना चाहिए। अगर पत्र आपके पास नहीं है तो उसके बारे में आप जानकारी करेंगे। आपने कहा कि उसे रिइन्सटेट किया इसके बारे में उत्तर दिया जा चुका है वह कोई उत्तर नहीं है। आपने उत्तर दिया कि गुण अवगुण के आधार पर करेंगे। एप्लिकेशन दी गयी थी कि समय अधिक हो गया इसलिए उनको रिइन्सटेट कर दिया गया। सप्लीमेंटरी पूछा गया कि यह प्रोसीजर सभी केसेज में एप्लाई होगा तो गुण अवगुण का आधार बतलाया गया। तो केवल इस केस में गुण अवगुण के आधार पर यह किया गया या सभी केसेज में ऐसा किया जाता है या केवल एप्लिकेशन की बात कंसिडरेशन में ली जाती है ? माननीय त्रिपाठी जी से कहिए कि उस पत्र को ले आवें या मुख्य मन्त्री जी को निर्देशित कर दें कि वह सदन में आ कर उत्तर दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस प्रकार के केस में कोई प्रार्थना-पत्र आता है तो गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जाता है लिहाजा उसके गुण अवगुण पर विचार हुआ। समय ज्यादा लगने के कारण उनको रिइन्सटेट करने के आदेश दिये गये। जहां तक पत्र प्राप्त होने की बात है उसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि वह मुख्य मन्त्री जी को मिला है या नहीं मिला है। उसकी जानकारी कर ली जायेगी और माननीय सदस्य को बतला दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मन्त्री जी सदन में आ गये हैं। मैं अपना प्रश्न दोहराये देता हूं क्योंकि मैंने आशा की थी कि मुख्य मन्त्री जी उत्तर देने के लिए आवें। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंशा राजपूत के केस में एक डी० एस० पी० श्री सिद्दीकी का निलम्बन किया गया था। उनकी चार्जशीट कोर्ट में जा चुकी थी, न्यायालय से कई बार सम्मन भी आये लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट में केस के पेंडिंग होने के बावजूद उनको रिइन्सटेट कर दिया गया। मंशा राजपूत ने उनके रिइन्सटेट होने पर एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें काफी एलिगेशंस लगाये गये थे जिसमें एक यह था कि केन्द्र के प्रेशर पर आपने यह किया है। उसका जीवन खतरे में है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय गृह मन्त्री ने बतलाया, उनको किस तरह के गुण-अवगुण के आधार पर रिइन्सटेट किया गया और क्या यह आधार सभी केसेज में विचारणीय होता है? फिर सिद्दीकी साहब ने एप्लिकेशन दी कि बहुत समय हो गया है उनको रिइंस्टेट कर दिया जाय तो ऐसा भी क्या सभी केसेज में किया जाता है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मुकदमा कोई वापस नहीं हुआ, मुकदमा जारी है। पूरे तौर से प्रासिक्यूशन चलेगा और जो भी सजा होगी दी जायगी। जहां तक रिइन्सटेट का सवाल है ढाई साल का समय बीत गया था इसलिए उनको रिइन्सटेट कर दिया गया लेकिन यह आदेश दिये गये कि उनको नान सेंसिटिव जगह पर रखा जाय। उनके पारिवारिक स्थिति की चर्चा भी आई थी। इन सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर की तहसील दुद्धी क्षेत्र में दफा 144

1--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर दक्षिणांचल के रेणुसागर रेणुकूट, सिंगरौली, शक्तिनगर आदि क्षेत्रों में कई माह से दफा 144 लगाई है और किसी भी सभा को करने की इजाजत नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद मिर्जापुर के पूरे तहसील दुद्धी क्षेत्र में दिनांक 22-8-80 से छः सप्ताह के लिए, दिनांक 11-10-80 से एक माह के लिए व दिनांक 5-2-81 से दो माह के लिए दफा 144 लगायी गई। इसके अतिरिक्त तहसील दुद्धी के कतिपय क्षेत्रों में दिनांक 21-11-80 से दो माह के लिए उक्त दफा लगाई गई थी।

यह सही नहीं है कि उपरोक्त अवधि के दौरान किसी भी सभा को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अलीगढ़ के गांव लोधा में डकैतों से मुठभेड़ में श्री मेघ सिंह जाटव की मृत्यु

2—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लोधा, थाना हसायन, जिला अलीगढ़ के कल्याण प्रसाद के यहां दिनांक 7-12-80 को दिन में 4 बजे डकैतों ने डाका डाला और गांव वालों ने मुकाबला किया जिसमें गांव का एक मेहतर नौजवान मरा और तीन डाकू मारे गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि गांव वालों के मुकाबला करने एवं तीन डाकुओं को मार लेने के बाद पुलिस थाना हसायन वहां आई ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसमें अपने को भी शामिल किया है कि डाकुओं के मुठभेड़ में तथा मुकाबला करने में वे भी थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत डकैती की घटना होने तथा मुठभेड़ में 3 डकैत मारे जाने व कतिपय ग्रामवासियों व पुलिस वालों के घायल होने की रिपोर्ट श्री कल्याण प्रसाद पुत्र खैराती लाल, निवासी लोधीपुर, जनपद अलीगढ़ ने थाना हसायन में दिनांक 7-12-80 को दर्ज कराई । एक घायल ग्रामवासी श्री मेघ सिंह जाटव को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हसायन भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई । अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397/307/412 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना हो रही है और शेष अभियुक्तों का पता लगाने हेतु भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । श्री कल्याण प्रसाद द्वारा दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना के दौरान पुलिस वाले भी आ गये थे और ग्रामवासियों तथा पुलिस दल ने मिलकर डकैतों का मुकाबला किया था ।

3—श्री ऊदल—

क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने राज्य गृह मन्त्री को श्री नैकराम शर्मा, भू0 पू0 एम0 एल0 सी0 का पत्र तथा फर्जी फोटो की फोटो स्टेट कापी ता0 29-1-81 को उन्हें विधान भवन में ही दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उक्त डकैती की घटना के सम्बन्ध में श्री नैकराम शर्मा, भूतपूर्व एम0 एल0 सी0 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया गया ।

जनपद टिहरी-गढ़वाल के ग्राम जोकाणी लग्गा भेलुन्ता निवासी श्री राम स्वरूप की हत्या

4—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील के अन्तर्गत जोकाणी लग्गा भेलुन्ता में ता0 31-10-80 की रात्रि को हरिजन दुकानदार स्वर्गीय राम स्वरूप की हत्या एवं दुकान के माल की लूट के सिलसिले में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पटवारी के बजाय रेगुलर पुलिस से जांच करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित अभियोग धारा 394/302 भा0 दं0 वि0 की विवेचना दिनांक 9-11-80 से नियमित पुलिस द्वारा की जा रही है। इस घटना का नामजद अभियुक्त दिनांक 9-11-80 को पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया और विवेचना से प्रकाश में आये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों की शिनाख्त न हो पाने के कारण उन्हें धारा 169 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिहा किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त जसवंत की गिरफ्तारी हेतु विवेचना जारी है।

टिहरी-गढ़वाल में गजादेव-प्रयाग मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन कार्य पर रोक

5—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में गजादेव प्रयाग निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर कन्डार गांव में निर्माण कार्य क्यों तथा कब से ठप्प पड़ा है ? और विभाग की ओर से उस पर काम जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर जनपद के ब्लाक बिल्हौर के प्राइमरी स्कूलों में स्थानीय अध्यापक एवं उनका स्थानान्तरण

6—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बिल्हौर, जनपद कानपुर के अन्तर्गत बी0 एस0 ए0 व जिला परिषद् से सम्बन्धित ऐसे कौन-कौन स्कूल हैं कि जहां उसी गांव के निवासी होते हुए उसी गांव में अध्यापक नियुक्त हुए और पदोन्नति पाकर वहां प्रधान अध्यापक के रूप में लगातार अभी तक कार्यरत हैं ? इस लम्बी अवधि में उनके स्थानान्तरण न होने का औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ब्लाक बिल्हौर, जनपद कानपुर में प्राइमरी पाठशाला, बिल्हौर (उर्दू माध्यम) तथा प्राइमरी पाठशाला, नानामऊ ऐसे स्कूल हैं। ये स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं। परिषदीय अध्यापकों का उन्हीं के गांव में तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न ही पदोन्नति की दशा में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण का कोई प्राविधान है।

नरायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर पाण्डेय, गोरखपुर के प्रधानाचार्य का चनाव

7—श्री दीनानाथ पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर पान्डेय, गोरखपुर की प्रधानाचार्य के चुनाव को उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 4-7-1973 द्वारा स्वीकृत कर दिया था परन्तु

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने उक्त प्रधानाचार्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 20-3-1980 द्वारा उक्त प्रधानाचार्य के चुनाव को वैध घोषित किया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8--श्री दीनानाथ पान्डेय--

क्या उक्त प्रधानाचार्य (रमाकान्त शुक्ल) के चुनाव एवं अनुमोदन की कार्यवाही की शिक्षा मन्त्री जी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बागपत कान्ड से सम्बन्धित सत्याग्रहियों पर मुकदमे

9--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जून, 1980 में बागपत, जनपद मेरठ की घटना को लेकर प्रदेश भर में "लोकदल" ने सत्याग्रह किया था और पुलिस ने विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनेकों मुकदमें कायम किए ? यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमें इस समय अदालतों के सामने विचाराधीन हैं ? न्यायिक जांच की रिपोर्ट के प्रकाश में उक्त वादों को जारी रखने के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प) का अवशेष वेतन

10--श्री मोहम्मद सफीउर्र रहमान अन्सारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वीन्स कालेज, वाराणसी के सन् 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149 (1)/1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिव्यू अप्लीकेशन के फैसले दिनांक 7-9-1979 के बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां तो भुगतान कब तक किया जावेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्यालय उप निरीक्षक, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती पम्फलेट

11--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय उप निरीक्षक, मिर्जापुर के विरुद्ध कोई शिकायती पम्फलेट शासन को माह दिसम्बर, 1980 व जनवरी, 1981

में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है । शिक्षा निदेशक को जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 883 पर ।

देवरिया जिले के कसया थाने के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना कसया के थानाध्यक्ष के विरुद्ध देवरिया के युवा लोकदल के कोषाध्यक्ष ने कोई शिकायती-पत्र आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिसम्बर, 1980 के प्रथम सप्ताह में में दिया है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये दस्युओं की संख्या

13—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक पुलिस मुठभेड़ में कितने दस्युओं का संहार किया गया उसमें आगरा, कानपुर और लखनऊ जिलों में मारे गये दस्युओं की संख्या क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

14—श्री भागीरथ तथा श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[10-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 128 द्वारा उत्तरित]

हाई स्कूल एवं इन्टर में अनुत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क न लिए जाने की मांग

15—श्री भागीरथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों की जो हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनसे पुनः पढ़ने के लिए शिक्षण शुल्क पूर्ण वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्त किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हाई स्कूल में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। इण्टरमीडिएट में प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर केवल उन्हीं छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके प्राप्तांक 25 प्रतिशत से कम न हों। परन्तु यदि संस्था का प्रिन्सिपल यह प्रमाणित कर दे कि किसी छात्र ने परीक्षा की अवधि में बीमार रहने के कारण 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया है तो उसे भी एक बार अनुत्तीर्ण होने पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

दादरी (गाजियाबाद) में आर्य कन्या पाठशाला के सामने जी0 टी0 रोड की भूमि पर निर्मित दुकानें

16--श्री जगदीश कुमार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी (गाजियाबाद) में आर्य कन्या पाठशाला के सामने सा0 नि0 वि0 जी0 टी0 रोड की भूमि पर पक्की दुकानें बनाने की अनुमति किस नियम के अन्तर्गत सन् 1977-78 में दी गयी ? क्या सरकार सारा ब्योरा कारण सहित, सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

दादरी (गाजियाबाद) में देहली कानपुर मार्ग के कि0 मी0-37 में आर्य कन्या पाठशाला के सामने सा0 नि0 विभाग की भूमि पर पक्की दुकाने बनाये जाने की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई। अतः ब्योरा प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त पाठशाला के सामने अनधिकृत रूप से जो दुकानें बनाई गई हैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है जो एस0 डी0 एम0, दादरी के न्यायालय में विचाराधीन है।

उच्च शिक्षा का सरकारीकरण

17--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा का सरकारीकरण किया जाना शासन द्वारा विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

4 साउथ एवेन्यू गेस्ट हाउस 11 विंडसर प्लेस, लखनऊ आवास गृह का आवंटन

18--श्री बदन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 4 साउथ एवेन्यू गेस्ट हाउस 11 विंडसर प्लेस, लखनऊ आवास गृह में कौन रहता है ? उसको रहते हुए कितना समय व्यतीत हो गया है ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह आवास उन्हें आवंटित है या अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

4 साउथ एवेन्यू गेस्ट हाउस माननीय राज्य मंत्री शिक्षा श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी जी को शासकीय आवास के रूप में आवंटित है और वे उसके एक भाग में 15 जनवरी, 1981 से रह रहे हैं। उक्त आवास में श्री जगन प्रसाद रावत जी अगस्त, 1959 से विभिन्न हैसियतों से रहे। श्री जगन प्रसाद रावत जी को यह आवास अन्तिमबार दिनांक 24-11-75 को आवंटित किया गया था और वे तभी से उसमें रह रहे हैं। इस आवास की शासन को आवश्यकता होने के कारण उनका यह आवंटन भी आदेश दिनांक 30-12-80 द्वारा निरस्त किया जा चुका है और उक्त तिथि से उनका उक्त आवास के एक भाग में अनधिकृत अध्यासन है।

इंचार्ज कोतवाली फतेहपुर, श्री ए0 डी0 शर्मा तथा सी0 ओ0 सिटी, श्री रुद्र प्रताप तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर, ए0 डी0 शर्मा तथा सी0 ओ0 सिटी, श्री रुद्र दत्त तिवारी के विरुद्ध जून, 1980 से अब तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त दोनों अधिकारियों का स्थानान्तरण करके मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के रिकार्ड के अनुसार श्री ए0 डी0 शर्मा, इंचार्ज कोतवाली तथा श्री रुद्र दत्त तिवारी, सी0 ओ0 सिटी के विरुद्ध कुल 6 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से तीन श्री आर0 डी0 तिवारी के विरुद्ध थे।

श्री तिवारी के विरुद्ध प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से एक से सम्बन्धित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, दूसरे की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है तथा तीसरे के आरोप सत्य नहीं पाए गए हैं।

जहां तक श्री ए0 डी0 शर्मा के विरुद्ध प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का सम्बन्ध है, तीन प्रार्थना-पत्रों में से एक के विषय में श्री शर्मा की लापरवाही साबित हुई। अतः उनकी चरित्र-पंजिका में दुश्चरित्र लेख प्रदान किया गया। दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में परगनाधिकारी को धारा 144 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए लिखा गया है। तीसरे प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप जांच में अप्रमाणित रहे।

श्री शर्मा का स्थानान्तरण दिनांक 24-12-80 को कानपुर के लिए कर दिया गया है।

राजकीय इंटर कालेज भृगुखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल के सेवा निवृत अध्यापकों को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान

20--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज, भृगुखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल के कौन-कौन अध्यापक दिनांक 30-6-1980 को सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या इनको अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

21--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फैजाबाद में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान की स्थापना

22--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में कोई स्पोर्ट्स स्वीकृति कम्प्लेक्स बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें किस स्तर तक शिक्षा दी जायेगी और इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

फैजाबाद में एक राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान की स्थापना करने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । इस संस्थान में छात्रों को शिक्षा नहीं दी जायेगी बल्कि प्रदेश के माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों से चुने हुये प्रतिभावान छात्र/छात्रा खिलाड़ियों को उनकी रुचि के विभिन्न खेलों में नवीनतम तकनीक के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायगा । इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये अन्य शिक्षणेत्तर युवक कार्यक्रम तथा प्रादेशिक स्तर की रैलीज एवं शिविरों का आयोजन किया जायगा ।

संस्था में इस समय निर्माण की कोई योजना नहीं है क्योंकि फैजाबाद में भूतपूर्व प्रदेशीय शिक्षा दल शिविर स्थल के भवन एवं खेलकूद के मैदान एवं क्रीड़ा उपकरण उपलब्ध हैं ।

झांसी नगर में चतुर्थ श्रेणी व अल्प आय वालों के लिए आवास बनाने का कथित प्रस्ताव

23--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अल्प आय वाले लोगों के लिए एक हजार आवास शासन बनाने वाला था ? यदि हां, तो इस योजना को प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अल्मोड़ा के ग्राम शशिखाल, कुलौली, निवासी श्री मथुरादास उपाध्याय की आटा चक्की में आग लगने की घटना

24--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा दास उपाध्याय, ग्राम खुमाड़, डा० खुमाड़, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा का उद्योग आटा चक्की व

कार्यशाला दिनांक 27-5-80 को जलाया गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा श्री उपाध्याय को क्या आर्थिक क्षति पूर्ति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम शशिखाल कुलौली, पत्रालय खुमाड़, जिला अल्मोड़ा स्थित श्री मथुरा दत्त (मथुरा दत्त) उपाध्याय की आटा चक्की में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 27-5-80 को आग लगाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28-5-80 को पटवारी क्षेत्र डंगोला के पास रिपोर्ट लिखाई गई, जिस पर अभियोग अन्तर्गत धारा 436 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 15-9-80 को न्यायालय में प्रेषित की गयी। उक्त आगजनी के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई क्योंकि क्षति दवी आपदा अथवा दंगे के कारण नहीं हुई थी।

ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने हेतु आगरा के औद्योगिक इकाइयों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव

25--श्री विजय सिंह राना--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की सुप्रसिद्ध इमारत ताज महल को फैक्ट्रियों के विषैले धुओं से बचाने के लिए आगरा की औद्योगिक बस्तियों को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है। यदि हां, तो यह बस्ती कहां स्थापित की जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

ताज महल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा शहर की केवल फाउन्ड्री इकाइयों (ढलाई कारखानों) तथा वायु प्रदूषण करने वाली कुछ अन्य औद्योगिक इकाइयों को आगरा शहर से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उस हेतु उपयुक्त स्थान के चयन पर अभी विचार किया जा रहा है।

26--श्री विजय सिंह राना--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

पिथौरागढ़ में गंगोली हाट सीमेन्ट फैक्ट्री के निर्माण में प्रगति

27--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट सीमेन्ट फैक्ट्री के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ? कब तक आशा की जाती है कि यह फैक्ट्री सीमेन्ट उत्पादन कर सकेगी ?

श्री नियाज हसन खां--

अनुमानित मूल्य के बढ़ जाने के फलस्वरूप यह योजना पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के सम्मुख फिर से रखी गई थी और उक्त बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

सीमेन्ट निगम के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां बताई है जिनका परीक्षण हो रहा है। प्रोजेक्ट प्रारम्भ होने के पौने पांच साल बाद पूरा होने का अनुमान है।

राज्य कताई मिल अकबरपुर, फैजाबाद में हुई हड़तालों की संख्या

28--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में उसकी स्थापना के बाद से कुल कितनी हड़तालें हुई और उसमें कुल कितने घंटे मिल बन्द रही ? कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

श्री नियाज हसन खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद के विधायक के विरुद्ध कानून व्यवस्था बिगाड़ने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

29--श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के किसी विधायक का कोई पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1981 का जिसमें अकबरपुर के नागरिकों द्वारा अकबरपुर में किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने, भ्रष्टाचार फैलाने, समाज विरोधीतत्वों को सहारा देने के आरोप-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । मामले की जांच की जा रही है ।

30--श्री मोहम्मद नबी--

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद बरेली में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री चेतराम गंगवार का पत्र

31--श्री चेतराम गंगवार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 4-9-80 को प्रश्नकर्ता का कोई प्रार्थना-पत्र अथवा प्रस्ताव जनपद बरेली में सड़कें तथा पुल निर्माण हेतु मिला है तथा जिस पर मुख्य अभियन्ता से आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां, प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-9-80 का पत्र प्राप्त हुआ है किन्तु उसमें केवल ग्राम घोलडिया से ग्राम विजासिन, कृष्णपुर, महमूदापुर होते हुए ग्राम मुआ बाजार तक सड़क निर्माण की मांग की गई है ।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जगवीर सिंह सिरोही, अवकाशप्राप्त इंसपेक्टर, अलीगढ़ की संशोधित दर पर पेंशन

32--श्री किरन पाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री जगवीर सिंह सिरोही, अवकाश प्राप्त इंस्पेक्टर, अलीगढ़ को संशोधित पेंशन 364·07 पैसे प्रतिमाह, जिसकी संस्तुति एस० एस० पी०,

अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या 556-चार-बी0 688-77, दिनांक 9-3-80 वरेडियोग्राम दिनांक 11-1-80 द्वारा की थी जो अभी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री जगवीर सिंह सिरोही, अवकाश प्राप्त इंसपेक्टर, अलीगढ़ का संशोधित पेंशन 364·07 पैसे प्रतिमास की दर से दिए जाने की संस्तुति एस0 एस0 पी0 अलीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 15-3-79 द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजी थी। महालेखाकार उत्तर प्रदेश को संशोधित पेंशन के भुगतान आदेश प्रसारित करने को लिखा गया है। महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश पारित किए जाने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

श्री आर0 एल0 श्रीवास्तव उप अरण्यपाल, उरई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

33--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा तत्कालीन वन मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांकित 14-10-80 जिसमें श्री एस0 एल0 श्रीवास्तव, अरण्यपाल, बुन्देलखंड वृत्त झांसी की जानकारी में हुई, बुन्देलखंड भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उरई/जालौन के रेंज अधिकारियों द्वारा श्री आर0 एल0 श्रीवास्तव, उप अरण्यपाल, उरई की सांठ-गांठ से वित्तीय वर्ष 1979-80 में किये गये गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की मांग की गयी थी पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 14-10-80 पर अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) द्वारा जांच करायी जा रही है।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण

34--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कौन-कौन अनुभाग अधिकारी एक ही विभाग अर्थात् शाखा में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे अनुभाग अधिकारियों का नियमानुसार अविलम्ब स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी जिन्हें एक ही शाखा में कार्य करते हुये 5 वर्ष अथवा उससे अधिक हो गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऐसे अनुभाग अधिकारियों की सूची संलग्न है जो† एक ही विभाग में 5 वर्ष अथवा अधिक समय से कार्यरत है। वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे अनुभाग अधिकारियों को थोड़े-थोड़े करके दूसरी शाखाओं में स्थानान्तरित किया जाता है। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जायगी।

† छापी नहीं गयी।

देहरादून में श्री निरंजन प्रकाश जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) की नियुक्ति

35--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1978 में जिला देहरादून जो डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) कार्यरत थे क्या वे जिला अधिकारी, देहरादून और जिला जज देहरादून की संस्तुति पर नियुक्त किये गये थे ? यदि नहीं तो जिला-धिकारी तथा जिला जज की संस्तुतियों को किस आधार पर नहीं माना गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वर्ष 1978 में श्री निरंजन प्रकाश जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गये पैनल में से की गयी थी। श्री देवेन्द्र शास्त्री विधायक ने भी इनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला न्यायाधीश की संस्तुति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नियुक्ति की गई थी। जिला न्यायाधीश व जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश मानने या न मानने के सम्बन्ध में कोई कारण अभिलिखित करने का प्रश्न नहीं है, सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद पैनल में से नियुक्ति की गई थी।

चित्रकूट इंटर कालेज, कर्वी जिला बांदा के उप प्रधानाचार्य, श्री केदार नाथ रिछारिया की विधवा पत्नी की अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

36--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट इंटर कालेज, कर्वी, जिला बांदा के उप प्रधानाचार्य, श्री केदार नाथ रिछारिया की मृत्यु लगभग तीन वर्ष पूर्व हो गई थी ? यदि हां, तो उनकी विधवा पत्नी को अभी तक उनका जीवनबीमा, जी0 पी0 फंड तथा ग्रेचूटी की धनराशि न देने का कारण क्या है ? सभी धन-राशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखीमपुर जिले की पलिया कला शुगर फैक्टरी में निष्कासित मजदूरों तथा मजदूर यूनियनों की संख्या

37--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर, जिला अन्तर्गत पलिया कला शुगर फैक्टरी में वर्ष 1977 से लगायत वर्ष 1978 के बीच कितने मजदूर निष्का-सित किए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

उक्त अवधि में पलिया कला शुगर फैक्टरी में 20 कर्मचारी निष्कासित किए गए।

38—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि फैक्ट्री में मान्यता प्राप्त कितनी मजदूर यूनियनें हैं ? उक्त यूनियनें किन-किन महासंघों से सम्बद्ध हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

फैक्टरी में केवल एक ही पंजीकृत मजदूर यूनियन है जिसका नाम शारदा वर्कर्स एसोसियेशन, पलिया कलां है । यह यूनियन आई0 एन0 टी0 यू0 सी0 से सम्बद्ध है । मान्यता प्राप्त कोई यूनियन नहीं है ।

39—श्री मोती लाल देहलवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

मेरठ कालेज छात्र संघ के महामंत्री श्री विजय कुमार सारस्वत का कालेज में प्रवेश

40—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कालेज छात्र संघ के महामन्त्री विजय कुमार सारस्वत को दफा 323, 147 आई0 पी0 सी0 आदि के आधार पर प्राचार्य ने 3 वर्षों से कालेज से निकाल रखा है ? क्या यह सही है कि वह इस केस में मेरठ न्यायालय के श्री हरी सिंह, जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नं0 4, मेरठ तारीख 29-10-1980 द्वारा उनको बरी घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो श्री सारस्वत को मेरठ कालेज में प्रवेश न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेरठ कालेज व एन0 ए0 एस0 कालेज, मेरठ के प्राचार्यों की अर्हतायें

41—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि मेरठ कालेज, मेरठ के वर्तमान प्राचार्य और एन0 ए0 एस0 कालेज, मेरठ के प्राचार्य पद के लिए शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें सरकार को पिछले वर्ष 1980 में की गयी थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ कालेज, मेरठ तथा एन0 ए0 एस0 कालेज, मेरठ के वर्तमान प्राचार्य तत्कालीन परिनियमों में निहित अर्हतायें रखते हैं और उनकी नियुक्तियां सम्बन्धित चयन समितियों की संस्तुति के आधार पर की गई हैं ।

टिहरी-गढ़वाल के राजकीय हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

42--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं ? उन्हें भरने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? उन पर कब तक नियुक्ति कर ली जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सड़कों के निर्माण हेतु जनपदों में प्रगति समीक्षा समिति का गठन

43--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण में होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिये शासन की ओर से कोई जिला प्रगति समीक्षा समिति निर्मित की गयी है ? यदि हां, तो कब और उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने के लिये शासन की ओर से प्रत्येक जिले में प्रगति समीक्षा समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1015-79/23-सा0 नि0-9--7एसी 74, दिनांक 26 मार्च, 1979 द्वारा किया गया था। उक्त समिति के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्य हैं :--

1--जिले के समस्त विधायक एवं संसद सदस्य।

2--सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियन्ता जिनका कार्य क्षेत्र जिले में पड़ता है।

3--जिले के समस्त उप खंड अधिकारी।

4--जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, नरेन्द्र नगर, टिहरी-गढ़वाल द्वारा प्रगति समीक्षा समिति की बैठक का बुलाया जाना

44--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खंड, नरेन्द्र नगर, टिहरी-गढ़वाल ने अपने को जिला प्रगति समीक्षा समिति का मन्त्री घोषित करते हुये 7 मार्च, 1981 को कोई मीटिंग आयोजित की है ? यदि हां, तो यह समिति कौन सी है और इसका निर्माण किसके आदेश से कब किया गया और उसके सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कोटद्वार पौड़ी-गढ़वाल के सेवा निवृत रेंजर श्री गबर सिंह भंडारी को ग्रेच्युटी, फंड आदि के भुगतान की मांग

45--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, पौड़ी-गढ़वाल के श्री गबर सिंह भंडारी, सेवा निवृत्त रेंजर, जो 1976 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को आज तक पेंशन, ग्रेच्युटी फंड आदि का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है और क्या उक्त अधिकारी को पेंशन आदि देने का आदेश सरकार तुरन्त जारी करेगी ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

46--श्री पंचानन--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे महुला गढ़वाल बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचानन का पत्र

47--श्री पंचानन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 को आजमगढ़ जनपद के घाघरा नदी के किनारे बने महुला गढ़वाल बांध को पक्का कराने से सम्बन्धित है, मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कराया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

टांडा के पास घाघरा नदी के पुल निर्माण का प्रारूप उसका सर्वेक्षण तथा प्रगति

49--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा के पास घाघरा नदी पर पुल बनाने की योजना का वर्तमान प्रारूप क्या है ? इस पुल के सर्वेक्षण का कार्य 1973 में आरम्भ किया गया था परन्तु अब तक प्रगति न होने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वेस्ली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

50--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मन्त्री को वेस्ली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1980 के साथ श्री सिलास एस० मसे० का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शिक्षा निदेशक को निदेश दिये जा चुके हैं कि निदेशालय से किसी अधिकारी को आजमगढ़ भेजकर पूर्ण जांच आख्या प्राप्त करके अपनी संस्तुति सहित शासन को शीघ्र भेजे ।

शासन को अभी आख्या एवं संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

51--श्री पंचानन--

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आई० टी० आई० गौरा बाजार, रायबरेली के कार्यरत अनुदेशक श्री उपेन्द्र नारायण की मृत्यु एवं उनके देयों का भुगतान

52--श्री पंचानन--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री उपेन्द्र नरायन राय, अनुदेशक (डिजाइन), आई० टी० आई०, गौरा बाजार, रायबरेली के कार्यरत रहते हुए, 14-9-80 को दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या 31-1-81 तक उन्हें देय जी० पी० एफ०, सामूहिक जीवन बीमा, पारिवारिक पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? इसे शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां, श्री उपेन्द्र नारायण राय की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 14 सितम्बर, 1980 को हो गई । दिनांक 31 जनवरी, 1981 तक उन्हें देय सामान्य भविष्य निधि, सामूहिक जीवन बीमा, पारिवारिक पेंशन आदि की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका । उनके सामान्य भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान का मामला महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है । सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान के लिये उनके आश्रितों से आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य को निर्देश दिये गये हैं ।

उत्तर काशी में चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का रिक्त पद

53—श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर काशी में चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कब से नहीं है तथा न होने का क्या कारण है और आगे कब तक व्यवस्था हो जाने की सम्भावना है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत पद अब रिक्त नहीं है। शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल में पुलिस और डकैतों की मुठभेड़ में मृत व्यक्तियों की संख्या

54—श्री मोहम्मद नबी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक गोरखपुर मण्डल में पुलिस और डकैतों के मुठभेड़ में किन-किन थानों में किन-किन तारीखों में कितने व्यक्ति पुलिस की गोलियों से मार डाले गये हैं? क्या इस सम्बन्ध में सरकार विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 884 पर)

ग्राम उतरौला जिला गोंडा निवासी श्री लालता प्रसाद को गन्ना मूल्य कम दिये जाने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

55—श्री अकबाल हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लालता प्रसाद, निवासी प्यारा जोत मजरे ग्राम उतरौला, थाना उतरौला, जनपद गोंडा ने चीनी मिल के मालिक कमलनयन सरोगी, रानी सरोगी तथा छेदी लाल सरोगी के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 420 के अन्तर्गत कोई प्रथम सूचना की रिपोर्ट उक्त थाने पर इस आशय की दिनांक 21-1-81 को लिखाई है कि उक्त मुलजिमान ने हमको यह धोखा देकर हमारा गन्ना बगैर रेट लिखे तथा मूल्य लिखे खरीदा और यह वादा किया था कि जो भी अधिकतम मूल्य होगा हम बाद में दे देंगे परन्तु अब भुगतान नहीं दे रहे हैं? यदि हां, तो पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है और मुलजिमान को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री लालता प्रसाद आदि की सूचना के आधार पर श्री कमलनयन सरावगी, श्रीमती रानी सरावगी, श्री छेदी लाल सरावगी एवं राम सुन्दर के विरुद्ध थाना उतरौला जिला गोंडा में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 408/420 भा० द० वि०, दिनांक 21-1-81 को पंजीकृत किया गया, जिसकी

विवेचना हो रही है । लक्ष्य के अभाव में अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी है । विवेचना जारी है ।

गोंडा में बलरामपुर कोतवाली तथा देहात कोतवाली में पुलिस की गोली से मृत व्यक्तियों की संख्या

56—श्री मसूद जाफरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में बलरामपुर कोतवाली तथा देहात कोतवाली के अन्तर्गत माह जनवरी, 1981 से ले कर 8 फरवरी, 1981 तक कितने लोगों को पुलिस ने गोली मारी और वह किन ग्रामों तथा जिले के निवासी थे एवं उन पर कितने मुकदमे चोरी, डकैती में लिखे थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत अवधि में थाना बलरामपुर कोतवाली नगर गोंडा द्वारा कोई भी व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया । थाना बलरामपुर देहात की पुलिस द्वारा प्रश्नगत अवधि में मुठभेड़ में तीन व्यक्ति (1) लखन पुत्र चौधरी खटिक, निवासी ग्राम नौबस्ता मजरे भीलपुर, थाना बलरामपुर देहात, जिला गोंडा, (2) चन्दर उर्फ संगमलाल उर्फ हनुमान पुत्र मन्ने खटिक, निवासी सिसई जंगल थाना खरगूपुर जिला गोंडा तथा (3) नाथे उर्फ रामनाथ पुत्र भगवती खटिक निवासी ग्राम सिसई जंगल थाना खरगूपुर जिला गोंडा मारे गये । मृतक लखन के विरुद्ध डकैती के 3 व चोरी के 4, चन्दर के विरुद्ध चोरी के 2 व नाथे उर्फ रामनाथ के विरुद्ध चोरी का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था ।

57—श्री मोती लाल देहलवी—

[24 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न सं0 9 की पुनरावृत्ति होने के आधार पर निरस्त]

58—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

[8वें मंगलवार के लिये स्थगित]

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, सन्डीला (हरदोई), के भवन को खाली कराये जाने सम्बन्धी पत्र

59—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई तहसील सन्डीला के राजकीय बालिका इन्टर कालेज के भवन को खाली कराने के सम्बन्ध में डा0 प्रहलाद कुमार होम्योपैथिक सेवा सदन सन्डीला ने दिनांक 9 अगस्त, 1980 तथा सम्पादक, जन उद्योग साप्ताहिक लखनऊ (श्री लक्ष्मी कान्त मिश्र) ने दिनांक 13 सितम्बर, 1980 को माननीय शिक्षा मन्त्री तथा उक्त सम्पादक के दिनांक 2 जनवरी, 1981 का पत्र श्रीमती महारानी दोहरे की संस्तुति सहित माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो इन प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना हसनगंज (उन्नाव) के अन्तर्गत हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के यहां हुयी डकैतियों व चोरियों आदि की संख्या

60--श्री दलगंजन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत अगस्त, 1980 से 11 फरवरी, 1981 तक कितनी डकैतियां, चोरियां, मारपीट तथा बलवे हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के यहां हुई ? क्या इन मामलों के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ? शासन ने उनकी रोकथाम के लिये कोई विशेष व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज में अगस्त 1980 से 11 फरवरी, 1981 तक 7 डकैती, 9 चोरी, 6 मारपीट तथा 2 बलवे की घटनायें हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के यहां होना पंजीकृत है । इन मामलों में कुल 53 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही होनी थी जिसमें से 29 गिरफ्तार किये गये, 13 हाजिर अदालत हुये तथा 11 की गिरफ्तारी के लिये कार्यवाही की जा रही है । इस अवधि में अतिवृष्टि के कारण बहुत अधिक संख्या में मकान गिरे जिससे अपराधियों को डकैती व चोरी करने में सुविधा रही । इन अपराधों की रोकथाम हेतु ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन किया गया तथा ग्रामों में अधिकारियों द्वारा जाकर ग्रामीणों को समय-समय पर समझाया गया कि पार्टीबन्दी से ऊपर उठ कर ग्राम सुरक्षा हेतु संगठित रूप से काम करें । पुलिस रेगुलेशन में उल्लिखित सभी प्राविधानों का सक्रियता से पालन किया जा रहा है । समय-समय पर विशेष अपराध निरोधक अभियान चलाया गया । पुलिस फोर्स में बढ़ोत्तरी के लिये भरती की जा चुकी है ।

चमोली तथा पौड़ी-गढ़वाल के राजकीय इन्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

61--श्री कुंवर सिंह नगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली तथा पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इन्टर कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद दिनांक 1 फरवरी, 1981 को रिक्त थे तथा उनको न भरने के क्या कारण हैं और कब तक सभी पदों पर नियुक्तियां हो जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर डिग्री कालेज खोलने का कथित प्रस्ताव

62--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय स्तर पर डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

बाराबंकी के जिलाधिकारी के विरुद्ध बार एसोसिएशन का शिकायती-पत्र

63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी के विरुद्ध जिला बार एसोसिएशन द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1980 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

64--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[8 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

65--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[10-3-81 को अतारांकित प्रश्न सं0 66 द्वारा उत्तरित]

66--श्री भीखालाल--

[8 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उन्नाव जनपद की हसनगंज की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें तथा उनकी जांच

67--श्री दलगंजन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 1980 से 11 फरवरी, 1981 तक थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की पुलिस के विरुद्ध सचिव, गृह आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को कितनी शिकायतें क्षेत्रीय जनता द्वारा प्राप्त हुईं ? शिकायतें क्या हैं और उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और सरकार द्वारा उस जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्राविधायी निधि के राजकीय अंश तथा नयी दर पर पेंशन का भुगतान

68--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 को कितने अवकाश प्राप्त शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हुआ है तथा कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नयी दर पर पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आजमगढ़ जनपद में दिनांक 30-12-80 तक 14 अवकाश प्राप्त शिक्षक ऐसे थे जिन्हें प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हुआ था, 20 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें पुरानी दर से पेंशन के स्थान पर नई दर से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ था तथा 21 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें नवीन राजाज्ञानुसार वेतन का आधा पेंशन के रूप में भुगतान नहीं हुआ था।

परमहंस उ0मा0 विद्यालय, देऊपुर हनुमान नगर आजमगढ़ में शिक्षकों के प्रत्येक श्रेणी में पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोटा

69—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमहंस उ0 मा0 विद्यालय, देऊपुर हनुमाननगर, आजमगढ़ में शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग पिछड़ी जाति का आरक्षण पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रवक्ता वेतन क्रम को छोड़कर स्नातक तथा सी0 टी0 वेतन क्रम में पिछड़ी जाति का आरक्षण पूरा है। प्रवक्ता वेतनक्रम में आरक्षण पूरा करने हेतु संस्थाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है।

आर0 बी0 एस0 इंटर कालेज, आगरा की बिचपुरी शाखा के कतिपय शिक्षकों को घर बैठे वेतन दिया जाना

70—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एस0 इंटर कालेज, आगरा की बिचपुर शाखा (आगरा) के 9 अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा जुलाई, 1980 से घर बैठे वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था कैसे चल रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी, बस्ती के शिक्षकों का बकाया वेतन

71—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शांति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी, बस्ती के किन-किन शिक्षकों को गत जनवरी, 1980 से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। वेतन वितरण अधिनियम में अगली माह की 20वीं तारीख तक वेतन भुगतान का स्पष्ट प्राविधान होने के बाद भी 11 महीने तक वेतन बकाया रहने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या सरकार इसको ठीक करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विद्यालय के अध्यापकों को विभाग द्वारा बार-बार निदेश देने पर भी वेतन भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप मंडलीय उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर द्वारा वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत विद्यालय की प्रबन्ध समिति को भंग करके प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर दिया गया है।

गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति

72—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षति पूर्ति वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति न दिये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्न के उत्तर हेतु आवश्यक विवरण अभी एकत्र किये जा रहे हैं।

वीर स्मारक इन्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ में अवैध शुल्क वसूल किये जाने की शिकायतें तथा उनकी जांच

73—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर स्मारक इन्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ में अवैध शुल्क वसूल किये जाने की कोई शिकायतें, शिक्षा विभाग एवं शासन को जुलाई, 1979 में प्राप्त हुयी थीं ? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा उसके क्या परिणाम निकले ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि शिकायतें किनके द्वारा की गयी थीं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर तथा वाराणसी मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें एवं उनकी पदोन्नति

74—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में गोरखपुर तथा वाराणसी मंडल के किन-किन जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत शिक्षा विभाग एवं शासन को प्राप्त हुयी ? क्या इन शिकायतों की जांच करायी गयी ? जांच के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और इनमें कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पदोन्नति कर दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर मंडल के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों का ज्ञापन

75—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों का कोई ज्ञापन माह नवम्बर, 1980 में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को उनके बस्ती जनपद के दौरे के समय प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और इस सम्बन्ध में 30 दिसम्बर, 1980 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में पिछड़ी जाति के आधार पर महिला शाखा में क्लास वन में पदोन्नति

76—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग में पिछड़ी जाति के आरक्षण के आधार पर महिला शाखा में वर्ष 1979—80 में किसी पात्र महिला अधिकारी को क्लास वन में प्रोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो किसे और यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । वर्ष 1979—80 में पात्रता क्षेत्र में पिछड़ी जाति के किसी महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने के कारण उल्लिखित अवधि में महिला शाखा में किसी अधिकारी को क्लास वन में प्रोन्नति दिए जाने पर विचार नहीं किया जा सका ।

जनपद इटावा की ब्लाक औरैया के ग्राम पढ़ीन में जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान

77—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की तहसील औरैया एवं ब्लाक औरैया के ग्राम पढ़ीन में वर्ष 1978—79 में उत्तर प्रदेश शासन ने एक जूनियर हाई स्कूल खोला था और मार्च, 1979 में उक्त जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु 66,200 रुपए शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1978—79 में जनपद इटावा के विकास खण्ड औरैया के ग्राम पढ़ीन में बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधीन एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया था, किन्तु उसके भवन निर्माण हेतु रुपया 66,200 का अनुदान मार्च, 1979 में स्वीकृत नहीं किया गया था ।

सुल्तानपुर जनपद के रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इंटर कालेज, दियरा को आवर्ती अनुदान तथा अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के चयन में अनियमितता

78—श्री सुरेश दत्त पालीवाल—

क्या यह सत्य है कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इन्टर कालेज, दियरा के नाम कोई शिक्षा संस्था चालू है जिसे शासन से आवर्ती अनुदान लगभग 17/18 वर्षों से प्राप्त होता रहा है ? क्या यह सही है कि यह संस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

79—श्री सुरेश दत्त पालीवाल—

क्या यह भी सत्य है कि इस शिक्षा संस्था के प्रबन्ध समिति के व्यवस्थापक ने गत 3—4 माह पहले की अवधि में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का चयन समिति में स्वयं सम्मिलित होकर और एक प्रत्याशी को 50 अंक कर उन्हे नियुक्त कराने में योगदान दिया है ? यदि हां, तो क्या वह प्रत्याशी आरक्षित कोटे में था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

80—श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर भंडारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कितने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में माह जुलाई, 1980 से अब तक विज्ञापन द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को विधायकों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई हैं ? क्या इनमें इन्टर कालेज, बरही, सोनवरसा का भी नाम है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में मापक के अनुसार छात्र एवं अध्यापकों की संख्या

81—श्री लल्लूसिंह चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1:40 के मापक से जनपद मैनपुरी के प्राइमरी पाठशालाओं में कितने अध्यापक होने चाहिए ? इस जनपद के प्राइमरी स्कूलों की छात्र संख्या क्या है ? कितने अध्यापक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में कुल छात्रों की संख्या 1,74,787 तथा उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या 3873 है। अध्यापक छात्र अनुपात के निर्धारित मानक 1:40 के अनुसार छात्रों की उक्त संख्या के लिए 4370 अध्यापक होने चाहिए।

नेहरू विद्यापीठ इन्टर कालेज, रेवतीपुर गाजीपुर की अनियमितताओं के विरुद्ध नोटिस

82--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू विद्यापीठ इन्टर कालेज, रेवतीपुर गाजीपुर की अनियमितताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा निदेशक द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत प्रबन्धक को अक्तूबर, 1980 में नोटिस दी गई है? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं? क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्यवाही में विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनता इन्टर कालेज, जीवपुर गाजीपुर में प्राधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

83--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता इन्टर कालेज, जीवपुर गाजीपुर में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक नवम्बर, 1979 में हटा दिया गया? और उक्त विद्यालय में पुनः सितम्बर, 80 में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया और उसे दो माह बाद कार्य करने से रोक दिया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम समाज इन्टर कालेज, जयनगर जिगनी आजमगढ़ का स्पेशल आडिट

84--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इन्टर कालेज जयनगर जिगनी आजमगढ़ का स्पेशल आडिट कराने का कोई आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा 25-1-80 को हुआ था तथा आडिट पार्टी ने 15-3-80 से 30-3-80 तक आडिट भी किया? यदि हां, तो आडिट आख्या के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उस पर 15 जनवरी, 1981 तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय इन्टर कालेज, डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ के प्रवक्ता श्री चन्द्रमोहन पाण्डेय को प्रशिक्षण अवधि का वेतन

85—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र मोहन पाण्डे प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इन्टर कालेज डीडीहाट जिला पिथौड़ागढ़ ने वर्ष 1978 में सेवाकालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया था ? क्या उनको उक्त प्रशिक्षण अवधि का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आदर्श इन्टर कालेज, मानिकपुर (बांदा) के प्रधानाचार्य का निलम्बन एवं बहाली

86—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इन्टर कालेज मानिकपुर बांदा के प्रधानाचार्य को दिसम्बर, 1980 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ? क्या यह सही है कि उनका उत्तर प्राप्त किये बिना ही उन्हें बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। दिसम्बर, 1980 में नहीं नवम्बर, 1980 में निलम्बित किया गया था।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करना, मनमानी ढंग से कार्य करने, वास्तविक तथ्यों के छिपाने, अनियमित यात्रा भत्ता लेने, कार्य के प्रति उदासीन होने, धन का दुरुपयोग करने आदि के आरोप थे ।

जी नहीं। उत्तर प्राप्त होने के बाद ही निलम्बन आदेश को निरस्त किया गया है।

जनपद गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र महाराज गंज व मुंडेरा बाजार में खाद्यान योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

87—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार जांच कर बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज व मुंडेरा बाजार में खाद्यान्न योजना में कुल कितने किलोमीटर कच्ची सड़कों पर मिट्टी का कार्य (निर्वाचन क्षेत्रानुसार) हुआ है और उस पर कितना खर्च पड़ा है ? इनमें से कौन सी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस समय दे दी गयी हैं ? और क्या यह भी सत्य है कि इनमें से कुछ सड़कों को पक्का करने, पुल पुलिया बनवाने का काम संबंधित बी0 डी0 ओ0 की देख-रेख में होगा ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सड़कें हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर देहात जिले में इन्टर कालेज व हाई स्कूल तथा साइन्स टीचस व छात्रों की संख्या

88--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर देहात जिले में तहसीलवार कहां-कहां कितने इण्टर कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल और हाई स्कूल हैं तथा उनमें स्कूलवार साइन्स के इन्टर कक्षाओं के छात्रों की संख्या अलग-अलग क्या है तथा उनमें कितनों में कामर्स पढ़ाई जाती है तथा उनमें इण्टर के विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 887 पर)

श्रीमती सरोजनी देवी सहायक अध्यापिका कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला, रूदौली (बाराबंकी) के अवशेष वेतन का भुगतान

89--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरोजनी देवी, सहायक अध्यापिका जो इस समय कन्या बेसिक प्राइमरी पाठशाला रुदौली, जिला बाराबंकी में कार्यरत है, का दिनांक 26-8-75 से मार्च सन् 77 एवं अक्तूबर, 77 ई0 तक का वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके भुगतान न करने का कारण क्या है और उक्त 20 माह के बकाये वेतन का भुगतान सरकार कब तक करा देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत अध्यापिका के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है

कानपुर को थाना ककवन की पुलिस द्वारा इनकाउन्टर दिखाकर खरपतपुर की झील के पास कतिपत व्यक्तियों की हत्या में पुलिस के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

90--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि थाना ककवन, जनपद कानपुर की पुलिस ने विगत 20 फरवरी, 1977 को खरपतपुर झील पर 7 निरपराध लोगों की नृशंस हत्या झूठी इनकाउन्टर दिखाकर की थी और उसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की सिद्ध प्रमाणिकता के आधार पर सम्बन्धित पुलिस जनों के विरुद्ध उसी थाना में धारा 302/342/217 218/120 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 1-10-77 को अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मुकदमा कायम होने के उपरान्त तत्कालीन गृह मंत्री ने अपने अ0 श0 प0 सं0 507 टी0 वी0/आठ-11-257 एम/77 गृह (पुलिस) अनुभाग-11, दिनांकित 29 अगस्त, 1978 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचना दी थी ? यदि हां, तो अपराधी पुलिस जनों को अभी तक जेल न भेजने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नगत अभियोग पंजीकृत कराने के बाद अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रचलित रही जो माह जनवरी, 1981 में समाप्त हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अनूपशहर (बुलन्दशहर) के मुहम्मदिया इसलामिया प्राइमरी स्कूल को अनुदान

91—श्री पी0 के0 शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अनूपशहर नगर, जिला बुलन्दशहर के मुहम्मदिया इसलामिया उर्दू मकतब को जो ग्रान्ट 600 रु0 वर्ष मिलती थी वह पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं मिली है ? तथा वह कब तक मिलेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत संस्था मकतब के नाम से नहीं, अपितु मोहम्मदिया इस्लामिया प्राइमरी स्कूल के नाम से एक संस्था अनूपशहर, बुलन्दशहर चल रही है। इस संस्था को बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पूर्व नगरपालिका, अनूपशहर के निजी स्रोतों से सहायता मिलती थी 1972–73 में भी सात मासों तक इसका भुगतान हो गया था परन्तु बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पश्चात नगरपालिका ने ऐसी संस्थाओं को सहायता देना बन्द कर दिया शासन द्वारा भी ऐसे प्राइमरी स्कूलों को आवर्तक अनुदान दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः उक्त संस्था को अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।

टाउन इंटर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण व प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतें

92—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन इंटर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण और प्रधानाचार्य की अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 जुलाई, 1979 से 20 जुलाई, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किससे करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं :

(1) दो अध्यापकों के दिनांक 4–7–78 के वेतन को अवैधानिक कटौती।

(2) अपनी अनुपस्थिति में प्रधानाचार्य द्वारा वरिष्ठता के अनुसार अध्यापक को प्रभारी प्रधानाचार्य को प्रभार न देना।

(3) विभाग के निदेशानुसार इतिहास प्रवक्ता के रिक्त पद पर श्री देशराज यादव की प्रोन्नति हो जाने पर श्री प्रधानाचार्य द्वारा श्री यादव को इतिहास विषय पढ़ाने हेतु अवसर न देना।

उक्त शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई (क्रमांक) 1 से सम्बन्धित दोनों अध्यापकों के अवशेष वेतन के भुगतान का बिल विभाग द्वारा पारित कर दिया गया। क्रमांक 2 की शिकायत के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य को निदेश दे दिये गये कि अपनी अनुपस्थिति में कार्यरत वरिष्ठतम अध्यापक को प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया करें। क्रमांक 3 से सम्बन्धित शिकायत के सम्बन्ध में प्रबन्धक को निदेश दिये गये कि श्री देशराज यादव की पदोन्नति करें। प्रबंधक समिति द्वारा आदेशों का पालन न किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा विद्यालय का एकल परिचालन करके श्री देश राज यादव को प्रवक्ता वेतन क्रम में भुगतान कर दिया गया।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल व इंटर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

93--श्री जसवन्त सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल व इंटर कालेजों में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं एवं शासन द्वारा अभी तक रिक्त स्थानों की पूर्ति क्यों नहीं की गई है? क्या शासन ने हिल कैडर के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षित व योग्य युवक व युवतियों को उन स्थानों पर नियुक्त करने का सरकार ने विचार किया है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कुल 46 पद। नये पदों के सृजन, त्याग-पत्र, सेवा निवृत्ति, प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण आदि के कारण रिक्तियों का उपलब्ध होना एवं उन पर नियुक्तियां/प्रोन्नतियां एक सतत् प्रक्रिया है। हिल कैडर बन जाने पर भी किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थी जो पद की अर्हता रखते हों, नियुक्ति हेतु यथासमय आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का लखनऊ के सरकारी आवासों में अनधिकृत निवास

94--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे शिक्षा विभाग के कितने लोग लखनऊ के सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे लोग भी इन आवासों में रह रहे हैं जो या तो सेवानिवृत्त हैं या स्थानान्तरित हो गये हैं? क्या ऐसे लोग भी इनमें रहते हैं जिनका नगर में अपना निजी मकान है? इन निवासियों को खाली कराने की क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। दो अधिकारी और छः कर्मचारी अनधिकृत रूप से इन आवासों में रह रहे हैं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां।

जी हां।

एक अधिकारी एवं छः कर्मचारियों को भवन खाली करने हेतु शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नोटिस दी गई है। एक अधिकारी के सम्बन्ध में शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इटावा की सहायक बालिका विद्यालय की निरीक्षकों के अवशेष यात्रा भत्ते का भुगतान

95--श्री मुख्तार अनीस--

क्या शासन को ज्ञात है कि जनपद इटावा की सहायक बालिका विद्यालय की निरीक्षिकाओं का विगत कई वर्षों का (वर्ष 73 से 78) तक यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, वर्ष 1973 से 1978 के बिल भुगतान हेतु अवशेष हैं। प्रश्नगत बिलों के अब तक भुगतान न किये जाने के कारणों की छानबीन की जा रही है। भुगतान करने की कार्यवाही भी वरीयता के आधार पर की जा रही है।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में प्रान्तीयकृत विद्यालयों में जे0टी0सी0 अध्यापकों की संख्या एवं उनकी सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्ति

96--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रान्तीय जे0टी0सी0 अध्यापकों की संख्या 1-12-80 तक कितनी है ? क्या उन्हें सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

1-12-80 तक पर्वतीय क्षेत्र (कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल) में प्रान्तीयकृत विद्यालयों में जे0 टी0 सी0 अध्यापकों की संख्या 403 थी। इसमें 32 अध्यापकों को सी0 टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति दे दी गयी, शेष या तो राजकीय विद्यालयों के लिये निर्धारित अर्हता नहीं रखते अथवा ज्येष्ठतानुसार सी0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में नहीं आते अतः जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम पा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र की सूचना संकलित की जा रही है।

राजकीय हाई स्कूल फाटा, जिला चमोली के सेवा मुक्त अध्यापक स्व0 मुकुन्द सिंह रावत की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि का भुगतान

97--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल फाटा, जिला चमोली से 30 जून, 1977 को सेवामुक्त हुए अध्यापक स्वर्गीय श्री मुकुन्द सिंह रावत के परिवार वालों को उनकी ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तथा किस तिथि को उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है ? जो अत्यधिक देरी इनके भुगतान में हुई है उसके लिये कौन दोषी पाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री मुकुन्द सिंह रावत 30 जून, 1977 को सेवानिवृत्त हुये । सेवानिवृत्ति तक वह एक अस्थायी कर्मचारी थे, अतः पेंशन एवं ग्रेच्युटी देय नहीं थी । भविष्य निधि के भुगतान हेतु श्री रावत की ओर से कोई आवेदन नहीं किया गया । श्री रावत का निधन चूंकि सेवा निवृत्ति के बाद हुआ अतः परिवारिक पेंशन देय नहीं है । श्री रावत को सेवानिवृत्ति के पूर्व की तिथि से स्थायीकरण एवं तदनन्तर पेंशन आदि स्वीकृत करने के प्रश्न को जांच कर कार्यवाही करने तथा भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही करने के आदेश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे दिये गये हैं ।

विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों के प्रान्तीयकरण के उपरान्त सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों की संख्या

98—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में प्रान्तीयकृत हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में कितने ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप सेवा से पृथक किये गये जो प्रान्तीयकरण के पूर्व उसी संस्था में कार्यरत थे ? क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

18 अनुचर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) संस्थाओं के प्रान्तीयकरण के बाद नके लिये पद उपलब्ध नहीं थे । उक्त कोटि के शिक्षकों की संख्या तथा उनके वा में न लेने के कारणों की छान-बीन की जा रही है ।

मुरादाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या एवं जेल में श्रेणी

99—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लोग गिरफ्तार किये गये थे ? जो लोग छोड़ दिये गये उनके नाम तथा जो अभी बन्दी हैं उनके नाम बतायेंगे तथा शिक्षित व्यक्तियों को "बी" क्लास जेल न देने का कारण बतायेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

शासन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुरादाबाद में अब तक 41 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधादेश पारित किये गये जिनमें से 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 7 व्यक्ति अभी भी फरार हैं तथा शेष 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है । इनमें से जो लोग छोड़ दिये गये तथा जो अभी भी बन्दी हैं उनके नाम संलग्न सूची 1 व 2 में अंकित है । शिक्षित व्यक्तियों को "बी" क्लास जेल न देने का कारण संलग्न सूची-3 में अंकित है ।

(देखिये, नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 889 पर) ।

पुलिस उपधीक्षक श्री शमी मोहम्मद सिद्दीकी को पुनः निलम्बित किये जाने की मांग

श्री मोती लाल देहलवी--

यह मामला मान्यवर, बहुत गम्भीर है

मान्यवर, हम लोग आश्वासन चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी पुनः उनको निलम्बित करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । अब आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

उनको

(व्यवधान)

पुनः निलम्बित किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल जानना चाहते हैं कि क्या मंशा राजपूत का दूसरा पत्र आया है । यदि हां, तो उसको देखते हुये कि पुनः उनका जीवन खतरे में है और उपाधीक्षक का रिइन्स्टेटमेन्ट ठीक नहीं किया गया है इसलिये इस पर पुनः विचार क्या मन्त्री जी करेंगे कि उनको पुनः निलम्बित किया जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मंशा राजपूत के प्रार्थना-पत्र पर पूरा विचार होगा ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

उनको निलम्बित किया जाय....

(व्यवधान)

(नारे लगाते हुये विरोध पक्ष के कुछ सदस्य सदन के बीच फर्श पर आ गये)

(हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी, हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, कतली खूनी की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री नन्द किशोर सिंह--

हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी एसा नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

(महिलाओं पर बलात्कारी सरकार नहीं चलेगी के नारे)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहन सिंह--

बैठने का सवाल नहीं है ।

श्री खैरूल बशर--

देश खतरे में है । श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुलिस को चेतावनी दिया है कि देश खतरे में है ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य जो खड़े थे वह फर्श पर बैठ गये और बराबर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल आप अपने माननीय सदस्यों से कहें कि अपना आसन ग्रहण करें । मुख्य मन्त्री से इस विषय पर मैं स्पष्ट उत्तर देने के लिये कह रहा हूं । माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदस्यों द्वारा अपना-अपना स्थान ग्रहण करने पर)

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि मंशा राजपूत के पत्र पर क्या विचार करेंगे तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि पूरा विचार करेंगे । यह प्रश्न जबसे आज सदन में प्रारम्भ हुआ है तबसे बराबर पूछा जा रहा है कि यह क्यों रिइन्स्टेट कर दिये गये इतनी जल्दी । इस प्रश्न को और भी एक दायरे में बांध दिया माननीय श्याम सूरत उपाध्याय ने और कहा था कि कब आरोप-पत्र प्रस्तुत हुआ और कब रिइन्स्टेट किया गया ।

इसका महत्व यूं और बढ़ जाता है कि उन्होंने कहा कि मंशा राजपूत का पत्र पुनः आया है कि उसकी जान को खतरा बना हुआ है दूसरे जल्दी रिइन्स्टेटमेंट की बात कही गई, उसका उत्तर दिया गया कि समय अधिक हो गया था, माननीय मुख्य मंत्री जिस वक्त नहीं थे, उस वक्त यह बात हो गई है और सदन के दोनों तरफ के प्रश्नों से ऐसा लगता था कि यह समय कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ था जिसके बीच में यह कार्यवाही आवश्यक थी । बार-बार प्रश्न किया जा रहा है कि पुनः खतरा पैदा हो गया है । मैं आपसे निवेदन करूंगा और बीच में एक बात आई दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने सदन में प्रश्न किया कि न्यायालय में वह उपस्थित नहीं हुए, इसका उत्तर दिया गया कि न्यायालय में उपस्थित नहीं होते रहे तो न्यायालय कार्यवाही कर सकता था ठीक है लेकिन यह बात भी सही है कि हाजिर न होने के कारण कार्यावधि बढ़ती गई और अगर हाजिर हो जाते तो यह अवधि न बढ़ती । इन परिस्थितियों में उनके रिइन्स्टेटमेंट पर और पुनः पत्र आया है इस सम्बन्ध में आप कोई विचार करेंगे उनको निलम्बित करने का या अन्य आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष की भावना को ध्यान में रखते हुए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जहां तक उपस्थिति के कारण कोई टालमटोल करना चाहता है, विलम्ब कराना चाहता है तो टालमटोल नहीं हो सकता है कार्यवाही में विलम्ब न हो इसको देखा जायेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

निलम्बित किया जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री अध्यक्ष ने जो संकेत किया है पुनर्विचार किया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

आपके निर्देश के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी उस बदमाश भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दे रहे हैं यह खेद और अफसोस की बात है । माननीय मुख्य मंत्री को घोषणा करनी चाहिए। उसके सस्पेंशन की इन्होंने घोषणा नहीं किया इस लिए मेरी पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस सम्बन्ध में मेरा दल भी सदन का त्याग करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री खैरुल बशर--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(शोर)

श्री खैरुल बशर--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री खैरुल बशर सदन से बाहर चले गए)

(श्री सूबेदार सिंह भी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

आप उस भ्रष्ट अधिकारी को हटा नहीं रहे हैं । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गए ।)

आजमगढ़ में लालगंज तथा मेंहनगर विधान सभायी क्षेत्रों में ओला-वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 28 मिनट]

श्री त्रिवेनी—

महोदय, निवेदन है कि जनपद आजमगढ़ स्थित लालगंज और मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 20/21 मार्च, 1981 को इतना काफी पत्थर पड़ा है कि किसानों की समस्त फसलें गेहूं, जौ, चना इत्यादि समूल बर्बाद हो गया, तिलहन तो बिल्कुल ही गायब हो गया है खड़ी फसल को इतनी क्षति हुई है कि किसानों में क्षोभ व्याप्त हो गया है । इस परिस्थिति में सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के किसानों का, जिनकी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो, गई हैं सरकारी सहायता देने एवं देय वसूली की वसूलयाबी स्थगित किए जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

वाराणसी की ज्ञानपुर तथा वाराणसी सदर के तहसीलों के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति व राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वृद्धि नारायन सिंह—

महोदय, वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के लगभग 75 प्रतिशत भूखंड पर व वाराणसी सदर तहसील के सेवापुर ब्लाक आराजी लाइन ब्लाक के अनेक गांवों में दिनांक 22-3-81 को इस प्रकार भीषण पत्थर पड़ा । इसके पश्चात बारिस हुई जिससे यहां की रबी की फसलों में लगे दाने व बाल पौधों से छिटक कर जमीन में आ गिरे तत्पश्चात बारिश होने के कारण वे खेतों में सिमट कर मिट्टी के नीचे आ गए जिससे पौधों की डंठलो के अलावा और कुछ नहीं खेतों में रह गया ।

इस भयानक दैवी विपदा के कारण तहसील का हर किसान अतयंत प्रभावित हुआ है इसके साथ ही इन खेतों में व खलिहानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी चली गई । इस पत्थर से उपरोक्त क्षेत्र के लगभग 7 लाख व्यक्ति एवं 3 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है । इस नुकसान का अनुमान इतने शीघ्र लगाना संभव नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही क्षेत्रों को देखा । आगे देखना होगा कि यहां कितने का नुकसान हुआ है ।

उपरोक्त दैवी विपदा को किसी प्रकार की सहायता व छूट तथा माफी से पूरा करना संभव नहीं है फिर भी हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं

कि इस क्षेत्र के किसानों की सिंचाई, बिजली, रेवेन्यू सरकारी ऋण लगान टैक्स ब्याज सभी प्रकार की सरकारी वसूली की छूट दी जाय तथा गत वर्ष के हर प्रकार के बकाये जो किसानों को कृषि कार्य हेतु दिया गया है चाहे वह बैंकों द्वारा हो या सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया हो उसकी वसूली तुरन्त निरस्त की जाय ।

इसके साथ ही जिलाधिकारी को तत्काल लिखा जाय कि यहां के किसानों व मजदूरों को तत्काल राहत पहुंचाई जाय और विभिन्न प्रकार के राहत कार्यक्रम चलाए जायं जिससे छोटे किसानों व मजदूरों को दो समय की रोटी हेतु कुछ धन व अन्य मिल सके ।

सीतापुर नगर में सरायन नदी पर बने अधूरे पुल के निर्माण कराए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

महोदय, सीतापुर नगर में बीचो बीच बहने वाली सरायन नदी पर नगर पालिका सीतापुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से दुर्गापुरवा घाट पर एक पुल का निर्माण 3 वर्ष पूर्व प्रारम्भ कराया गया था । पुल कुछ बना था कि निर्माण में घटिया माल लगाने तथा निर्धारित नक्शे के अनुसार निर्माण न होने की शिकायत मैंने की । उस पर जांच हुई । जांच के परिणाम स्वरूप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना तो दूर रहा परन्तु पुल तब से ही अधूरा पड़ा है । मान्यवर, निर्माण के लिए पड़ा सामान भी उठ गया । गत वर्षों में जो पुल अधूरा बना था उसकी सड़क भी टूट गई ।

मान्यवर, पुल का निर्माण तत्काल प्रारम्भ न कराने से जनता में भीषण असंतोष तथा उत्तेजना है । पुल अधूरा होने के कारण दुर्घटनायें हो जाती हैं । यदि तत्काल कार्य न शुरू किया गया तो कुछ मास बाद वर्षा के कारण फिर अटक जायगा ।

अतएव, मान्यवर, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलंबनीय प्रश्न पर, आपकी अनुज्ञा से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हुआ मांग करता हूं कि पुल ऊंचा तथा चौड़ा करके तुरन्त बनवाना प्रारम्भ किया जाय । जनता में असंतोष इतना गहन है कि यदि कार्य शीघ्र प्रारम्भ न किया गया तो क्षेत्रीय जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी ।

नानपारा नगर में होली के दिन पानी की सप्लाई बन्द रहने से जनता को हुई कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, आपकी अनुमति से आदरणीय सदन तथा सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि नानपारा नगर में वाटर सप्लाई दशहरा, जन्माष्टमी एवं अन्य पर्वों पर अधिकारियों की उपेक्षा एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सदैव आपत्तिजनक रूप से बाधित बंधित अथवा बंद रहा करती है । स्थानीय जनता की शिकायतों के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जटा शंकर सिंह--]

मान्यवर, चिंता की बात यह है कि दिनांक 21-3-81 को होली के दिन जब कि पानी की मूल रूप में महती आवश्यकता थी, तब प्रातः 7.30 बजे वाटर सप्लाई बंद कर दी गई और दोपहर 11 बजे के पश्चात तक बंद रही। जनता के बार-बार आग्रह करने पर भी टंकी का पानी खोला नहीं गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस उपेक्षापूर्ण घनघोर आपत्तिजनक कृत्य एवं व्यवहार के विरुद्ध नगर निवासियों में व्यापक क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव शासन से मांग है कि इस प्रकार की उपेक्षा एवं लापरवाही करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर अपेक्षित जांच कराई जावे और दोषसिद्धि की स्थिति में दंडित किया जावे जिससे भविष्य में जनपदों के निवासियों के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो सके।

बुन्देलखण्ड संभाग में गेहूं के खरीद मूल्य की घोषणा किये जाने तथा क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलंबनीय एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बुन्देलखंड संभाग उत्तर प्रदेश का गरीब तथा पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग असिंचित होने के कारण रबी की फसल का अनाज तेजी के साथ आना शुरू हो गया है। शासन ने अभी तक खरीद के मूल्य घोषित नहीं किये हैं। अल्प जोत का किसान परेशान हो गया है। पिछले कर्ज की तेजी से एवं कड़ाई के साथ शासन के द्वारा वसूली की जा रही है। इस कारण किसान को विवश होकर बाजार में मनमानी भाव से अनाज बेचना पड़ रहा है। किसान अपनी लागत से भी कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। संभाग का किसान आंदोलित हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तुरंत शासन खरीद मूल्य घोषित करे तथा बुन्देलखंड क्षेत्र में सरकारी खरीद के केन्द्र खोले जावें।

विधान सभा सदस्य श्री लटूरी सिंह की गिरफ्तारी की सूचना

[12 बजकर 28 मिनट पर]

श्री अध्यक्ष--

मुझे माननीय सदन को एक सूचना देनी है।

अधीक्षक, जिला कारागार, एटा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 23 मार्च, 1981 में यह सूचित किया है कि श्री लटूरी सिंह, सदस्य, विधान सभा भारतीय दंड विधान की धारा 395/397/364/365/302/20/120-बी के अन्तर्गत थाना पटियाली एटा के अपराध संख्या 170/80 के सम्बन्ध में 23 मार्च, 1981 को कारागार में दाखिल किये गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानकारी चाहता हूं। हमारे नियम 80 में है कि जो गिरफ्तार करेगा वह सूचना देगा। तो अधीक्षक, कारागार की सूचना मिली है, दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट की सूचना क्यों नहीं आयी?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कुछ समय उपरांत)

मान्यवर, मैं गलत समझ गया। यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

जहां वह भेजे गये हैं, वहां से सूचना आयी है।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना सूचना के लिए जाने की मांग

[12 बजकर 29 मिनट पर]

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, विशेषाधिकार के बारे में माननीया गौरी देवी का प्रश्न था, उसके सम्बन्ध में आपने कहा था कि मुख्य मन्त्री जी से जब कुछ आ जायगा तो उसको लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

कल माननीया गौरी देवी ने जो सूचना विशेषाधिकार की जिलाधीश के विरुद्ध दी थी, वह शासन को भेज दी गई थी और कल मैंने कहा भी था कि कल इस सम्बन्ध में बात करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आप को कुछ कहना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, सायं 5 बजे तक इसकी सूचना आपके सामने रख दी जायगी।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मुझे सुन लें।

एक सदस्य--

माननीय सदस्या को सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्या ने कल अपनी बात कह दी है।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, उसका स्थानान्तरण होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही कुछ होनी चाहिए। क्यों उसने हमारे साथ ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष--

यह तो कल बात आ चुकी है। सायं 5 बजे इसका उत्तर आ जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब सूचना आ जाय तो सूचना के बाद आप हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उनकी सूचना आ जाय तो मैं उसके बाद उस पर निर्णय दूंगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1981†

[12 बज कर 29 मिनट पर]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बज कर 41 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। इन 11 सूचनाओं में से 6 सूचनाएं सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटा शंकर सिंह, श्री हरिबंश सहाय, श्री मोहन सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सूबेदार सिंह तथा श्री रियासत हुसैन की हैं। यह सूचना है 23 मार्च, 1981 की रात्रि के लगभग 11 बजे पायनियर लि० लखनऊ के गेट पर अंग्रेजी दैनिक पायनियर के मुख्य सह-सम्पादक, श्री ए० य० सिद्दीकी की हत्या के विषय में और इसके पश्चात् दो सूचनाएं हैं श्री नन्द किशोर और श्री ऊदल की। जो 19 मार्च, 1981 को मिर्जापुर जनपद के रिहन्द बांध में नाव दुर्घटना से 36 व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में और इसके बाद 9 वीं सूचना है, श्री प्रदीप कुमार यादव जी की, जो दिनांक 22 मार्च, 1981 को जनपद बुलन्दशहर के थाना दिवाई के ग्राम दोगांवा में एक सरपंच द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप दो हरिजनों की मृत्यु तथा 20 हरिजनों के घायल होने के संबंध में है। और 10 वीं सूचना श्री मोहम्मद आजम खां की है जो रामपुर रजा टेक्सटाइल लि० में पिछले 4 महीनों से अधिक दिनों से लगभग 350 मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में और 11 वीं सूचना श्री गोपी

†दिनांक 30 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नाथ वर्मा एंव श्री राधेश्याम पटेल की । जो श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने एवं उसकी संस्तुतियों को लागू किये जाने के विषय में है । जहां तक की श्री गोपी नाथ वर्मा की 11वीं सूचना और श्री मोहम्मद आजम खां की 10 वीं सूचना का सम्बन्ध है । इन सूचनाओं के बारे में 19 फरवरी, 1981 को कृषि मन्त्री द्वारा वक्तव्य हो चुका है और 9वीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की, जो ग्राम दोगांवा में हुयी घटना के सम्बन्ध में है, इस पर भी वक्तव्य हो चुका है और 7वीं और 8वीं सूचनाएं नियम 51 में भी हैं नियम 56 के लायक की नहीं हैं । (शोर) जो सूचनाएं नियम 51 में आयी हैं उन सूचनाओं की कार्यवाही नियम 51 के अन्तर्गत होगी और जहां तक बाकी सूचनाएं हैं वह कार्य-स्थगन के पर व्यू में नहीं आती । इसलिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी हैं । और 6 से लेकर 1 तक की जो सूचनाएं हैं, इसको कई माननीय सदस्यों ने दिया है इसलिए इससे सम्बन्धित माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात एक-एक मिनट कह लें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, एक सूचना मैंने 11 नम्बर की दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है । इस पर कुछ कहने के लिए थोड़ा समय दे दें । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाएं, मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है । यह कार्य-स्थगन से सम्बन्धित नहीं है । (शोर)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । कृपया मेरी बात एक मिनट के लिए सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाएं । यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस अध्यक्ष को, जो आपने अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों का अगर वह प्रयोग करें, तो उसको आप मानें, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

पायनियर दैनिक के मुख्य सह सम्पादक श्री ए0 यू0 सिद्दीकी की हत्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

[12 बजकर 40 मिनट पर]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कार्य स्थगन के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है इसमें ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार पायनियर दैनिक के मुख्य सह सम्पादक, श्री ए0 यू0 सिद्दीकी जो अपने संस्करण के काम को पूरा करके नीचे उतर कर आये, कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

कल तो मान्यवर, आपने भी उल्लेख किया था कि चोरी की घटनायें रोज होती हैं। जिस परिस्थिति में हत्या की गयी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे सचिवालय की बिल्डिंग के पास इस तरह की हत्या हुयी है। परिस्थिति विशेष रूप से यह है कि आज जो हमारे पत्रकार हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सही बात को हमारे सामने लाना अपना कर्त्तव्य समझता है, जो सही ढंग से और निर्भीकता के साथ अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करता था, वह आज सही ढंग से व निर्भीकता के साथ अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। अभी मान्यवर, उनसे देश को बड़ी-बड़ी आशायें थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि कानून की हथकड़ियां किसी को रोक नहीं पायेंगी। तो आज हमारी शान्ति और व्यवस्था आज दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आज पत्रकार अपने को सुरक्षित नहीं समझता है। हम अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझते हैं, हम लोग भी अपने को असुरक्षित समझते हैं, आज यहां बोल रहे हैं, कल पता नहीं अपनी बात कहने को हम यहां आ पायेंगे या ना आ पायें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और सार्वजनिक महत्व का भी प्रश्न है। तो मान्यवर, इसे विशेष परिस्थिति में समझते हुये कार्य स्थगन पर विचार किये जाने हेतु स्वीकार कर लें। शायद हम लोगों के मुंह से कुछ ऐसे सुझाव निकल जायं जो शान्ति और व्यवस्था के लिये कारगर साबित हो सकें।

श्री हरिवंश सहाय--

अध्यक्ष महोदय, जब देश के अन्दर पत्रकार साथियों की हत्यायें होनी शुरू हो गई हैं जो बातें सही हैं पत्रकार उनको जनता के समक्ष अब नहीं रख सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि जो पत्रकार देश की बातें, प्रदेश की बातें सही ढंग से, निष्पक्षता के साथ समाज के सामने पेश करता है, जब उसकी हत्या की जायेगी तो कोई सही बात को निर्भीकता के साथ कहने का साहस नहीं कर पायेगा। सही बात न लिखी जायेगी और न छापी जायेगी। सिद्दीकी साहब का कल जो कत्ल हुआ, इसकी ग्राह्यता की मैं मांग करता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आज के "पायनियर" को आपने पढ़ा होगा। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस मस्ट गो आल आउट टू रिगेन पीपुल्स ट्रस्ट--दूसरी तरफ 'पायनियर चीफ सब एडिटर मर्डर्ड' क्या हो रहा है इस प्रदेश में? यह बड़ी लज्जा और शर्म की बात है कि विधान सभा मार्ग पर, विधान सभा के सामने ही एक पत्रकार की हत्या कर दी गयी। इस विधान सभा में इन मुख्य मन्त्री के बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कुछ दिन पहले मान्यवर, बनारस शहर में एक पत्रकार मारा गया। उस समय आश्वासन दिया गया कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही क्या की गयी कि वहां के एस0 एस0 पी0 को हटा कर, उसे सिटी से हटा कर गांव में भेज दिया। तो मान्यवर, इस तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाता है, यह समाज का एक बिम्ब है। यदि इस तरह से हत्यायें होती रहीं और इस तरह से पत्रकार मारे जाते रहे तो हम सब का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भविष्य अंधकार में हो जायेगा। आज लखनऊ शहर की कानून व्यवस्था, लखनऊ की हालत बहुत खराब हो गयी है। यहां निरन्तर इस तरह की वारदातें होती जा रही हैं और हम लोग निरन्तर यहां विधान सभा में इन सारी समस्याओं को उठाते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, यह बहुत ही शर्म की बात है।

मान्यवर, 11 बजे रात में सिद्दीकी साहब की हत्या हुई। वहां के पत्रकार संघ के लोग मुख्य मन्त्री के पास रात ही में गये उनको बताने के लिये कि इस तरह से एक पत्रकार की हत्या कर दी गयी है, तो उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ को बुला लिया, पुलिस आ गयी। फिर वे लोग गये गृह राज्य मन्त्री जी के यहां, वहां उनका दरवाजा खटखटाया। तो प्रदेश के मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री सो रहे हैं, पूरा प्रशासन सो रहा है और पत्रकार मारे जा रहे हैं, जनता मारी जा रही है। इस तरह से मान्यवर, अमानुषिक घटनायें हुई हैं। वह एक नवोदित और होनहार नौजवान थे जिनको मारा गया। यदि इस तरह की अमानुषिक घटनायें होती रहीं तो पत्रकार अपने कर्त्तव्य से च्युत होंगे इसलिये हम इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस शासन से तत्काल त्यागपत्र की मांग करते हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी यह आज का दिन एक काला दिन है इस प्रदेश के इतिहास में और आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के शासन काल में यह काला दिन है। मान्यवर, अब तक तो कत्ल होता था खेत में काम करने वाले मजूरों का फैक्टरी में काम करने वाले मजूरों का लेकिन जिसके हाथ में कलम है और जो देश की किस्मत को बदलने की बात सोचते हैं, जनता की सोई हुई भावनाओं को उजागर करने का काम करते हैं आज उनकी कलम को बन्द करने की साजिश की जा रही है। बनारस में पत्रकारों के साथ हुई घटना सदन में आ चुकी है गोरखपुर में पत्रकारों के साथ.... ।

श्री अध्यक्ष--

आप मुख्य बात कहिये। आज की बात कहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहां ऐसी घटनायें नहीं हुई? लगता है अब पिटाई से काम पूरा नहीं हो रहा है, अब कत्ल की शुरुआत हो गई है। कार्य स्थगन के लिए इससे बड़ा और कौन सा विषय हो सकता है? मान्यवर, मैं आपकी सहमति चाहता हूं जैसा कि हमारे नियमों में दिया गया है तात्कालिक आवश्यकता और अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अगर हमारी प्रक्रिया नियमावली में कोई स्थान है कार्य स्थगन के लिये, अगर इतिहास में कोई औचित्य है तो इसलिये मैं विनम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं इधर बैठे हुये लोगों से और उधर बैठे हुये लोगों से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि बन्द कीजिये सारे काम को। अगर एक दिन बजट पास नहीं होगा तो....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आप आदरणीय सदन के सारे काम को रोककर इस पर चर्चा करायें जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ।

*श्री सूबेदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 56 हमको अधिकार देता है और उसके अन्तर्गत हमने आज यह प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत रखा है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नियम 56 प्रभाव-हीन हो रहा है । और कुंठित होता जा रहा है उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसको आप स्वीकार कीजिये । आप ग्राह्यता की बात कहते हैं यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । कल का घटना है, और पत्रकारों स्वयं अपने में एक वर्ग का प्रतीक है, बुद्धजीवी वर्ग का प्रतीक है । इसलिये मैं विनम्र शब्दों के साथ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप विरोध पक्ष की इस प्रार्थना को स्वीकार करें और नियम 56 के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री जटा शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी राजधानी में रात के 11 बजे ही विधान सभा के परिसर से सटे हुये स्थान पर पायनियर प्रेस कार्यालय पर एक प्रहरी पत्रकार की हत्या कर दी जाय इससे बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण घटना और क्या होगी । रात को कल ही 11 बजे हुई है इसलिये अविलम्बनीय है और अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो नियम 56 कुंठित ही होता चला जायेगा । अतएव यह हर प्रकार से ग्राह्य है । सदन का कार्य रोक कर आप इस पर चर्चा करायें और प्रदेश को इस प्रकार के आशंका अराजकता और भय के वातावरण से मुक्त करायें । इसे अवश्य स्वीकार किया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जनवार्ता, वाराणसी के बाद यह दूसरा काण्ड हुआ । अगर इस सदन के अन्दर इस पर गम्भीरता से चर्चा नहीं होती तो ऐसा हो जायगा कि जैसे एक कनवेन्शन हो जायगा प्रेस वाले लगातार इसी सूरत से मारे जाते रहेंगे । साथ ही साथ इसकी गम्भीरता इस कारण और भी बढ़ जाती है कि जैसे हम तो सुनते आये हैं, पढ़ते आये हैं इतिहास में, कि बड़े-बड़े राजे महाराजाओं के यहां इन्साफ की जंजीर टंगी रहती थी और किसी वक्त कोई भी मुशीबतजदा आदमी उस जंजीर को खींचता तो फौरन राजे महाराजे बाहर आते और पूछते कि क्या बात है इसलिये इसकी महत्वता और बढ़ जाती है कि जब कोतवाली रिपोर्ट लिखाने के लिये गये तो कोई जिम्मेदार अधिकारी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां नहीं था, उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी के यहां गये। मुख्य मन्त्री जी से मिलना तो दूर रहा वहां वे गिरफ्तारी से बच गये। उसके बाद वह राज्य गृह मन्त्री के यहां गये। वहां से भी मालूम नहीं कैसे बच के चले आये। वह तो जब सफाखाने में गये तब पुलिस को मालूम हुआ कि ऐसा हो गया है। इसकी गम्भीरता इससे और भी बढ़ जाती है। जो अखबार 100 साल पहले से इस प्रदेश और देश की सेवा कर रहा हो उसके चीफ सब-एडिटर को इस तरीके से मारा जाय अपने कम्पाउन्ड के अन्दर और अगर इस पर आप अनुमति नहीं देते चर्चा की, तो यह हमारे लिये, इस सदन के लिये, बड़े अफसोस और दुःख की बात होगी कि ऐसी चीजों पर लोक महत्व के प्रश्न पर, हम गम्भीरता से चर्चा नहीं कर सकते।

(मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री ऊदल--

एक मिनट मुझे मौका दे दें, मान्यवर...

श्री अध्यक्ष--

जिनका प्रस्ताव है....

श्री ऊदल--

निवेदन कर रहा हूं, श्रीमन्, एक मिनट मुझे बोलने की अनुमति दे दें।

(अनुमति मिलने पर)

मेरा निवेदन यह है कि इसकी महत्ता इसलिये बढ़ गयी है कि कल यह घटना हुई आज यह कह सकते हैं कि बजट सत्र चल रहा है बजट सत्र में नियम 56 में प्रस्ताव अनुमन नहीं लिया जाता है लेकिन पिछला जो इतिहास है ज्यादा तो नहीं जब से मैं यहां आया हूं सन् 57 से मैं आप से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में भी जब इस तरह की घटना हुई है बजट सत्र में भी ऐसे काम रोको प्रस्ताव को माननीय अध्यक्षों ने स्वीकार किया है उसकी गम्भीरता को देखते हुये और उस पर चर्चा कराई गई है। इतना बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है, शांति व्यवस्था से इसका सम्बन्ध है, हमारे पत्रकारों से सम्बन्धित है जो दरवाजा खटखटाते रहे मुख्य मंत्री जी का राज्य गृह मंत्री जी का और सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लोक महत्व के प्रश्न को आप स्वीकार कर लें। नियमों में कोई बाध्यता है तो उसे सस्पेन्ड करें। यह मेरा निवेदन है।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और जैसा अभी माननीय ऊदल जी ने कहा कई समय बजट सत्र में भी ऐसे अवसर आये हैं जब नियम 56 के अंदर इस तरह की चर्चा हुई है। यही मैं कहूंगा कि एक अजीबोगरीब पर्व होता है इस देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

की होली का जिसमें विभिन्न रंगों से खेल कर हम आये हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी इन्सान के खून से कब तक होली खेलेंगे। बड़ा गम्भीर विषय है, पत्रकारों का मामला है, मैं कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। अगर नियमों में कोई ऐसी बात आती है तो उसमें परिवर्तन कर लें। गम्भीर मसला है मैं चाहूंगा मान्यवर, मुख्य मंत्री स्वीकार करें। जब ऐसा विषय हो कि मुख्य मंत्री जी न मिलें, गृह राज्य मंत्री न मिलें, सोते ही रहें। घटना कल ही हुई है। इससे गम्भीर चीज और नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि आप इसे स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करायें।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह शब्द निकलवा दें जो कि उधर से एक सदस्य ने यह कहा कि मुख्य मंत्री मानवता की खून की होली कब तक खेलते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सिद्दीकी साहब की हत्या पर मैं समझता हूं कि पक्षों का विभेद नहीं है। माननीय नेता विरोधी पक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की हैं कि कोई भी पत्रकार जो निर्भीकतापूर्वक अपने विचार प्रकट करता है, इस तथ्य को सामने रखते हुये उसका जीवन खतरे में पड़े तो यह हमारे लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं उनकी इन भावनाओं से अपने को पूर्णरूप से सम्बद्ध करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जैसा कि मैंने कल ही सदन में यह विश्वास दिलाया है कि कोई भी अपराधी हथकड़ी बेड़ी से नहीं छूट सकेगा। सिद्दीकी साहब की जो अभी तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही हुई है, उसे मैं सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने आई० जी० से आज सुबह सम्पर्क किया लेकिन वे डकैत आपरेशन के सिलसिले में कालपी गये हुये हैं। मैंने एडीशनल आई० जी० से बात की और आदेश दिया है कि वे पूरी कार्यवाही करें और शीघ्र पता लगाकर कठोरतम कार्यवाही की जाय।

मुझे सूचना मिली है कि एक सज्जन कोई एम० पी० सिंह हैं उनको इन्टेरोगेशन के लिये रखा गया है। उनका इन्टेरोगेशन पूरा हो रहा है। मौके पर डी० आई० जी० भी पहुंच चुके थे। मुझे भी इस बात का खेद है कि आज सुबह तीन बजे कुछ पत्रकार लोग आये थे। मुझे आज सुबह इसकी जानकारी हुई। उस समय तनिक भी मुझे इसकी जानकारी होती....

(व्यवधान)

मुझे किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है....

(व्यवधान)

मैं तीन बजे नहीं हर समय मिलने के लिये तैयार हूं।

श्री कंवल--

आपके पहरेदार लोग हमको रोकते हैं और मिलने नहीं देते हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं मुख्य मंत्री से मिलने के लिये 21 बार गया हूं लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया ।

एक सदस्य--

[***] बोल रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं [***] नहीं बोलता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय सदस्य झूठ शब्द को वापस लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय सदस्य ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नौटियाल जी, आप बैठ जायं ।

श्री कंवल--

इन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। यह झूठ शब्द असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही में देख लूंगा । झूठ शब्द बोला गया है या नहीं । वह किसने कहा है, यह मैंने नहीं देखा है....

(व्यवधान)

जो प्रश्न उपस्थित है, जो कार्य स्थगन का प्रश्न है, जिस पर माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसका उत्तर आ रहा है । उसको आप सुनें ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह विषय ऐसा है जिसमें मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसमें बहस की बात नहीं है, पूरा सदन एकमत है। मतों का विभेद भी नहीं है। मुझे भी इस बात का दुख है ऐसे विषय में चाहे रात के 3 बजे हों या 4 बजे हों या सुबह हो, जो इतने महत्व का हो उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और मैं आदेश दे दूंगा कि मैं चौबीसों घंटे जनता की सेवा में उपस्थित हूंगा, मैं हाजिर रहूंगा। अगर कोई ऐसी सूचना आये तो उसकी मुझे अवश्य सूचना मिले। जहां तक कार्यवाही की बात है कार्यवाही की जा चुकी है जिस तरह कल आश्वासन हुआ उसका परिणाम आप देखें और इस पर भी पूरी कार्यवाही की जायेगी। श्री सिद्दीकी के हत्यारों को दंड दिलायेंगे। इस समय सरकार ने अपनी ओर से उनके परिवार को 10 हजार रु0 देने की स्वीकृति दी है। इस पर जो कार्यवाही हो चुकी है वह आपके सामने है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर वक्तव्य देने के लिए आप समय निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कार्य स्थगन को अस्वीकार कर दिया है। वक्तव्य के लिए आप समय बता दें, कब देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, पहली या दूसरी अप्रैल कर दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पहली या दूसरी अप्रैल तो बहुत दूर है यह यहीं लखनऊ का मामला है इसे तो शाम को देना चाहिये। 1 या 2 अप्रैल के माने तो हुये कि हम इसको लाइटली ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

25 तारीख को सामान्य प्रशासन का बजट है 26 या उससे पहले दे दें।

श्री अम्मार रिजवी--

तारीख 26 को दे देंगे।

रजा टेक्सटाइल मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने एक रजा टेक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में दिया था....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, दो मिनट सुन लें....

श्री हुकम सिंह--

बहुत महत्वपूर्ण मामला है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सदन में इस तरह के हर प्रस्ताव पर सुनाना चाहेंगे तो वह मैं कैसे कर पाऊंगा ।

(व्यवधान)

(पंचायती राज मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकम सिंह--

वहां दो हजार मजदूर बेकार पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो रजा टेक्सटाइल मिल के बारे में कह रहे हैं उसे सुन लें । तीन सौ नहीं साढ़े तीन हजार मजदूरों का मामला है । उनको चार महीने हो गये हैं और इतनी बड़ी हड़ताल आज तक कहीं नहीं चली उसके लिए थोड़ा सा समय दे दें । वहां के एम0 पी0 जो कांग्रेस (आई0) के हैं वह उसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाये हुये हैं । इसे पार्टी का विषय बनाये हैं । हम लोग वहां गये हमने किसी मीटिंग में इसे पार्टी का मुद्दा नहीं बनाया । दो मिनट माननीय सदस्य को दे दें । वह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि साढ़े तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं उनको 4 महीने हो गये हैं इतनी बड़ी हड़ताल इस प्रदेश में आज तक नहीं चली ।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । आप सुनें । कार्य स्थगन को मैंने अस्वीकार कर दिया है । इस पर इनका अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हो चुका है उसमें जितना चाहे प्रश्न कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मित्रसेन--

मेरी औचित्य की सूचना है....

श्री अध्यक्ष--

औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अल्पसूचित तो 10, 15 दिन में आयेगा । वहां पर साढ़े तीन हजार मजदूर हड़ताल पर हैं इतना गम्भीर मामला है उस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है ऐसी जालिम सरकार जो मजदूरों की दुश्मन हो ।

(व्यवधान)

उनकी बात सुनने को तैयार नहीं । इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये)

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य, अनुदान संख्या 43--सूचना, अनुदान संख्या 74--पर्यटन, अनुदान संख्या 89-सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 108-पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,23,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य, अनुदान संख्या 43--सूचना, अनुदान संख्या 74--पर्यटन, अनुदान संख्या 89--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या--108 पर्यटन विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग--ऋण और अग्रिम

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 108--पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128-पर्यटन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपके समक्ष इन तीन विभागों की ग्रान्ट्स को रखा है। सबसे पहले सांस्कृतिक विभाग के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा कि यह विभाग वैसे देखने में और ग्रान्ट्स की दृष्टि में एक छोटा सा विभाग लगता है, लेकिन इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुराना इतिहास जो कुछ भी है, उसकी रक्षा का भार इसी विभाग के ऊपर है और उसे जनता तक पहुंचाने और उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का भी काम इसी द्वारा होता है। जितने संग्रालय हैं, जो पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित हैं, जो म्यूजियम हैं, सभी का इस विभाग द्वारा प्रिजर्वेशन होता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक पूरी योजना चलाई जा रही है कि हम अपना इतिहास जानें कि वह कितना खुशहाल और गौरवशाली रहा है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा कि इस विभाग द्वारा हुलासखेड़ा में, जो लखनऊ के पास मोहनलालगंज तहसील में है, खुदाई हो रही है। उसके फलस्वरूप वहां पर हजारों साल पुरानी संस्कृति का पता चला है। यह भी मालूम हुआ है कि उस समय में वह लोग कितने सभ्य थे।

हमारे जो म्यूजियम हैं, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, उसका जो खजाना है, वहां पर वह महफूज है। उससे पता चलता है कि किस प्रकार भारतवर्ष में लोग पहले रहते थे और किस प्रकार उन्होंने तरक्की की थी। आज के लोग उसे देखकर चकित रह जाते हैं कि वह लोग कितने ऐडवांस थे। लखनऊ में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संग्रहालय बनारसी बाग में है और प्रदेश के जो दूसरे मुख्य-मुख्य स्थान हैं, जैसे आगरा, झांसी और अल्मोड़ा वहां पर नये संग्रहालय हम बनाने जा रहे हैं। इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि केवल पुरानी चीजें ही नहीं, जो आधुनिक चीजें हैं। जैसे हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास है' जो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की निधि है, उनके डाकूमेन्ट्स और दस्तावेजों को ऐसी जगह पर सुरक्षित किया जाए कि आने वाली नस्लें देखें कि हमारा भूत क्या रहा है। जहां एक ओर इन्सान चांद और सितारों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है वहां हम पीछे मुड़ कर अपने माजी को, अपने भूतकाल को देखें। हमारी संगीत कला और नाट्य कला है जो आज मिटती चली जा रही है उनके प्रिजर्वेशन का काम इस विभाग के द्वारा होता है। हमारे भारत खंडे और संगीत एकेडेमी ये तमाम एकेडेमीज या संस्थायें हैं, वे सब इस विभाग के द्वारा देखी जाती हैं ताकि ऐसी कलायें महफूज

[श्री अम्मार रिजवी—]

की जा सकें। जहां आजकल इन्डस्ट्रीज की, कल कारखानों की बात करते हैं, जो बड़े-बड़े और महान उद्देश्य हैं, वहां इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि पुराने जमाने की कलायें और इतिहास मौजूद रहे। पुरानी बातों को वे नहीं भूलते हैं। यह न केवल विभाग इन चीजों को महफूज रखने की तरफ ही देखता है बल्कि यह भी देखता है कि कैसे हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

मूर्ति कला का जहां तक सम्बन्ध है हमारे यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे नमूने विदेशों के हैं जिनसे मानव जाति का विकास लिखा जा सके और यह पता चल सके कि किस प्रकार से मानव जाति आगे बढ़ी है और किस प्रकार से उसने तरक्की की है। इन चीजों के एक्सचेन्ज करने की बात भी चल रही है ताकि उनके यहां से और चीजें लें। लखनऊ म्यूजियम में मिस्र से जो ममी आयी थी रखी हुयी है। तो यह विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम इन्डस्ट्री की कोई यूनिट लगा देते हैं तो इसके बाद ही हमारे सामने उसकी बनी चीजें आने लगती हैं लेकिन इसका असर बहुत देर में पता चलता है लेकिन यह हमारे सारे इतिहास और सभ्यता से जुड़ा होता है, पुराने जमाने से जुड़ा होता है। अब इसके सम्बन्ध में जो माननीय सदन के सदस्य अपने अपने सुझाव देंगे, जो विभाग में बहुत सी कमियां हैं क्योंकि कोई भी चीज पूरी नहीं होती है, उनको बतायेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

इसी प्रकार से एक सूचना विभाग है। यह उसका दर्पण होता है जो सरकार अपने कार्य कलापों के जरिए जनता की भलाई के लिए करती है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार वेलफेयर फंड (जर्नलिस्ट्स वेलफेयर फंड) कायम किया गया है जिससे हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, उनकी कठिनाई के समय में सहायता की जा सके। इसके अतिरिक्त जब पालेकर एवार्ड सामने आया तो उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे पहली सरकार है जिसने अखबार के मालिकों को बुलाकर कहा कि अगर वे पालेकर एवार्ड की पाबन्दी नहीं करते हैं तो उनको विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे। यह घोषणा ही नहीं की बल्कि इसके लिए एक कमेटी भी बनायी और उसकी अध्यक्षता लेबर सेक्रेटरी कर रहे हैं और उसके सेक्रेटरी, इन्फर्मेशन डायरेक्टर उसकी मानिटरिंग करेंगे, देखभाल करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे कि जो पालेकर एवार्ड की पाबन्दी नहीं कर रहे हैं सरकार की नीतियों की अवहेलना कर रहे हैं, उनको कोई विज्ञापन नहीं दिया जायेगा।

एक श्री राजा राम शास्त्री की अध्यक्षता में भी कमेटी बनायी गयी थी और वह यह देखती थी कि श्रमजीवी पत्रकार किन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी हालत को दुरुस्त किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको सुविधायें दी जा सकती हैं जिनसे उनको सहायता मिल सके और वे बैठ कर सही काम कर सकें, इन तमाम झंझटों से अलग बैठ कर। एक कमेटी बनायी गयी है, वह भी कार्यशील है। इसी तरह से सूचना विभाग में एक प्रेस कक्ष भी कायम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सारी सूचनायें, जो बहुत से प्रगति के कार्य हो रहे हैं, विभाग के कार्य हो रहे हैं, जो योजनायें उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के साथ चल रही हैं, उनका एक तरह से रैफरेन्स उसी कक्ष में उपलब्ध हो जाता है। वहां पर यह सारी जानकारी हमारे पत्रकार बन्धुओं को मिलना चाहिये। हमारे पत्रकारों को फैक्ट्स ऐन्ड फीगर्स मिलने में कुछ कठिनाइयां आती थीं, बहुत सी सूचनाएं ऐसी आ जाती थीं जो सही नहीं होती थीं, इस सबके समाधान के

लिए एक प्रेस कक्ष बनाया गया है। इससे पत्रकार बन्धुओं को काफी फायदा होगा और सही चीजें सामने आ सकेंगी।

चलचित्र निगम द्वारा भी हमारे प्रदेश में सिनेमागृह बनाये जा रहे हैं। पिछले सालों में यह चल चित्र निगम घाटे पर चल रहा था, मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष यह निगम 13-14 लाख के लाभ में चल रहा है। हमारा यह भी प्रयास है कि सूचनाएं ग्रामीण अंचलों तक भी पहुंचायी जा सकें। चल चित्रों का लाभ ग्रामीण अंचल वाले भी उठा सकें।

डाकूमेन्टरी फिल्मों के जरिये से भी बहुत सी सूचनाएं जनता तक पहुंचायी जाती हैं। सरकार की और भी योजनायें हैं जैसे आई0 आर0 डी0 है, इन सभी द्वारा जनता की भलायी के काम किए जा रहे हैं। इस तरह से सूचना विभाग द्वारा, डाकूमेन्टरी फिल्मों के जरिये से, पत्रकारों के जरिये से, भिन्न-भिन्न पोस्टरों के जरिये से, तथा अन्य जरियों से सरकार के कामों की जानकारी जनता तक पहुंचायी जाती है। हमारी कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं उनकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचायी जाती है।

इसके अलावा ग्राम सभाओं को रेडियो सेट्स भी दिए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर टेलीविजन सेट्स लग सकते हैं, टेलीविजन पहुंच सकता है, वहां पर टेलीविजन भी लगाये जा रहे हैं। टाउन एरियाज में, नगरपालिकाओं में, टेलीविजन सेट्स सूचना विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं।

पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिलों में, पब्लिसिटी के लिए, सूचना विभाग के कार्यालय कायम किए गए हैं ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चल सके।

मान्यवर, सूचना विभाग का काम केवल इतना ही नहीं है कि सरकार के कामों की ही जानकारी जनता तक पहुंचायी जाये, जनता की क्या-क्या समस्यायें हैं, ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण जनता की क्या समस्यायें हैं, उसकी जानकारी भी सरकार को हो सके, यह काम भी सूचना विभाग करता है। उसके लिए भी यह विभाग सजग रहता है।

श्री ऊदल—

26 जनवरी का जो विशेषांक सूचना विभाग द्वारा निकला है उसमें जनता की क्या-क्या समस्यायें निकली हैं, आप कृपया उसे पढ़कर, जब आप अपना उत्तर दें, तो कृपया बतला दें।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

उसे भी पढ़कर जो सूचना होगी मैं आपको बता दूंगा, मान्यवर, उनके आदेशों का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी शहरों में लागू किया गया है ताकि आपस में सद्भावना का वातावरण पैदा हो सके। गीत और नाट्य के द्वारा भी

[श्री अम्मार रिजवी—]

सही बातों की जानकारी जनता तक पहुंचायी जाती है। बहुत से फाक डान्सेस का भी आयोजन किया जाता है। परिवार कल्याण के और बहुत से काम किये जाते हैं। यह सब जनता की भलाई के लिए किया जाता है और इसलिए किया जाता है ताकि जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। मान्यवर, समाचार पत्र जो हैं उनको भी सुविधायें दी जा रही हैं और इस समय काफी हद तक हिन्दी, उर्दू के अखबार जो हैं, उनको सुविधायें दी जा रही हैं। उनको विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। 13 दैनिक और 17 जो हैं फोर्टनाइटली और 91 साप्ताहिक हैं। 26 मासिक अखबार हैं जिनको इस वक्त उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेमचन्द शताब्दी वर्ष सूचना विभाग में मनाया गया। इस साल उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा प्रेमचन्द के ऊपर एक फिल्म भी बनायी गयी है। सम्मानित सदस्यों को भी किसी समय भी दिखाया जायगा। फोटो का इग्जीबिशन भी लगाया जा रहा है। पम्फलेट जो छपे हैं उनकी भी काफी मांग है। इसी तरह से तमाम जो पोस्टर्स वगैरह निकाले गए हैं उनके जरिये से सूचना विभाग के द्वारा जो नीति सरकार की है,

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए)

ताकि उनको निकाल सके। मान्यवर, उसके बाद पर्यटन विभाग आता है। पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूं, कि भारतवर्ष का वह प्रान्त है जहां सबसे ज्यादा पर्यटन की सुविधायें हैं, जहां एक तरफ से ढके हुए पहाड़ हैं दूसरी तरफ रेगिस्तान हैं। इस सिलसिले में जो हमारे सीमित साधन हैं उनमें हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाय और जो बाहर इस प्रदेश में पर्यटक आते हैं, 482 करोड़ रुपया भारतवर्ष को पर्यटन से मिल रहा था। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इससे अधिक धनराशि वह उत्तर प्रदेश को मिले। इस साल यह 1980-85 में 15 करोड़ रुपया हम लोग इसके डेवलपमेन्ट पर खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह धनराशि जो है इतने बड़े प्रान्त को देखते हुए काफी नहीं है। लेकिन जो हमारे सीमित साधन हैं उनको भी सामने रखते हुए यह प्राविधान किया गया। इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि मार्गीय सुविधायें दी जांय और इसके लिए विस्तृत योजनायें बनाई गयी हैं। जो महत्वपूर्ण रूट हैं, लखनऊ से दिल्ली, शाहजहांपुर होते हुए, लखनऊ से दिल्ली, कानपुर होते हुए कपिलवस्तु तक सारे जो सर्किट्स हैं, हर 50 किलोमीटर के बाद एक रेस्टोरेन्ट और 100 किलोमीटर के बाद एक होटल बनाया जाय ताकि वहां से आने वाले पर्यटक लोग फायदा उठा सकें।

मान्यवर, हमारे यहां अधिक पर्यटक आते हैं और वह आगरा से लौट जाते हैं। केवल आगरा ही महत्वपूर्ण पर्यटक की दृष्टि से स्थान नहीं है, बल्कि उसके आगे भी है। इस सिलसिले में जो अभी तक के 58 पर्यटक आवास गृह बनाये गये हैं 2,361 शैयायें उनमें हैं। इसकी संख्या जो है वह और भी ज्यादा बढ़ाई जाय। इसी के साथ-साथ स्वागत कक्ष बनाये हैं जगह-जगह पर ताकि वह एक ही रूक के अन्दर सारी सुविधायें उसी केन्द्र पर हो जायं और यही नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसे केन्द्र अहमदाबाद, चण्डीगढ़, बाम्बे, कलकत्ता में इस प्रकार के केन्द्र बनाये जा रहे हैं और मद्रास में भी एक केन्द्र बन रहा है। मान्यवर, इस प्रकार की और भी जो सुविधायें हैं पर्यटन की तो दूसरे प्रदेशों के साथ भी हम कोआरडीनेट कर रहे हैं। मैं अभी बिहार गया था, वहां पर बिहार के मुख्य मंत्री से बात हुई कि

उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटन में कैसे कोआरडीनेट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी बात हुई कि हमारे पर्यटक जो यहां आते हैं, उनको हम बिहार तक पहुंचायें और बिहार, अपने पर्यटकों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचायें।

हमने केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश में यू० पी० एयरवेज कारपोरेशन बनाने की अनुमति मांगी है ताकि पर्यटकों को हवाई जहाज की सुविधा दी जा सके। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है कि हमारा एयरवेज कारपोरेशन होना चाहिए। जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे—लखनऊ से गोरखपुर का कोई लिंक नहीं है, लखनऊ से आगरा का कोई लिंक नहीं है। इन्हें हवाई जहाज से जुड़ा होना चाहिये। यही नहीं हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों को "गाइडर्न टूरिज्म" में कैसे ट्रेण्ड किया जा सकता है और इसकी व्यवस्था भी की है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कुमायूं मण्डल है, गढ़वाल पर्यटन निगम है और यह उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम है, ये सब मिलकर कोआरडीनेट करें पर्यटन की दृष्टि से और इसके सुधार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि इसके जो साधन हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट ने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है या पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल बिछा दिया है।

मैंने माननीय सदस्यों की सेवा में एक नक्शा भेजा है, जिसमें सारे सर्किट्स जो मैंने बताये हैं, उनको दिखलाया गया है। इसमें माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। सुदूर स्थानों से लोग यहां आये हुये हैं, वे जानते हैं कि कौन-कौन से स्थान रमणीक हैं, महत्वपूर्ण हैं। अगर वे बतायेंगे और मार्गदर्शन देंगे तो हम उनको भी शामिल करेंगे। तो मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य, सूचना और पर्यटन तीनों अत्यन्त मासूम विभाग हैं, इन पर कटौती की तलवार विरोधी दल की नहीं चलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मोहन सिंह जी के खड़े होने पर)

माननीय मोहन सिंह जी, आप बैठें। ग्राण्ट्स पर 3 बजे तक वोटिंग हो जानी चाहिए। इसलिए कम से कम लोग बोलें और कम समय लें। परिवहन की ग्राण्ट्स 3 बजे से आरम्भ होगी।

श्री ऊधल—

मान्यवर, कम से कम एक-एक व्यक्ति को बुलवा दें।

मान्यवर, आपने कहा कि कम सदस्य बोलें और कम समय लें, तो मेरा निवेदन यह था कि एक-एक दल के एक-एक माननीय सदस्य को आप बुलवा देंगे तो समय भी बच जायगा और सबके विचार भी आ जायेंगे

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग- सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-74-पर्यटन विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89-सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108-पर्यटन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 128-पर्यटन विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, संसदीय प्रथा के अनुसार यह हमारी मजबूरी है की मांग की राशि में घटाने का प्रस्ताव किया जाता है और अन्त में उद्देश्य में यह भी बताया जाता है--सुझाव देना और आलोचना करना विभाग की नीति का। अगर अधिकार मिला होता तो प्रस्ताव में यह करता कि अनुदान इतना बढ़ा दिया जाय और बहुत से अनुदानों में मैं बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश करता तथा कटौती का नहीं। अपने प्रदेश में जो परम्परागत लोक गीत हैं उनमें अदम्य शक्ति है समाज को जगाने के लिए। अब अगर सांस्कृतिक विभाग इसे यहां बैठ कर करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। गांव में गाने वाला 'बिरहा, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत और लोक गीत आल्हा जो हैं इनमें एक ऐतिहासिक शक्ति छिपी हुई है। आपके सांस्कृतिक विभाग को प्रयास करना चाहिए कि उसे सुरक्षित किया जाय। ये सारे लोक गीत हमारी परम्परा से चले आ रहे हैं। ये गाए जाते हैं लेकिन लेखन की परम्परा नहीं है इसलिए वे मृत हो रहे हैं। यही स्थिति लोक नृत्यों की है। हमारी यह विडम्बना है कि बाहर के लोग उनको देखना पसन्द नहीं करते हैं लेकिन हम स्वयं उनका प्रचार नहीं करते हैं। बहुत से लोकनृत्य अपने प्रदेश व देश में परम्परा से चले आ रहे हैं। बहुत से परिवार हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा किया है जैसे कत्थक परिवार, तबला वादकों का परिवार। वे मृत होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरातत्व विभाग का जहां तक ताल्लुक है अपने प्रदेश में पुरातत्व की बहुत सी संभावनायें हैं और बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में पुरातत्व का काम हो रहा है, कुछ यह कार्य आपका विभाग कर रहा है लेकिन अफसोस यह है कि जो मानुमेंट्स खुदाई के जरिये मिलते हैं वे केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति हैं, आप उसके केवल कस्टोडियन हैं। कौशम्भी की खुदाई के जरिए इस देश को और प्रदेश की सभ्यता मिली है लेकिन अफसोस है कि उसको आपने नक्शे में लाने की कोशिश नहीं की। बहुत से मानुमेंट्स सुरक्षित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेकिन आपके विभाग ने अनुदान की शक्ल में कोई मदद नहीं की। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से बाहर के हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं। उसे वे देखने आते हैं लेकिन वहां की सड़कें खराब हैं। आपके विभाग की ओर से खुदाई का कार्य हो रहा है। उसे देखने के लिए प्रधान मंत्री हेलीकाप्टर से गई आपके मंत्री भी गए लेकिन जो शोध करने आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। जो बर्न्टवेयर्स मिले हैं वे छठी शताब्दि ईसा पूर्व के हैं। जो खुदाइयां तलहटियों में हो रही हैं वे कई हजार वर्ष पूर्व की हैं लेकिन इस खुदाई के कार्य में जो योगदान आपके इस विभाग का होना चाहिए वह उसे नहीं मिल रहा है। बहुत सूझ-बूझ के लोगों को आपको सांस्कृतिक विभाग में रखना चाहिए। श्री लाल शुक्ला, आई० ए० एस० को आपने अवश्य हटाया। आपने कहा था कि बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने राज दरबार पुस्तक लिखी है लेकिन राजा साहब के दरबार में उनका राग फिट नहीं हो पाया। इसलिए आपने उनको विदा किया लेकिन मुझको खुशी है कि जो आपकी भावना थी कि हर मर्ज की दवा आई० ए० एस० है वह दूर हुई कि बिना आई० ए० एस० के भी काम लोग कर सकते हैं। इसलिए खुदाई के जो काम में लगे हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम करें।

मान्यवर, जहां तक पर्यटन का काम है तो अपने प्रदेश में यह काम महंगा है। विदेशों में यह काम सस्ता है पर्यटकों के लिए क्योंकि उनके पास पैसा है चूंकि वहां सनडे और सटरडे आफ रहता है और शुक्रवार को वह लोग पे पा जाते हैं जिससे वह लोग दो दिन आफ में अपना कुछ पैसा पर्यटन पर खर्च कर देते हैं लेकिन यहां यह है कि लोगों के पास बचत नहीं है। यदि है भी तो उनको अपने भविष्य की गारन्टी नहीं है। इसलिए पर्यटक का जो दिमाग है वह सीमित है, व्यापक नहीं है। मान्यवर, एक कठिनाई यह भी है कि हमारे प्रदेश के शहर बड़े हो रहे हैं और शहर से ऊब कर लोग पर्यटन में जाना चाहते हैं लेकिन साधारण आदमी के लिए जो पर्यटन केन्द्र हैं जो आप होटेल बना रहे हैं जिनमें 35 और 40 रुपए के, एअर कंडीशन कमरे हैं, बेड हैं जो विदेशी लोगों को मिल जाते हैं जो दो डालर, दो पौंड खर्च कर देते हैं लेकिन हमारे लिए वह दो पौंड और दो डालर 38 रुपए के बराबर हो जाते हैं और हमारी दैनिक आय कुछ नहीं है लेकिन विदेशी लोगों के लिए दो पौंड कुछ नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए यह खर्चीला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पर्यटक केन्द्र बने हैं उनमें अपने प्रदेश के लोगों के लिए होस्टल ऐसे बनायें जिसमें 5 रुपये में एक बेड एक रात के लिए सप्लाई कर सकें। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

[श्री मोहन सिंह--]

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह भी व्यवस्था की जाय कि दुधवा नेशनल पार्क, चन्द्र प्रभा का पशु विहार, नेशनल कारबेट पार्क की स्थिति हिन्दुस्तान के हर बड़े राष्ट्रीय पार्क से अच्छी है, मैंने स्वयं देखा है बिहार में कांची रंगा पार्क में दो बातें हैं कि वहां का रखरखाव बन विभाग करता है और वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग करता है, 350 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वहां सुन्दर बस की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे यहां बाहर का कोई व्यक्ति आये और दुधवा नेशनल पार्क तक जाना चाहे तो सड़क जितनी अच्छी है उसको सभी जानते हैं, इसी तरह महमूदाबाद के आगे सड़क की स्थिति है क्योंकि वहां से कोई मिनिस्टर नहीं हुआ है जो अनुदान लेकर सड़क को बनवा सके, इसलिए इन नेशनल पार्कों तक जाने के लिए सड़कों और बसों की अच्छी स्थिति होनी चाहिए । इसके लिए पार्यटन विभाग पार्कों तक पहुंचने के लिए सड़कों को बनाने का काम अपने अन्दर ले और सड़क बनाये क्योंकि वह पर्यटन के विकास के लिए पूंजी लगाना लाभप्रद ही होगा और इससे फिर पूंजी का सृजन होगा और जो ब्लेकमनी है उसको व्हाइट करने में आसानी होगी । क्योंकि पर्यटन का रोल अपनी अर्थ व्यवस्था में है । इसलिए जो हमारे सुझाव हैं उनको आप मान सकें तो आपकी कृपा होगी ।

मान्यवर, अब मैं सूचना विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । सूचना विभाग का काम जैसा आपने बताया कि केवल सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं है किन्तु व्यवहारिक रूप से देखें तो हर सप्ताह एक बुलेटिन जारी करते हैं, विधायकों को वह मिलती है, उसमें कितना असत्य होता है कि उसको आप स्वयं पढ़ें तो मालुम होगा । प्रदेशीय समाचार सुनें प्रातः 8 बजे तो उसमें घोषणा होती है कि 17 घंटे बिजली देने का फैसला सरकार ने कर लिया है । हम लोग खुश हो जाते हैं । लेकिन 7.15 पर प्रदेशीय समाचार सुनें तो फिर विद्युत् सप्लाई की सूचना जारी होती है ।

[1 बजकर 45 मिनट दोपहर]

उन सूचनाओं को सुनिये जो सूचनायें आती हैं तो आप सुनेंगे रात 10 से 6 बजे सुबह तक बिजली दी जायेगी, अमुक सेक्टर में 6 बजे सुबह दिन से 12 बजे दिन तक केवल 6 घंटे और कहीं-कहीं बहुत विशेष कृपा हो गई तो 8 घंटे बिजली दी जाती है और घोषणा होती है कि 17 घंटे बिजली दी जायेगी । आप अवलोकन करें तो आपको स्वयं एहसास होगा कि कितनी बड़ी झूठ है इसमें जो सामान्य जन जीवन से सम्बन्धित है कितना झूठा प्रसारण किया जाता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग अपनी एक पत्रिका प्रकाशित करता है उसमें आपका लेखा आ जाता है, राजदरबारियों के लेखा आ जाते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी लोग जो पढ़ने-लिखने का काम कर सकते हैं उनके ऐसे लेखा जो आलोचनात्मक है उनको आप काट दें लेकिन जो सुझाव के हैं उनको प्रकाशित करने की आप कोशिश करें । इसके बारे में समन्वित दृष्टि अपनाये जाने की जरूरत है ।

सूचना विभाग पत्रकारों की आपस राजनीति में दखलन्दांजी करता है, उनकी राजनीति में दखल देता है । सूचनाए विभाग का यह काम नहीं है उसको निरपेक्ष भावना से काम करना चाहिये । मान्यवर, आपने सूचना विभाग में इतने बड़े अफसर रखा है किन्तु उसके बाद भी आपने एक सुपर अधिकारी वहां रख दिये वह काम क्या करेगा, सलाह देगा वह अधिकारी । मैं इलाहाबाद में बहुत दिनों तक रहा मेरी राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई है । मैं आरोप

प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, कितनी रुचि है उनकी कितना योगदान कर सकते हैं चलचित्र निगम सूचना विभाग में है, वहां भी आपने सलाहकार भेज दिया, सूचना निभाग में निदेशक है, चलचित्र निगम के जो एम0 डी0 हैं अगर उनकी कार्यक्षमता पर आपको विश्वास नहीं है तो उनको हटाइये, अगर विश्वास है तो इनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। किसी ने राजनीतिक जीवन में बचपन में आपको मदद किया है उसको पुरस्कृत करने के लिए 15 सौ रुपये पर रख दिया। आपने कहा हम अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए। मैं कहता हूं इस गरीब खजाने का 15 सौ मासिक वेतन, उनको घर चाहिये, मोटर गाड़ी चाहिये, टेलीफोन चाहिये, दौरे के लिए भत्ता चाहिये, उनको टाइपिस्ट, स्टेनो, पी0 ए0 चाहिये और उनकी जान की रक्षा के लिए एक शैडो भी चाहिये और इसके प्रकरान्तर में जो खर्च है उसका कोई जिक्र नहीं है।

मान्यवर, यह सूचना विभाग विज्ञापनों के सम्बन्ध में बड़े अखबारों के साथ पक्षपात करता है। छोटे अखबारों पर कहते हैं बहुत पैसा विज्ञापन का बाकी है। इन्होंने इस सम्बन्ध में तीन सिस्टम किए। एक कन्टेक्ट सिस्टम, एक ड्राफ्ट सिस्टम और तीसरा कैश पेमेन्ट। कैश पेमेन्ट में छोटे अखबारों से बहुत रिश्वत मांगी जाती है जो रिश्वत दे देती है उसकी बारी आती है। आपने कहा कि हम पालेकर एवार्ड को लागू करेंगे। आपने घोषणा की और सबसे प्रमुख उद्योपति अखबारों का दैनिक जागरण उसने पालेकर एवार्ड को लागू नहीं किया और उसके साथ मुख्य मंत्री जी दावतें उड़ा रहे हैं। तो उनको दंडित करने का काम कौन करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि पालेकर एवार्ड न मानने वालों के खिलाफ आपने कहा था कि उनके विज्ञापन बन्द कर देंगे। आपके पास क्या कोई फेहरिस्त है कि किन लोगों ने इसको लागू नहीं किया है, क्या उनको कोई नोटिस विज्ञापन बन्द कर देने के बारे में दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से पालेकर एवार्ड आया है, इलाहाबाद का 'भारत' बरेली का "विश्व मानव" अखबार बन्द हो गये हैं। 500 श्रमजीवी पत्रकार आज सड़क पर बेकार घूम रहे हैं। आपने कहा है कि एक कमेटी बना दी है शास्त्री जी की अध्यक्षता में जो सुझाव देगी। शास्त्री जी बेचारे आदरणीय कुलपति रहे हैं, समाजशास्त्र के विद्वान हैं लेकिन पत्रकारिता से उनका कहां रिश्ता रहा है यह मैं जानना चाहता हूं। आपने यह कमेटी केवल इसलिए बनायी है कि यह सवाल कुछ समय के लिए टल जाय, असेम्बली बन्द हो जाय और बात खत्म हो जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि पालेकर एवार्ड के सम्बन्ध में जिन बड़े उद्योगपतियों ने अखबार बन्द कर दिये हैं सरकार तत्काल उनका अधिग्रहण करके, उनकी सहकारी समितियां बनाकर, उन अखबारों के पत्रकारों के नियंत्रण में उनको देकर चलवाने में भरपूर मदद करें, यह मैं सुझाव देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव कष्ट पूर्वक पेश करता हूं और यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो हमारे सुझाव हैं उनको ध्यान में रखेंगे और उन्हें अविलम्ब लागू करेंगे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय,...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय 5 मिनट है। माननीय सदस्य 5 मिनट में समाप्त करने का कष्ट करेंगे।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव जो हमारे माननीय अम्मार साहब ने पेश किया है, मैं उस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट का तो मैं समर्थन करता हूं परन्तु इतना कम धन इसमें है और यह इतना बड़ा व्यापक विभाग है जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, सबसे पहले मैं सांस्कृतिक विभाग पर आता हूं, सांस्कृतिक विभाग के विषय में आपने बहुत ही थोड़ा धन इसमें रखा है। आप यह जानते हैं, भाई मोहन सिंह ने बहुत अच्छे सुझाव दिये कि आज जो हमारी सांस्कृतिक परम्परायें जो देहातों में हैं कुछ उन्होंने उनका उद्धरण दिया है। आल्हा, बिरहा, मिर्जापुर की कजरी वह भूल गये। यह जो हमारी पुरानी परम्परायें हैं, जो हमारी भारत की पुरानी संस्कृतियां हैं इन सबको जोड़ने के लिए अगर आप कुछ लाख रुपये पूरे प्रदेश के लिए रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। 58 जिले हैं, कम से कम आप इतना जरूर कर दीजिये कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां आपके डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं वहां पर कम से कम एक आडीटोरियम की व्यवस्था आप करा दें।

आपकी जो सांस्कृतिक संस्थायें हैं, जो वालंटियरी संस्थायें हैं जो हमारी कला और साहित्य को सहयोग देते हैं उन्हें हमने किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी है। उनके पास अपने भवन नहीं हैं जिससे कि वह वहां पर कोई चीज कर सकें तो इनकी भी कुछ इस तरह की सहायता करें। उत्तर प्रदेश गीतकारों, कलाकारों और संगीतकारों का भंडार है। हिन्दुस्तान के आप किसी स्थान को देखें, चाहे चित्रपट को लें या और किसी चीज को, सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। चाहे वह बनारस के कलाकार हों या वह मजरूह सुलतानपुरी हों, एक से बढ़कर एक कलाकार उत्तर प्रदेश में हैं।

तो श्रीमन्, आज कलाकारों की हालत खस्ता हो गयी है, आप उनको जीवन यापन के लिए कोई वेतन नहीं दे सकते, कोई पेन्शन नहीं दे सकते तो इससे कैसे काम चलेगा और कैसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा सुझाव है कि जो वालंटियरी संस्थायें हैं आप उनको सहायता देने की कृपा करें। और कम से कम डिवीजनल हेडक्वार्टर पर एक-एक भवन का निर्माण करायें जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्परायें बरकरार रहें। सांस्कृतिक कार्य कलापों का जहां तक सवाल है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक ऐसी कमेटी मंत्री जी बनायें, एक वैल्यूएशन कमेटी बनायें जिससे इन चीजों का हमेशा लेखाजोखा होता रहे।

मैं अब पर्यटन विभाग पर आता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह विभाग निश्चय ही सराहनीय कार्य कर रहा है परन्तु जो पर्यटक गृह बन रहे हैं, वह मंहगे हैं, छोटे लोगों की क्षमता से वह बाहर हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए वह अच्छे हो सकते हैं। जैसा कि भाई मोहन सिंह जी ने कहा आप 5-10 रुपये के लगभग उनके लिए कर दें जो हमारे यहां के रहने वाले हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अन्दर महात्मा बुद्ध और जैनों के बहुत से तीर्थ स्थान हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे ही राम और कृष्ण की जन्मभूमि है चित्रकूट का स्थल, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी जहां प्रति दिन पर्यटक जाता है। सबसे पहले श्रावस्ता से लुम्बनी को जो रास्ता जाता है वह सीधा नहीं है, तो आप उसके लिये सीध रास्ते को निकाल सकते हैं। वहां पर नवगढ़ से होते हुये लुम्बनी का सीधा रास्ता निकालने का आप प्रयत्न करें।

मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कम से कम 50-50 मील पर पर्यटकों के रहने, खाने तथा आवास की व्यवस्था की जायेगी और की गयी है। मैं आग्रह करूंगा कि प्रतापगढ़ की लखनऊ, वाराणसी रोड, इसी तरह से इलाहाबाद फैजाबाद और गोरखपुर रोड के चौराहे पर इस तरह से आवास, खान-पान की व्यवस्था बनवाने की कृपा करें और पर्यटकों के लिये आवास खोलने की भी व्यवस्था करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पर्यटक विभाग द्वारा सस्ते दर पर, पैसे देने पर भी बहुत अच्छी सुविधा और व्यवस्था हमारे यहां नहीं है और रोड भी अच्छी नहीं है, तो कृपया माननीय मन्त्री जी इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी चीज, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो क्रान्तिकारी नेता रहे हैं। राजनीतिक नेता रहे हैं, उदाहरण के लिये जैसे चन्द्रशेखर आजाद की जन्म भूमि बदरवा जो उन्नाव में है, वहां भी पर्यटक स्थान बनवाने की कृपा करें, जहां वे गोली से मारे गये थे, उस स्थान को भी पर्यटक स्थान में बदलने की कृपा करें, वहां पर पर्यटकों के लिये अच्छे खान-पान की भी व्यवस्था करें।

साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह सब चीजें मैं आपसे कह तो गया लेकिन पूरी छठी पंचवर्षीय योजना में इसके बजट में कुछ ही रुपया रखा गया है सांस्कृतिक कार्यों के लिये, जो बहुत ही नामिनल है। जब तक यह बजट नहीं बढ़ेगा, यह सारे कार्य होने वाले नहीं हैं। मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह महज कटौती के लिये नहीं है, यह वे भी समझ रहे हैं और वह इससे सहमत होंगे कि इस कटौती के प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। यह जो कटौती का प्रस्ताव जो मोहन सिंह जी ने रखा है, इसको वे वापस ले लें।

मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये जो मैंने सुझाव रखे हैं उनको वो कारगर करने का प्रयत्न करें क्योंकि ये ही हमारे देश की और परम्पराओं को पेश करते हैं। पर्यटक स्थल पर खान-पान की सस्ते दर पर व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि इन कामों के लिये मान्यवर, आप अधिकतम बजट दें जिससे कि हमारे प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था सही ढंग से कायम हो सके और सब लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। आज कहीं-कहीं पर्यटक स्थलों पर विदेशी लोग आते हैं, वहां की सारी व्यवस्थायें बहुत ही महंगी है। यह ठीक है कि आपको उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है परन्तु जो इस देश का रहने वाला है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वह महंगी इतनी आवास व खान-पान की व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाता है।

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—]

इन शब्दों के साथ पुनः मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मोहन सिंह जी के कटौती का प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी को योग्य कहूं या अयोग्य कहूं यह कुछ समझ में नहीं आता है। योग्य इसलिये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बड़ी रंगीन तस्वीरें और लिटरेचर पढ़ने के लिये दिया है और अयोग्य इसलिये कि यह खुद नाकाबिल साबित हुए हैं, एडवाइजर ऊपर बैठा दिया गया। अब हालत यह है कि मैं इसके लिये एक शेर सुनाना चाहता हूं इसलिये कि यह शेर ऐसा है जिससे भागने की जरूरत नहीं है, वैसे लोग शेर को तो देखकर ही भागते हैं।

"क्या कहूं इसको मैं बदबखा यह नेशन के सिवाय,
इसको आता अब नहीं कुछ इमीटेशन के सिवाय।"

वैसे तो यह आते हैं ऐसे तहजीब और तमद्दुन के घराने से, जो कई सौ सालों से तहजीब और तमद्दुन का केन्द्र रहा है और हिन्दुस्तान की तहजीब तो पूरी दुनिया के अन्दर मशहूर है, जिससे इनका सम्बन्ध तो पुराना है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुये बड़े चेन्ज आप में देखे गये हैं। अब आपको शौक नाच-गाने और ड्रामों वगैरह का हो गया है। और कुर्ते पायजामे से अब बेलबाटम पर आ गये हैं। वैसे बीच में बन्द गले का कोट भी देखा गया था और अब फिर पैंट और बुशर्ट में देखे जा रहे हैं। मैंने एक खबर सांस्कृतिक कार्य-क्रम के बारे में अखबार में पढ़ा था, पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ कि वह मामला अदालत में पहुंच गया है, क्योंकि कुछ उसमें पैसे की गड़बड़ी हो गयी है। यह जानकर बड़ी तकलीफ हुयी। तकलीफ इसलिये और ज्यादा हुयी कि इस पैसे की मन्जूरी इस हाऊस से हो रही है।

साथ ही एक बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं टूरिंग डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में। जितनी चीजें देखने के लायक हमारे सूबे के अन्दर हैं, वह-वह चीजें किसी और सूबे में नहीं हैं। दुनिया के अजायबात में से अगर देखा जाये तो वह हमारे यहां है आगरे का ताजमहल। किसी भी मुल्क का आदमी यहां आता है तो वह ताजहमल जरूर देखता है। ताजमहल के देखने के साथ-साथ जो भी चीजें हैं आपके यहां, जिनसे बहुत सा पैसा आपको फारेन का मिल सकता है, लेकिन हमारे यहां के टूरिंग डिपार्टमेंट की जो पालिसी है, उसके तहत वह पैसा नहीं मिल पाता, जो मिलना चाहिये। वह पैसा कश्मीर वाले, हिमाचल और हरियाना वाले ले जाते हैं और आप अपने यहां की जुगराफिया को देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या-2 चीजें हैं, काशी है, पिण्डारी गैलशियर है, ताजमहल है और भी बहुत से नेचुरल चीजें है, नैनीताल है इन सब के बावजूद भी जो फारेन करेन्सी हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती। इससे तो यही समझ में आता है कि हमारे पर्यटन विभाग की जो पालिसी है, वह अन्य सूबों से भिन्न और इसके अलावा यहां जो मोटे तौर पर कमी है, वह यह कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग में आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इरीगेशन वालों को बिजली वाले कोआपरेट नहीं करते, जिससे सारा सिंचाई का काम ठीक नहीं और पी0 डब्ल्यू0 डी0 वालों को सप्लाई डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं, सीमेंट नहीं मिलती जिससे सारे काम वक्त पर नहीं होते। और वक्त पर नहीं होता उससे बजट बढ़ता है। पर्यटन वालों को बिजली वाले, इरीगेशन और पी0 डब्ल्यू0 डी0 अपना समय से सहयोग नहीं देते तो यह टूरिंगतो डिपार्टमेंट कैसे डेवलप करे। अगर यह सब एक साथ मिलकर काम करें, कोई रास्ता बेहतरी का निकल सकता है।

दूसरे नेशनल हाईवे के बारे में और उसकी ऐमीनिटीज के बारे में कहा। तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईड पार्क को असल रूप में जो देखने के लिये आता है तो यह नेशनल हाइवे नम्बर 24 है। इसमें जगह-जगह जैसे मुरादाबाद, रामपुर के बीच में एक जगह है दलपतपुर वहां ऐसी सुविधायें, आसानियां दें जो बाहर से आने वालों को मिल सकें।

अब आपके विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुलिस में एक डी0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 बन गया, स्वास्थ विभाग में पी0 एम0 एस0 ज्वाइंट डाइरेक्टर बन गया, सिलवर जुबली होने जा रही है और विभाग तो मनाते हैं। पता नहीं आप मनायेंगे कि नहीं, लेकिन आपके यहां वही स्टाफ, ज्यों का त्यों है। आपके विभाग का हर कर्मचारी, अधिकारी दूसरों की जेब से पैसा निकालना चाहता है लेकिन पैसा तभी निकाल सकते हैं जब वह सन्तुष्ट हो।

नेशनल इन्टीग्रेशन के बारे में, सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम का महत्व है। इनका कोई केन्द्र आप को बनाना चाहिये। कबीर को लेकर, गालिब को लेकर बनायें, इस तरह से जो पुराने मेले हैं उन को ले कर आप केन्द्र बनायें। इन बातों को कह कर मैं एक बार फिर आशा करूंगा कि मोहन सिंह जी ने और लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, हम लोगों का काम है कटौती का प्रस्ताव रखना, क्योंकि आप ताकत के नशे में सही और गलत का अन्दाज नहीं कर पायेंगे, मुझे आशा है आप मानेंगे और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेनी--

माननीय पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं तथा भाई मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसका विरोध भी करता हूं। बजट को देखते हुये मैं समझता हूं पर्यटन, सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग को देखते हुये यह कुछ भी नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

राय साहब तो सब दिन भर कल्चरल प्रोग्राम मुफ्त पेश किया करते हैं।

श्री त्रिवेनी--

हमारे प्रदेश को, हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। यही राम-कृष्ण, कबीर, गौतम बुद्ध, सर सैयद, तुलसी दास की जन्म भूमि है। राजा पुर बांदा में चित्रकूट इतना रमणीक स्थान है जिसको सारी दुनिया के लोग देखने आते हैं। हमारे देश के

[श्री त्रिवेनी--]

सबसे बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन हमारे प्रदेश के थे, सर सुलेमान भी यहीं पैदा हुए, भाई मोहन सिंह जी इतिहास को दोबारा पढ़ लें। हमारे इस प्रदेश में गंगा-यमुना बहती है, बड़े-बड़े पर्यटन स्थान हैं जहां हमारा यह विभाग बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। अतः माननीय मन्त्री जी कृपया इस बजट को और बढ़ायें। इतने कम बजट में सब अधूरा-अधूरा दिखाई देगा। ऐसे पर्यटन केन्द्र खोले जायें जहां दुनिया के लोग आते हैं, हमारे देश, प्रदेश का नाम सुन कर आते हैं, एक तरफ यह धार्मिक स्थान है तो दूसरी तरफ राजनीतिक। चन्द्र शेखर आजाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म भूमि यही प्रदेश है जिन्होंने देश को दिशा दी है, प्रकाश दिया है। प्रयागराज, तीर्थों का राजा कहा जाता है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। भाई मोहन सिंह जी का देवरिया है, वहां कुशीनगर है, उसका भी नाम ले लूं वरना वह नाराज हो जायेंगे। वह भी एक ऐतिहासिक स्थान है।

एक बात और कहना चाहता हूं। महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म भूमि लुम्बनी है। वहां का रास्ता बड़ा लम्बा-चौड़ा तय करना पड़ता है। नौगढ़ होते हुए ककरइया होते हुए लुम्बनी में अगर रास्ता मिला दिया जाय तो पर्यटकों को परेशानी ही नहीं होगी यह ऐसा स्थान है जहां दुनिया के लोग आते हैं। कल्चरल प्रोग्राम में भोजपुरी नृत्य बृजपुरी नृत्य आदि लुप्त होते जा रहे हैं। अतः जो इनके विशेष विशेषज्ञ हैं उनको पुरस्कार देकर, छात्रों को स्कालरशिप देकर इसको उठाना चाहिए। अन्य प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए धन की आवश्यकता है। अतः उसका प्राविधान बजट में होना चाहिए। सूर आदि पर सारे देश के लोग रिचर्च कर रहे हैं, इतने बड़े कवि थे जितना आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ, इनसे हमारा मान, प्रतिष्ठा है। मान्यवर, जिन चीजों से हमारे देश, प्रदेश का नाम हो, हमारा मस्तक ऊंचा उठे उन चीजों के लिए धन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं भाई मोहन सिंह जी से कहूंगा कि अगर कोई कार्य सराहनीय है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो भी सीमित साधन हैं मन्त्री जी को उसमें अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। मोहन सिंह जी, भगवान ने आंख दी है, सही गलत काम को देखें। इन शब्दों के साथ में बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और कहता हूं कि बजट को मन्त्री जी और बढ़ावें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पहले तो मैं सूचना विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि सूचना विभाग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है इसमें मान्यवर, कोई सन्देह नहीं है। इसकी दो तरह की जिम्मेदारी है एक तो सरकार की बात को जनता तक ले जाना, दूसरे जनमत को शासन तक ले आना लेकिन मान्यवर, लगता यह है कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी की कुशलता में कोई अविश्वास हो गया है और इसीलिए अगर विश्वास ही होता तो उन्हीं के विभाग में दो-दो सलाहकारों की नियुक्ति न की जाती और सलाहकार भी ऐसे नियुक्त किये गये हैं जिनको सदियों से इस बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है।

अभी मुख्य मन्त्री जी का कोई लेख प्रकाशित हुआ था और उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें सलाहकार बना दिया। सूचना विभाग के प्रमुख अधिकारी के पद पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति कर दी गई है जिस व्यक्ति की चरित्र पंजिका इतनी खराब है और जिसके बारे में मैंने पहले भी इसी आदरणीय सदन में पिछली बार विधान सभा में यह चर्चा उठाई थी, उस समय हिन्दी संस्थान के वह सचिव थे उस समय यह मामला इस विधान सभा में उठा था और केन्द्र सरकार को भी लिखा गया था और उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने उनको अपने पद से हटा दिया था लेकिन उसके बाद सूचना निदेशक जैसे महत्वपूर्ण विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया ।

इससे मान्यवर, मन में यह संदेह पैदा होता है कि शासन जान-बूझकर सूचना विभाग को एक जकड़न में बन्द करना चाहता है कि उसका काम केवल सरकारी मामलों का विज्ञापन करना नहीं है, जनता की बातों को भी यहां लाना है । इस दृष्टि से अगर देखें तो सूचना विभाग में एक निरीक्षका विभाग होता है उसका काम जनतन्त्र प्रणाली के अनुरूप काम करना होता है । यह पत्रकारों का ही काम है कि वह ऐसी खबरें छापते हैं और इसके लिए मान्यवर वह बधाई के पात्र हैं । अगर पत्रकारों ने हिम्मत न की होती तो सब मामले छिपे रहते, राजभवन की तलवार का मामला छिपा रहता, जो वाटरगेट कान्ड हुआ वह छिपा रहता, यह दो किशोर पत्रकारों की ही हिम्मत थी जो प्रकाशित हुआ । मैं कहना यह चाहता हूं मान्यवर, कि जो कतरनें जाती हैं उसके पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है । जिलाधिकारी के अधीन निरीक्षक होता है और उनके पास इतना काम होता है कि वह सब काम पूरा नहीं कर पाते हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जनता की समस्यायें, उसकी आलोचनायें सरकार तक पहुंचे और उसके लिए निरीक्षका शाखा को संगठित करना चाहिए और प्रत्येक जिले में ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जायं । यह भी देखना जरूरी है कि जो शिकायतें पहुंचें उनके ऊपर कार्यान्वयन हुआ या नहीं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

अधिष्ठाता महोदय, कोरम पूरा नहीं है ।

(कोरम के लिए घन्टी बजाई गई)

श्री अधिम्ठाता--

यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कोरम पूरा करने की, आप अपना भाषण जारी रखिए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आज संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अपना बजट रखा है और कोरम पूरा नहीं है ।

(गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं निवेदन कर रहा था...

श्री त्रिवेनी--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था यह है कि बजट हमारा जब चलता है तो हमारे भाई आपके माध्यम से मोहन सिंह जी से कहूंगा कि सब मेम्बर गायब कर देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि कोरम पूरा नहीं है । कोई व्यवस्था दे दें कि चलता रहे...

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कोरम की जिम्मेदारी इनकी है । बजट इन्होंने पेश किया है । हम तो चाहते हैं कि न पास हो ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं कह रहा था कि उसको संगठित करने की जरूरत है, प्रभावी बनाने की जरूरत है । मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो इस विभाग को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि वहां पर बहुत से घोटाले के मामले गुप्तचर विभाग के बदले सूचना विभाग को जांच के लिए दिये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि इस विभाग को संगठित किया जाय, इस दृष्टि से अगर शासन समझता है कि जनतन्त्र में सूचना विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए तो सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को सही मायने में पूरी सुविधा होनी चाहिए, निर्भकता के साथ, निष्पक्षता के साथ और साहस के साथ सही समाचारों को सम्पादित होना चाहिए । लेकिन आज परिस्थिति इस के उल्टी है । अभी सदन में मामला उठा था। एक हमारे उदीयमान पत्रकार की हत्या हो गई । इसके पहले भी कई लोगों को भयभीत किया जाता रहा है । मैं अतर्रा, जिला बांदा की बात बताना चाहता हूं, वहां के सम्पादक ने कोई समाचार प्रकाशित किया पुलिस के खिलाफ, पुलिस वालों ने रेलवे स्टेशन पर उसकी तलाशी ली । वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था । तलाशी लेने के बाद उन्होंने एक प्रमाण-पत्र कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई जो आपत्तिजनक हो, सब-इन्सपेक्टर से ले लिया । उसके बाद भी उसकी चेकिंग की गई, उनको मारा गया और उनके जेब से पैसे निकाल लिये गये । उनके जेब से 1180 रुपये 60 पैसे निकाल लिये । उसके बाद सब मामला रफा-दफा किया गया । मेरे पड़ोस लखीमपुर खीरी की बात है । वहां के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं । वहां के जिलाधिकारी की एक प्रेस कान्फरेंस हुई प्रेस कान्फरेन्स में पत्रकार उपस्थित थे । पत्रकार कुछ प्रश्न करना चाहते थे । उन्होंने प्रश्न किये । जिलाधिकारी ने साफ मना कर दिया । उसके बाद उनके घर पर गये कि जानकारी दीजिए तो जिलाधिकारी ने उन सब पत्रकारों को अपने यहां से धक्का दे कर निकाल दिया और कहा कि मैं जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हूं । इसी तरह से अमृत प्रभात के इलाहाबाद के सम्पादक हैं । उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ समाचार छापा । सरकारी अधिकारी पूरी तरह से उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि किसी भी पत्रकार को (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट और दे दीजिए । जो व्यवधान हुआ है उसे मेरे समय से निकाल दीजिए ।

मान्यवर, हमारे माननीय मन्त्री जी ने पत्रकार कल्याण कोष की बात कही है । अच्छा होता कि माननीय मन्त्री जी इस बात को बताते कि क्या पत्रकार का कल्याण किया है, आज तक किसी भी पत्रकार को एक पैसा मिला है । किसी की कोई सहायता नहीं की जाती है । एक मामले की और माननीय मन्त्री जी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक पत्रकार हैं, नरेन्द्र उनियाल । सम्पादक हैं साप्ताहिक जयन्त के पौड़ी गढ़वाल से निकलता है । नवयुवक हैं 29

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष के। उन्होंने सरकार को खत लिखा, सूचना निदेशक को लिखा, मुख्य मन्त्री जी को लिखा। टी0 बी0 के मरीज हैं, 29 साल की उम्र है। मेडिकल इन्स्टीट्यूट दिल्ली ने कहा है कि इनका फेफड़ा बदलने की जरूरत है। निदेशक ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। उन्होंने जबाब दे दिया कि हम कोई सहायता नहीं करना चाहते हैं। यह वह आदमी है जिसके बारे में वर्तमान मन्त्री ब्रह्मदत्त जी ने शासन को लिखा था कि इनकी सहायता की जाय। मेरा निवेदन है कि इस कल्याण कोष की बात बड़े जोर से की जाती है लेकिन उससे कोई सहायता पत्रकार को नहीं मिलती है।

पालेकर एवार्ड की बात की जाती है। भाई मोहन सिंह ने उस पर विस्तार से प्रकाश डाला। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इस पालेकर अवार्ड कमेटी में एक भी पत्रकार नहीं है और दूसरी तरफ जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वह फिर से दुबारा चालू हो गया है उसके 123 कर्मचारी निलम्बित हैं, अलग हैं, नौकरी में नहीं हैं, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। इसका उत्तर भी मंत्री जी अपने भाषण में दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यदि सरकार चाहती है कि सूचना विभाग नीतियों पर चले तो वह हमारे इन सुझावों पर विचार करे।

श्री जिया राम शुक्ल, 'विकल साकेती'--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री महोदय ने जो बजट रखा सूचना, सांस्कृतिक और पर्यटन का, वह एक साथ रखा। एक साथ कई काम होते हैं। मैं इस मौके पर एक शेर सुनाना चाहता हूं--

मैंने उनसे छींके से एक चीज उतरवाई है,
काम का काम है अंगड़ाई की अंगड़ाई है।

इस तरह से माननीय मंत्री जी ने एक साथ कई विभागों के बजट पेश किये, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध ललित कला ही से भी है। यदि मनुष्य-जीवन से इन ललित कलाओं को घटा दिया जाय तो वह मनुष्य नहीं रह जायेगा। मान्यवर, वास्तु कला, चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला और संगीत कला ये पांचों ऐसी कलायें हैं जिनसे किसी न किसी रूप से कोई भी मनुष्य सम्बद्ध रहता है। इन कलाओं से हीन मानव मानव नहीं रह जाता है। इसलिए इन कलाओं को उठाने की कोशिश होनी चाहिए। माननीय मोहन सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और बजट का विरोध किया। वैसे उन्होंने सुझाव तो बहुत अच्छे-अच्छे दिये। आज पहली बार उन्होंने बढ़िया-बढ़िया सुझाव दिये। उनके यह उम्मीद नहीं थी। इस बारे में मैं एक शेर उन्हें सुना देना चाहता हूं--

नैन तुम्हारे तीन लोक से न्यारे लगते हैं,
घायल कर देते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं।

[श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--]

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रियासत साहब ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक शेर सुनाया। मैं भी उनकी बात पर एक शेर प्रस्तुत करना चाहता हूं--

एक मौलवी साहब बैठे गा रहे थे जंगले पर,
नजर लागी राजा तोरे बंगले पर ॥

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरह से शहरों में अस्पताल बड़े-बड़े हैं और गांवों में छोटे-छोटे हैं, उसी तरह से पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी गांवों में कम होते हैं और शहरों में ज्यादा और बड़े-बड़े होते हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों को गांवों तक भी पहुंचाया जाय। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक कांस्टीटुयेन्सी पर एक ऐसा स्थल बनाया जाय जहां पर्यटन के नाम से लोग इकट्ठा हों और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हों और वहां पर लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी कार्यक्रम हो। इसके अलावा जो माननीय मोहन सिंह जी ने सुझाव दिये हैं, वह बहुत अच्छे सुझाव हैं उन सुझावों का मैं समर्थन करता हूं लेकिन उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, पर्यटन, सूचना और सांस्कृतिक बजट के ऊपर जो माननीय मोहन सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं। वास्तव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन और सूचना ये तीनों ऐसी जगह से शुरू होते हैं जहां से हम अपनी आदिम सभ्यता जानते हैं। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई। आज हमारे प्रदेश में जो कि हमारा 11 करोड़ का प्रदेश है, उसके रिप्रिजेन्टेटिव बैठे हुये हैं। जहां तक हमारे इलाके का प्रश्न है वह नैपाल से जुड़ा हुआ है बहुत सुन्दर जगहें यहां हैं। लेकिन अंग्रेजों ने सचमुच में हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया है अंग्रेज लेखक मैक्समूलर से लेकर दूसरे लेखकों ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। हमारे माननीय रियासत साहब ने सही कहा, अम्मार रिजवी साहब तो यहां लखनऊ में महोत्सव मनाये लेकिन मुरादाबाद में, मऊ में या इलाहाबाद में कुछ नहीं कर पाये। इनके ईद, मुहर्रम और दूसरे त्यौहार हों वह सब नहीं हो पाते हैं। हमारे यहां ऐसी चीजें हैं जो आज भी छिपी पड़ी हैं। हमारे यहां तमाम सांस्कृतिक शिल्पकार जो अच्छी-अच्छी चीजें बनाते थे, राजा महाराजा उनके हाथ और अंगूठे कटवा लेते थे। अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ चीजें बनी हैं जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं। आगरा में ताजमहल है, सारनाथ है और फिर लुम्बिनी जो उत्तर प्रदेश में वैसे नहीं है लेकिन उसे देखने के लिए लोग जाते हैं, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाया है। वहां जाने के साधन नहीं हैं। वैसे यह जो एक रुपया का कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसमें कटौती करने की बात नहीं है पर्यटन को बढ़ोतरी देने की बात है।

हमारे यहां जो पुरातत्व विभाग है, जो लेखागार हैं चाहे वह हमारे यहां का हो या दिल्ली के जनपद का लेखागार हो, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सही रूप से जानकारी नहीं है। डाइरेक्टर हो गये हैं लेकिन समझबूझ नहीं है। हमारे प्रदेश के गांवों में ऐसे टीले पड़े हुये हैं जिनकी ठीक से खुदाई नहीं हो पाती है। मिर्जापुर जहां से मैं चुन कर आया हूं वह विंध्याचल रेंज में पड़ता है वहां विंध्यवासिनी देवी हैं जो कई सदियों से हैं वहां पर अनेक टीले जगह-जगह पर पड़े हुए हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी भी उसी रेंज के हैं, मैं नेता सदन तो नहीं कहूंगा क्योंकि वह विधान सभा के सदस्य नहीं है लेकिन वह मुख्य मंत्री के रूप

में यहां बैठे हैं वह सदन के नेता नहीं हैं क्योंकि मान्यवर, इस पर हाईकोर्ट से नोटिस इश्यू हो चुका है। नेता सदन तो विधान सभा का सदस्य ही हो सकता है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, यह किस विषय पर बोल रहे हैं यह तो हाईकोर्ट पर बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं मुख्य मंत्री जी श्री सी0 बी0 गुप्ता के हिसाब से देख-रेख कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ऐसा है जिसमें सभी मंत्रियों को सहयोग देना होगा। हमारे रिजवी साहब को बिजली वाले सहयोग नहीं देते हैं, ब्रह्म दत्त जी जो हमारे साथ मीसा बन्दी रहे हैं, सहयोग नहीं देंगे तो रिजवी साहब का काम कैसे चलेगा, परिवहन मंत्री और सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह सहयोग, नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पर्यटन, सूचना सांस्कृतिक कार्य विभाग का सबसे सम्बन्ध है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री यदुनाथ--

माननीय मंत्री जी तमाम विभागों से सम्बन्ध स्थापित करें। (व्यवधान)

सहयोग लेने की अपेक्षा करें और तमाम पर्यटकों का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, तभी आप विदेशी मुद्रा में ही नहीं देशी मुद्रा में भी प्रदेश को लाभान्वित कर पायेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, माननीय सूचना, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी ने जो अपने विभागों की बजट मांगें यहां प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि अब तक पर्यटन की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है। न केन्द्र सरकार ने ध्यान दिया है और न प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है, जितना वास्तव में इस महत्वपूर्ण विभाग की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था। यह जो किताब सूचना विभाग के द्वारा पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में छपी है, उसमें स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल 1 लाख रुपया इसके लिए आवंटित किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 19 लाख रुपया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 22 लाख रुपया ही इस विभाग के लिए दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और इस विभाग का कोई नहीं हो सकता है। यदि हम आज दूसरे सूबों को देखें तो वहां एक उद्योग की शक्ल में इसको चलाया जा रहा है और इसका विकास किया जा रहा है। इससे प्रदेश को जितनी आमदनी होती है, जितना फारेन एक्सचेंज मिलता है, उस अनुपात में न इस पर रुपया कभी खर्च किया गया है और न उसके विकास पर कोई ध्यान दिया गया है।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह, 'कौशल'—]

श्रीमन्, आगरा एक ऐसा जिला है जो हिन्दुस्तान में ही नहीं, जहां विदेशों से पर्यटक आते हैं, उन तीन में से एक विदेशी ताजमहल देखने आगरा अवश्य आता है। लेकिन आगरा में जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं—चाहे फोर्ट हो, सिकन्दरा हो या फतेहपुर सीकरी हो कोई भी हो, उन पर आज तक कोई धनराशि खर्च नहीं की गई। जितने मंत्री बने, आज तक उन्होंने यहां की इमारतों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। किसी मंत्री को अब तक पर्यटन विभाग का इन्डेपेन्डेन्ट चार्ज नहीं दिया गया। माननीय अम्मार साहब ने जबसे इसकी बागडोर संभाली है, उससे लगता है कि वह जरूर इसके लिए कुछ करेंगे। मैं बधाई दूंगा उनको कि उन्होंने जो वायदे किये हैं जिस दिन उनको वह अमली जामा पहना देंगे। उस दिन वह प्रदेश की 11 करोड़ जनता की तरफ से बधाई के पात्र होंगे, 'सुलहकुल' के अवसर पर आगरा के लिए मंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया था और उस कार्यक्रम के दौरान लाल किले में लाइट ऐन्ड साउन्ड की जो सुन्दर व्यवस्था कराई थी, उससे जितने दिन वह कार्यक्रम चला आगरा ही नहीं आगरा के आस पास के भी तमाम लोग वहां उसको देखने आए थे, वहां पर एक बड़ा भारी हजूम लगा था। जब वह आगरा गये थे, तो उन्होंने आम जनता के बीच में वायदा किया था कि इस कार्यक्रम को स्थायी रूप दे दिया जाएगा। उस तरफ में मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने वायदे किये हैं, जैसा कि वह अपने वायदे के पक्के हैं, इसको भी वह अमली जामा पहना दें। हमारी इस पर्यटन विभाग के जो भूतपूर्व डायरेक्टर स्वर्गीय अफसर हुसैन साहब थे, वह इसी कार्य के लिए दिल्ली गये थे और उन्होंने फिलिप्स कम्पनी वालों से बात भी की थी, किन्तु उनके जाने के बाद वह रद्दी की टोकरी में पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। आगरा का जो पर्यटन विभाग है, उसपर दिल्ली के द्वारा शासन किया जा रहा है। सबेरे बस में भरकर दिल्ली से विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं और शाम को उसी बस से वापस चले जाते हैं। वहां पर कोई एक्सट्रा आकर्षण का केन्द्र नहीं है कि जिससे वे रात को ठहर सकें। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे बिहार गये थे उसी प्रकार से वे राजस्थान और उदयपुर जायं और देखें कि किस प्रकार से उदयपुर में पर्यटन केन्द्र की हैसियत से विकास हुआ है। उसको देखने से उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी। और उसको उत्तर प्रदेश में कम से कम मथुरा और आगरा जैसे जिलों में ही कार्यान्वित करा दें।

वर्ष 1973–74 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरे के विकास के लिए 6 करोड़ रुपया दिया लेकिन आज तक वह योजना रद्दी की टोकरी में पड़ी हुयी है। हमारे स्वर्गीय संजय गांधी जी जब वर्ष 1976 में आगरा गये थे तो विभाग की प्रगति के लिए बहुत सी योजनायें बनी थी। आगरा क विकास प्राधिकरण की योजनाओं में दीमक लग रही हैं। अगर मंत्री जी उन योजनाओं को निकलवायें तो इनसे आगरे का बहुत विकास हो सकता है। आज 2 करोड़ रुपया अगर विकास प्राधिकरण, आगरा को दे दिया जाय और उसका प्रयोग वहां के सुन्दरीकरण में कर लिया जाय तो बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके अलावा जिस प्रकार से कुमायूं और गढ़वाल में कन्डक्टेड टूर्स कराते हैं, उसी प्रकार से उन्हें वहां भी करायें।

मान्यवर, पहले से ही बहुत से निगम बने हुए हैं। एक निगम की चर्चा और माननीय मंत्री जी ने कर दी। मेरा तो निवेदन है कि ये निगम सफेद हाथी हैं, आज तक भी इससे कोई काम नहीं किया गया है। जो आपका पर्यटन विभाग

है उसकी लाइबिलिटीज ट्रान्सफर कर देते हैं, बाकी निगम ने कोई काम आज तक नहीं किया है । यह बात जरूर है कि बड़े-बड़े अधिकारियों को एशोआराम की जगहें बनी हुयी हैं, वे बड़े-बड़े होटलों में ठहरते हैं । इन सबसे आपका भार बहुत बढ़ गया है । माननीय मंत्री जी को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि आगरे में 7 लाख रुपये की एक बिल्डिंग खरीदी गयी उस निगम द्वारा एक स्वागत केन्द्र बनाने के लिए । जिस बिल्डिंग की लागत केवल 3 लाख रुपये थी उसे 7 लाख रुपये में खरीद लिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच विजीलेन्स विभाग द्वारा करायें और यह एसेस करायें कि यह बिल्डिंग वास्तव में किस कीमत की है और क्यों जनता के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है कि 3 लाख रुपये की कीमत की बिल्डिंग को 7 लाख रुपये में खरीदा गया । एक मेरी प्रार्थना यह भी है कि अगर विकास प्राधिकरण में पर्यटन विभाग के डायरेक्टर को भी शामिल कर लें तो उनके काम में एक अच्छा समन्वय हो सकेगा और सारी योजनायें सुचारू रुप से बन सकेंगी ।

*श्री विद्या सागर नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना एवं पर्यटन विभागों की मांगों के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया । मुझे माननीय मंत्री जी पर बड़ा ही तरस आ रहा है कि जब और विभागों का बजट सदन में आता है तो बात ही दूसरी होती है लेकिन आज उन्होंने हमें भी भूखा रखा है और खुद भी भूखे हैं । पहले घर से ही शुरुआत हो जाय । अगर मंत्री जी सफलता चाहते हैं तो पहला काम वे यह करें कि अपनी पार्टी के अन्दर यह कहें कि हिन्दी भाषा का गलत प्रयोग न किया करें ।

[2 बजकर 45 मिनट अपराह्न]

कई बार माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मैं हिन्दी वादी हूं, शासक दल के लोग कोई अपने को हिन्दीवादी, तो कोई जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी और कोई अकबर इलाहाबादी कहता है । कई बार तो ऐसा धोखा हो जाता है कि एक सज्जन जब मैं सीट पर बैठा होता हूं और वह बगल से निकलते हैं तो मैं यह समझ कर कि कोई बहन गुजर रही है, मैं बगल में हो जाता हूं, पर जब उनको सामने से देखता हूं तो माननीय सदस्य को पाता हूं, वे चादर ओढ़े रहते हैं, केश विन्यास ही कुछ ऐसा है कि मैं समझ नहीं पाता । (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम इस सभ्यता को तो अपने यहां ठीक करें ।

एक और निवेदन यह करूंगा कि मंत्री जी अपने अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि जब भी वे कोई निर्देश आदि भेजा करें तो हिन्दी में भेजा करें और उसमें शब्द "महोदय" का प्रयोग किया करें भले ही वह किसी गरीब से गरीब आदमी को सूचना भेजी गयी हो । आपके जो शेरोशायरी के प्रोग्राम आदि होते हैं उसमें गरीब आदमी तो भाग ले ही नहीं पाता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्यासागर नौटियाल--]

एक निवेदन और है वह यह कि पहाड़ों के लोगों की सभ्यता और उनके लोक नृत्य व गीत आदि बुरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं। पहाड़ों के अन्दर जो पर्यटक केन्द्रों की स्थापना की गयी है वह महासागर में एक बूंद के बराबर है। आप इस बजट को कृपया वापस लें और पहाड़ों के लिये कुछ अधिक धन रख कर वहां की ओर अधिक ध्यान दें। पहाड़ों पर हरकीदून, गिडार, पमाली, क्यारकी तथा सहसताल आदि में विन्टर स्पोर्ट्स खोले जा सकते हैं। इस मद के लिये सरकार ने कुछ नहीं रखा है। यहां पर काफी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पक्ष और विरोध के सभी माननीय साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में काफी सरस और साहित्यिक ढंग से अपना योगदान दिया। माननीय त्रिवेनी राय जी ने जो बात कही, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी बात सही है। आज हमारे बहुत से जिज्ञासुओं के मन में यह द्वन्द चलता रहता है कि वास्तव में यह जो दो महापुरुष हैं राम और कृष्ण--यह सचमुच में इतिहास के पुरुष हैं या पुराण के पुरुष हैं। इस सम्बन्ध में अवश्य शोध किया जाना चाहिये और इसका एक क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाना चाहिये, मथुरा और अयोध्या के बारे में लिखा जाना चाहिये। हमारे प्रदेश के इतिहास के बारे में, न केवल अपने प्रदेश में या देश में ही, बल्कि विश्व में बहुत सी गुत्थियों को सुलझाया गया है।

इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को भी लिखा गया है। इस प्रदेश के वरिष्ठ विद्वानों की, इतिहासकारों की एक समिति बनायी जानी चाहिये और इस प्रदेश के बारे में आदि काल से वर्तमान समय तक का इतिहास लिखा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भी इतिहास लिखा है और उस अपने जमाने का इतिहास लिखा है। अगर यह इतिहास लिखा जायेगा तो उससे हमारे नवजवानों को उसकी जानकारी हो सकेगी। इसलिए आवश्यक है कि क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाये।

हमारे देवरिया जिले के पत्रकारों से जिलाधिकारी का कुछ विवाद हुआ, वह बदल कर इटावा चले गये। पत्रकारों ने जिलाधिकारी के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बात छापी जिससे उन्होंने इटावा में उन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। वे पत्रकार देवरिया जिले से जाकर इटावा में मुकदमों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। सही तरह से समाचार छापने से उनके ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं। आप ऐसे निर्देश दे दें कि वे अपने जिले में बुलाकर पत्रकारों को हैरस्मेन्ट न करें। सत्य बात के प्रकाश करने के बारे में जो पत्रकारों का दमन किया जा रहा है, उसके बारे में सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी, आपको विशेष गारन्टी देनी होगी। इतने चन्द सुझावों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं, विशेषकर माननीय मोहन सिंह जी का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे मार्ग-दर्शन दिया। कटौती का प्रस्ताव जब वह पेश कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि वह बहुत ही ऊपरी दिल से वह कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे जिस ऊपरी दिल से वह उधर बैठते हैं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

यह आप जंगले में से देखकर झांक रहे हैं कि बंगले के अन्दर से झांक रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय रियासत हुसैन साहब ने अभी रंगीनी की बात कही थी, वह रंगीनी तो हर वक्त अपनी जिस्म से लगाये बैठते हैं। उन्हें हर चीज इमीटेशन नजर आती है। "वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है।" (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या वहशत में ही मोहन सिंह पर नजर पड़ रही है आपकी ? (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय रियासत साहब को नर और मादा का जो बात है, वह भी खत्म हो गयी। जो सुझाव हैं उनकी भी हम कद्र करते हैं। उनकी हमारे ऊपर बड़ी ही इनायत है। हीरा की कद्र जौहरी जानता है। हीरा जो है आप लोगों के बीच में पड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग कद्र नहीं जानते हैं। मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह ने लोकनृत्य की बात कही ...। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

हीरा की तो चोरी हो रही है राज भवन से।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो लोग उसमें शामिल होते हैं उन्हें पहले पता चल जाता है। फोक सांग का लोक नृत्य और लोक गीत जो हैं, ये कलायें हमारे बीच से उठती चली जा रही हैं और हमें कुछ महत्वपूर्ण और जल्दी ही कदम उठाना पड़ेगा। कुछ थोड़े-बहुत इस समय जो हमने कार्य किये हैं वह लोक संगीत का एक पूरे उत्तर प्रदेश का लोक संगीत के डाकूमेन्टेशन की एक योजना हम चला रहे हैं। माननीय मोहन सिंह जी ने एक बात जो कही कि यह इस तरह के गीत लिखे नहीं जायेंगे, तो वह समाप्त हो जायेंगे। मैं शासन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभाग इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही करेगा। मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह जौनसार, भावर, यह जो तराई का क्षेत्र है, इस पर भी एक डाक्यूमेन्टरी फिल्म बना रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वे किस प्रकार से रहते हैं।

एक सदस्य--

बुन्देलखण्ड भी है।

श्री अम्मार रिजवी--

बुन्देलखण्ड पर हम अलग से एक फिल्म बना रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय मन्त्री जी कृपया स्पष्ट कर दें, जौनसार अलग है और भाबर अलग है, दोनों की सभ्यता अलग है, तो किस पर फिल्म बना रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसमें दोनों को ही लिया गया है ।

बुन्देलखण्ड पर एक अलग फिल्म बन रही है । बुन्देलखण्ड का अपना एक अलग इतिहास है । मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मानीय सदस्य उसे बहुत ही ज्यादा पसन्द करेंगे । इसके अतिरिक्त यह जो बुद्धिस्ट सर्किल की बात कही गयी, कौशाम्बी की बात कही गयी, इसे मैं दिखलवाऊंगा ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, एक कहावत है कि "रूठगइले सैंया हमार" तो यह जो बलिया, गाजीपुर के जिले हैं, इन्हें भी माननीय मंत्री जी देखेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिस भाव में इन्होंने "सैंया हमार" कहा है, मैं उससे इन्कार कर ही नहीं सकता ।

फतेहपुर-आगरा के बारे में सम्मानित सदस्य डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने कहा, जमीन की खरीद के बारे में, तो इस बारे में मैं जानकारी कराऊंगा । मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि फतेहपुर सीकरी और आगरा की एक विस्तृत योजना बनायी जा रही है, जिसके बारे में उन्हें स्वयं भी जानकारी है, केन्द्र सरकार से भी अधिकारी आये थे, पर्यटन मन्त्री केन्द्र सरकार के आये थे और इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गयी थी । 29 तारीख को उसी सिलसिले में मैं आगरा जा रहा हूं, ताकि यह बैठक हो सके । आगरा उत्तर प्रदेश की झांकी है, जहां हर पर्यटक आता है, तो उसे हम व्यवस्थित करना चाहते हैं । साथ ही साथ उन्होंने जो यह बताया कि आगरा डेवलपमेन्ट अथारिटी में एक प्रतिनिधि होना चाहिये खासतौर से डायरेक्टर, टूरिज्म उसमें आयें, इसे भी हम देखेंगे ।

पत्रकारों के सम्बन्ध में बात कही गयी । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पत्रकारों का किसी प्रकार का जो शोषण है और यह रवैया है, उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठाया जायगा । इस प्रकार से सारे सम्मानित सदस्यों ने इन तीनों बजट के ऊपर एक बात अवश्य कही कि इसमें प्राविधान कम है । मैंने पहले ही कह दिया था कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी समस्यायें हैं, इतना कार्य है कि बजट कम है लेकिन साधन भी सीमित हैं । माननीय सदस्यों ने बाद में जो सुझाव दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, उनको कार्यान्वित करने का प्रयास करूंगा । इसके बाद श्री मोहन सिंह जी के पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वे रस्मी तौर पर भी कटौती का प्रस्ताव पेश करें । माननीय मोहन सिंह जी अक्सर कहा करते हैं कि इतिहास बनाइये, फलां काम करके इतिहास बनाइए । तो हमने वह जो बजट पेश किया है इस पर माननीय मोहन सिंह जी की आत्मा अन्दर से जरूर बार-बार यह कह रही होगी कि कटौती का प्रस्ताव गलत पेश किया गया है । मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मोहन सिंह जी इसे वापस लें लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री मोहन सिंह की ओर इंगित करते हुए)

क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह--

नहीं, मान्यवर, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 2,09,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89--सूचना विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

[श्री अधिष्ठाता--]

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89--सूचना विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108--पर्यटन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 108--पर्यटन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग--ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11--परिवहन तथा अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग

पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,33,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में परिवहन का जो महत्व है, यह देखते हुए कि हमारे प्रदेश की आज 11 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गयी है उसके आवागमन के लिए हमें तमाम जनता को साधनों को सुलभ कराना पड़ेगा । आज भी बहुत सी समस्यायें पैदा होती रहती है और आये दिन जो भी परिवहन की समस्यायें हैं उससे निपटने के लिए और कैसे अच्छा संचालन और नियंत्रण हो उसके लिए विभाग का गठन किया गया था और आज उसके द्वारा इसका संचालन हो रहा है । मान्यवर, परिवहन विभाग में जो परमिट दिये जाते हैं और गाड़ियों का जो नियंत्रण करते हैं उसको देखते हुये हमारे प्रदेश में 13 आर0 टी0 ओ0 के कार्यालय हैं और 13 ए0 आर0 टी0 ओ0 हैं, जिनके द्वारा यह सारी व्यवस्था की जा रही है ।

मान्यवर, साथ ही साथ जो अनअथराइज्ड गाड़ियां चलाते हैं और ओवरलोडिंग जो हो रही हैं एवं जो गाड़ियां ठीक से नहीं चलाते हैं, इन सबको देखने और रोकने के लिए 54 प्रवर्तन दल बनाये गए हैं । इसके अलावा जो गलत काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाय और कंट्रोल किया जाय, आज इस दिशा में हमारे प्रदेश में बड़े प्रभावी कदम उठाये गए हैं, जिससे काफी हमें सफलता भी प्राप्त हुई है । जो पसेन्जर प्राइवेट या निगम की बसों से चलते हैं तो किसी प्रकार कहीं एक्सीडेन्ट आदि हो जाते हैं तो बीमा की भी व्यवस्था की गयी है, पहले 15 हजार रुपया दिया जाता था और अब 20 हजार रुपया दिया जाता है और 5 प्रतिशत किराये के रूप में पैसेन्जर से लिया जाता है । तो इस तरह से पैसेन्जर को सुविधा दी गयी है ।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कुल पक्की सड़कें 59,133 किलोमीटर हैं जिसमें 21,868 किलोमीटर राष्ट्रीयकृत मार्ग बनाये गए हैं, जिन पर बसें हम चलाते हैं । आज हमारे प्रदेश का जो है, जो हम करना चाहते हैं राष्ट्रीयकरण जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं हम केवल 26 परसेन्ट राष्ट्रीयकरण कर पाये हैं । आज हमारे सामने बहुत बड़ा काम पड़ा है और जो प्राइवेट बसें चलती हैं काफी बड़ी संख्या में चलती हैं 8 हजार से ज्यादा तादाद में आती हैं उसकी देखरेख भी निगम करता है । आज निगम द्वारा चाहे प्राइवेट बसें हों चाहे निगम की हों पैसेन्जर को सुविधा देने का काम किया जा रहा है । लेकिन जो सुविधा हम देना चाहते हैं अभी हम नहीं कर पाए हैं । इधर काफी प्रभावी कदम उठाए गए हैं । हमारा प्रयास है कि निगम की जो बसें खराब हैं उसको रिपलेस करें उनकी जगह पर अच्छी बसें चले, जो ओवरलोड होता है वह खत्म करें । जो पैसेंजर सड़कों पर खड़े रहते हैं टाइम से बसें नहीं मिलती हैं दिक्कत होती है उनका कष्ट दूर हो उनको बसें सुलभ हों । इसके लिए हमने प्रभावी कदम उठाये हैं ।

मान्यवर, जो परमिट देने में करप्शन होता था लोगों की शिकायत होती थी कि परमिट टाइम से नहीं मिलता है मोटर आपरेटर को कठिनाई होती थी इसको ठीक करने के लिए हमने इसको फ्री कर दिया है । जो दरख्वास्त देगा, जिसके पास गाड़ी होगी, गाड़ी ठीक होगी सड़क पर चलने लायक होगी और उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उसको परमिट मिलेगा । हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं है हमने इस दिशा में कदम उठाया है इसका स्वागत भी हुआ है । क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं कि परमिट लेकर बस नहीं चलाते हैं, बहुत से लोगों की मोनोपली है कि 100-100, 50-50 बस चलाते हैं और बड़े आदमी बनते जा रहे हैं, इंडिविजुअल आदमी उनको कम्पटीट नहीं कर पाता है और उसको छोड़ कर भाग जाना पड़ता है । कैसे जनता को अधिक सुविधा पहुंचाई जाय इसके लिए प्रभावी कदम उठाये गए हैं और जनता ने इसका स्वागत भी

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

किया है । जो लोग मोनोपली कर रहे थे बड़े आदमी बनते जा रहे थे उनको कष्ट हुआ हो किन्तु जनता का कष्ट दूर हुआ है । और इस कदम का आमतौर पर पब्लिक ने स्वागत किया है और जनता को राहत मिली है । हमारा जो निगम है इसको मजबूत करना हम चाहते हैं हमारे पास 5 हजार 7 सौ बसें हैं साढ़े 6 सौ बसें हम बढ़ा पाए हैं । 6 हजार बसें हमारे पास हो गई हैं किन्तु जितनी हम चाहते हैं उतनी बसें नहीं हैं । आज हम चाहते हैं कि 2 हजार बसें और मिले तो हम पुरानी बसों को रिपलेस करें और नई बसें चलायें ।

राष्ट्रीयकरण हम छठीं पंचवर्षीय योजना में 18 सौ किलोमीटर करना है अभी 2 हजार 83 किलोमीटर की 68 सी की कार्यवाही पूरी हो जाती है तो उस दिशा में ले जायेंगे । हमको बसों की बहुत आवश्यकता है । हमको 2 हजार बसें और मिल जायं तो हमारी कठिनाई दूर होगी, जो शिकायत आमतौर पर आती है कि खराब बसें हैं, चलने लायक नहीं उनको बदलकर हम नई बसें दे पायेंगे । तो हमको याद है जून के महीने में 40 परसेन्ट बसें डिपों में पड़ी रहती थीं मरम्मत नहीं हो पाती थी, आज स्थिति यह है कि 90 परसेन्ट बसें रोड पर हैं केवल 10 परसेन्ट बसें डिपो में हैं । इससे कितना घाटा होता था इसमें भी हमने काफी सुधार किया है ।

एक एचीवमेंट और हुआ है, जो लोग लापरवाही बरतते हैं और 15-16 साल से एक डिपो में बैठे रहते हैं । जो जहां किसी भी पद पर है और निगम को उनसे नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उनके खिलाफ कठोर कदम उठा रहे हैं और हम यह भी देख रहे हैं कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी रिस्पांस्बिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी कार्यवाही की जा रही है । और हमारे जो टूरिस्ट सेण्टर हैं, वहां भी हम अच्छी बसें भेज रहे हैं, एयर कन्डीशन्ड बसें और डिलक्स बसें भेज रहे हैं और उनमें जो भी ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है, सफाई वगैरह का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है । सफाई के लिए यहां तक कह दिया गया है कि जो भी बस डिपो से निकलेगी वह बगैर धोए नहीं निकलेगी । दूसरे जो पैसेंजरर्स की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है ।

हमारे प्रदेश में जितने भी स्टेशन हैं, उनकी सफाई और धूप व जाड़े और बरसात वगैरह में खड़े होने और बैठने आदि को ध्यान रखते हुए पैसेन्जर्स के लिए अच्छी सुविधाएं की जा रही हैं । बाथरूम और पीने के पानी आदि की व्यवस्था भी की जा रही है । इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं और फायदे वाली चीजें हैं, उनकी मैं आपके जब सुझाव आ जायेंगे तो सामने रखूंगा । इसके साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि अब तक निगम में जो घाटा होता था, अब यह निगम प्राफिट पर चल रहे हैं । और इससे भी अधिक हमारी कोशिश है । हमें उम्मीद है कि इस दिशा में आगे भी काफी सफलता मिलेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री-कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-107--परिवहन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

माननीय अधिष्ठाता जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह जो परिवहन विभाग है । यह समाज के लिए और जन-जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और यह समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है और आज के युग में यह बहुत ही उपयोगी विभाग है । और जिस प्रकार से आज प्रदेश के अन्दर खाद्य विभाग का महत्व है, उसी प्रकार से इस विभाग का भी बहुत महत्व है । लेकिन साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो अपने भाषण में आश्वासन सदन को दिए हैं और जो बातें उन्होंने कहीं हैं, वह सुनने में तो बहुत प्रिय हैं, आकर्षक हैं । लेकिन आज इस विभाग की हालत को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि यह सारी बातें डपोर शंख की बातें हैं । और जैसे कोई डपोरशंख आश्वासन देता है और कल्पना करता है, जैसे एक उदाहरण दिया जाय कि एक छोटा सा बालक है वह बालू में एक छोटा सा अपना खेल-खेल में घरौंदा बनाता है और कल्पना करता है कि वह अपने मां-बाप को और अपने खुद को इससे सुख, सुविधा और आनन्द देगा । वैसे ही माननीय मंत्री जी इस विषय में अपना एक आश्वासन देते हैं कि ये सुख सुविधा देंगे । मान्यवर, इस विभाग की दुर्दशा के सम्बन्ध में अगर कल्पना की जाय तो अपने इस विभाग के माननीय राज्य मंत्री जी जो हैं माननीय सेठी जी उनकी इस समय स्थिति क्या है, इस समय वे परेशान हैं, शायद इस सदन में वे एक महीने के बाद आज बजट में उपस्थित हुए हैं और हमको जान कर दुख होता है कि जिनके ऊपर परिवहन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है माननीय सेठी जी के ऊपर सबसे ज्यादा परिवहन का उत्तरदायित्व है, तो आज माननीय सेठी जी एक महीने के बाद सदन में आए हैं । यह मेरा उन पर आरोप नहीं है, परन्तु हमने स्वयं उनसे मिलने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु माननीय सेठी जी हमको नहीं मिल सके । तो इस विभाग की दुर्दशा का श्रीमान जी यह एक नमूना है ।

जनता ने इस शासन से एक अपेक्षा की थी कि कोई भी यात्री मार्गों पर बस सेवा के अभाव से रुका नहीं रहेगा और सम्भव है कि माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जो कल्पना की है और शायद प्रदेश की जनता इसे मान ले लेकिन माननीय मन्त्री जी जो श्री संजय गांधी को भगवान मानकर चलते हैं, उनकी शुभचिन्ता में उनकी प्रगति में इस वाक्य को जोड़े हुए हैं कि कोई भी यात्री मार्ग में बसों के लिए रुक कर खड़ा न रहे । लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो जनसंख्या है करीब 19 करोड़ और शायद सम्पूर्ण देश के अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसलिए रेलों के मार्ग से शायद कुछ मार्ग हो कर जाते हैं । सम्पूर्ण प्रदेश

*वक्ता ने भाषण पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

के यातायात का जन जीवन ऐसी बसों के ऊपर निर्भर करता है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में बसों की संख्या पांच हजार समर्थिंग है, जिनमें से 1200 बसें कूड़ाखाने के तरीके से उनकी वर्कशाप में पड़ी हुई हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी जानकारी में यह बात है, हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी की जानकारी में न हो या सारी बातें इनके विभाग के अधिकारियों ने इनको इस बात की जानकारी न करई हो क्योंकि वे स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, मैं माननीय मन्त्री जी को जानकारी देता हूं कि उनकी सड़क पर चार हजार बसें चल रही हैं। केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर इस समय सड़क पर साढ़े तीन हजार बसें चल रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण आपको जानकारी दे सकता हूं। प्रदेश में इस समय कितनी बसें चल रही हैं, आपके पास इसके रिकार्ड होंगे क्योंकि आप उनके आय-व्यय में प्रत्येक बस के हिसाब से आमदनी का लेखा जोखा रखते होंगे, आमदनी निकालते होंगे।

जहां पर आपकी 45-45 बसें मार्गों पर चलती थीं और आपको फायदा होता था वहीं पर आज केवल 20 ही बसें चलती हैं। झांसी के सभी क्षेत्रों में चाहे बांदा हो, चाहे झांसी हो, आपके द्वारा वहां पर बस चलाए जाने की जो संख्या दी गई है, उनकी आधी बसें वहां नहीं चल पा रही हैं। आपको गलत जानकारी है, आज आप जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करवा रहे हैं। आप कहते हैं कि सड़कों पर 4 हजार बसें चल रही हैं जबकि मुशकिल से केवल तीन हजार बसें ही सड़कों पर चल पा रही हैं। लेकिन आज बसों की जो सड़कों पर चल रही हैं, उनकी क्या हालत है उसकी यह तो शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि शासन ऐसी बसें चलायेगा जबकि शासन ने नियम बना रखे हैं कि अगर व्यक्तिगत बस मालिक की कोई बस जिसमें सीटें न हों, पानी चूता हो, खड़खड़ की आवाज आती हो, 4 मील चलकर टायर बर्स्ट हो जाते हैं, उनका परमिट कैंसिल कर दिया जायेगा। लेकिन आपकी बसें मान्यवर, 4 मील के बाद खच्चर की तरह रुक जाती हैं। जब कि खच्चर तो फिर भी नहीं रुकता। आप कहते हैं कि उत्तर में प्रदेश में 9 हजार प्राइवेट बसें चल रही हैं। एक प्राइवेट बस मालिक 3-4 हजार रुपये मासिक की आमदनी करता है लेकिन आपका निगम घाटे में चल रहा है। एक बस मालिक 5 साल के अन्दर दूसरी बस खरीद लेता है। और ऐसा घाटा कि अगर देखा जाये तो जो जीप कारें, बसें आपकी हैं उनको नीलाम किया जाए तो उसमें एक भी पुर्जा आपको नहीं मिलेगा, वह सब आपके विश्वासपात्र लोगों द्वारा बेचे जा रहे हैं और उनकी कीमत आपको तिहाई, चौथाई ही प्राप्त होगी।

मैं उनको विश्वासपात्र इसलिए कह रहा हूं कि आपने आज तक उनको नहीं हटाया जबकि स्वयं स्वीकार किया है। इतने केसेज चलने के बावजूद एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं किया गया। हां कण्डक्टर और ड्राइवर जो डेढ़ सौ रुपया पाता है, जरूर सस्पेंड हैं। मैं आप से मंत्री जी मांग करता हूं कि सदन को आश्वासन दें कि एक महीने के अन्दर अगर उनके केसों का निपटारा नहीं होता है तो उन्हें बहाल कर दिया जायेगा। 2-2, 4-4 हजार रुपये पाने वाले अधिकारी के खिलाफ 8 महीने से कोई उनके केस का निपटारा नहीं हो रहा है।

इस देश में उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। हमारे हां से मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा को जाने के लिए बहुत से यात्री है लेकिन

उनके लिए कोई बस सुविधा नहीं है । मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर झांसी से कोई व्यक्ति हरिद्वार जाना चाहे, फैजाबाद, वाराणसी जाना चाहे तो उसको कोई बस की व्यवस्था नहीं है । अतः मेरी आपसे मांग है कि जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, परिवहन विभाग के जो 13 केन्द्र खुले हुए हैं, इन ऐतिहासिक केन्द्रों, धार्मिक स्थलों को उनसे जोड़ दिया जाये ।

अब मैं आपका ध्यान इनके बस स्टैण्ड की तरफ दिलाना चाहता हूं । कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टोंटी गायब है, शौचालयों के दरवाजे गायब हैं, सालों से सफाई नहीं हुई । 2 साल पहले जो व्यक्ति वहां गया होगा, वहीं सूख कर के पड़ा होगा । इलाहाबाद, बनारस आदि को छोड़ कर सब जगह बरसात के समय में टपकती रहती हैं । इसके अलावा वहां जो दुकानें लगा रखी हैं आपने, वह मनमाने भाव से सामान बेचते हैं । जनता की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । सुरक्षा का पूरी तरह से अभाव है । यात्री दो घण्टे के लिए बस स्टैण्ड पर रुकता है उसी में चोरी हो जाती है आपकी 8 महीने की व्यवस्था में ऐसे भी समाचार, समाचार-पत्रों में आये कि रात्रि में यात्री की इज्जत से खिलवाड़ होता है । कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे—

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

2 मिनट और लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे 30 मिनट बोलना है । आपकी रूट के राष्ट्रीयकरण की नीति है । जहां आपके निगम को 12 आने की आय होती है वहां तो राष्ट्रीयकरण हो रहा है और जहां लाखों रूपयों की आमदनी होती है वहां कोई राष्ट्रीयकरण नहीं । जैसे बहराइच और नेपाल रूट पर । इसी तरह से और भी बहुत से मार्ग । आपने जनता के सुख के लिए यह विभाग खोला है, अगर आप बसें नहीं चला सकते, बसों को खरीद नहीं सकते तो आप अनुबन्धित बसें क्यों नहीं चलाते अपने ही मार्गों में जनता की सुविधा के लिए 9 हजार लोगों को परमिट दिया है परमिट कर दिया है । मैं मांग करता हूं कि आप प्राइवेट बस मालिकों के जिनके पास निजी बसें नहीं हैं, दूसरे के परमिट पर दूसरे की बसें चल रही हैं, उन परमिटों को कैंसिल कर दीजिये । लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है । उस लाबी में बैठने वाले अधिकांश विधायकों के पास 16-16, 20-20 परमिट हैं, 20-20 हजार में उन को बेच दिया है । ऐसे परमिटों को समाप्त कर दें ।

कर्मचारियों के संबंध में मैं आपसे मांग करता हूं कि आज उनकी हालत क्या है, बहुत खराब है, हजारों की तादाद में कर्मचारी ऐसे हैं जो कंफर्म नहीं हो पाये हैं । वह नियमित कर्मचारी नहीं बन पाये हैं तो आपको एक निश्चित समय पर इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और श्रीमन्, एक बात मुझे और कहना है कि जो बस चालक हैं, जो बस चलाते हैं उनका वेतन रेल के ड्राइवर के समान होना चाहिए । जो बस का ड्राइवर है वह भी इतनी लम्बी यात्रा करता है और उसका वेतन बहुत कम है इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए और कंडक्टर जो उसके साथ चलता है उसका भी वेतन बढ़ाना चाहिए ।

अगर अपने इस परिवहन निगम को आप जनता के लिए चलाना चाहते हैं तो आपको निगम का सरकारीकरण समाप्त कर इसका समाजीकरण कर देना

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

चाहिए और एक प्रबंधक मंडल बनाना चाहिए जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, मेकैनिक और जो पूंजी लगाता है यानी सरकार, तीनों को शामिल होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा। आज बोनस जो है वह भी कर्मचारियों को आपको 8·33 परसेन्ट देना चाहिए और मैं इन सुझावों के साथ यह मांग करता हूं कि हमारे अन्य साथी बन्धु जो हैं, जो सुझाव मुझसे रह गए हैं और जो जनता के लिए आवश्यक सुझाव हों वह यहां रखें क्योंकि यह जनता के लिए सबसे बड़े दुख-दर्द का विभाग आज बना हुआ है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सुझाव अवश्य दें।

*श्री दीनानाथ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ आबादी के लिए आज यातायात की सुविधा परम आवश्यक है और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत कम है। आज उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में 30-30, 40-40 किलोमीटर के भूखण्ड ऐसे हैं जहां पर आपकी बसेज नहीं चलती हैं। यद्यपि जब से आपने परिवहन मंत्रालय संभाला है लगभग दो करोड़ का घाटा परिवहन निगम को परमंथ होता था उसको आपने पूरा किया और आज आपका निगम लगभग दो लाख पर मंथ के प्राफिट पर आ गया है। यह आपके कुशल संचालन और देख-रेख के कारण हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। आपने यह भ्रष्टाचार किस तरह से कम हो। भ्रष्टाचार ऊपर से फैलता है और इसके निराकरण के लिए परिवहन निगम में आपने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० मह प्रबंधक और उप प्रबन्धक लोगों को पोस्ट किया जिसकी वजह से आपके डिपार्टमेंट का दो करोड़ का परमंथ का घाटा पूरा हो गया और दो लाख के फायदे में आप आये। आपके डिपार्टमेंट का एकाउन्ट्स आफिसर अच्छा होना चाहिए। बैलेन्स शीट आपकी परमंथ ठीक नहीं बनती। (व्यवधान) माननीय मोहन सिंह जी जरा कृपा रखें हमारे ऊपर। अभी बैठा देंगे अध्यक्ष जी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि परिवहन निगम की परमंथ बैलेन्स शीट कर दी जाय तो यह निगम और प्राफिट में आ जायगा और इसके लिए एक चुस्त, ईमानदार, एक अच्छा एकाउन्ट्स आफीसर की आवश्यकता है। जैसे आपने आई० ए० एस० जनरल मैनेजर और पी० सी० एस० डिप्टी जनरल बैठाये हैं उसी तरह आप आई० ए० एस० एकाउन्ट्स आफीसर बैठायें ताकि आपके निगम में बैलेन्स शीट ठीक से बनाई जा सके।

श्री मोहन सिंह—

कन्डक्टर भी आई० ए० एस० बना दिये जायं।

श्री दीनानाथ—

मोहन सिंह जी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

आप राष्ट्रीयकरण की बात किये, परमिट की बात किये। यह तो अच्छा हुआ कि परमिट देने में निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था अखबारों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यमसे स्टटटमेंट देकर आपने सारे बस ओनर्स को, सारे परमिट लेने वाले लोगों को आगाह किया और परमिट देने में जो भ्रष्टाचार था उसको आपने समाप्त किया। आपके इस कार्य की मैं सराहना करता हूं।

मान्यवर, अभी हमारे विरोधी पक्ष के भाई ने आपसे एक महीने के अंदर छोटे कर्मचारियों पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके निराकरण के लिए सुझाव दिये। उनके सुझावों को आपको मान्य करना चाहिए क्योंकि जो छोटे कर्मचारी हैं इसके केसेज सन् 68-69 और 71 से पेन्डिंग हैं और वे सस्पेन्ड हैं जिनकी सेवायें बीस साल, दस साल, पन्द्रह साल हैं वे सस्पेन्ड चल रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनके केसेज बहुत पहले निपटा दिये जाने चाहिए थे। लेकिन डिपार्टमेंट की ढिलाई से ये केसेज निपटाये नहीं जा सके, यद्यपि इसके लिए एक सेल भी बनाया है और वह सेल इन छोटे कर्मचारियों के केसेज को निपटाने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट और चाहिए।

श्री मोहन सिंह—

मंत्री जी, जो बात नहीं कह सकते उनसे कहलवा रहे हैं।

श्री दीनानाथ—

आपने हर बड़े स्थान पर एयर कन्डीशन्ड और एयर कूल्ड बसें चलाने की कोशिश की है। हमारे बस्ती जिले में डुमरियागंज तहसील से लखनऊ तक आपने एयर कूल्ड बस चलाई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे बस्ती जिले के नजदीक लुम्बीनी जी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है जहां फारेन के भी लोग आते हैं वहां के लिए भी आपको एयर कूल्ड बस चलानी चाहिए। बस्ती, बांसी, नौगढ़ और ककरहवा होते हुये बस चलनी चाहिए। जनता पीरियड में हमारे बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांसी डिपो बनाने के लिए जमीन एक्वायर की गई थी और धन भी स्वीकृत हुआ था। वहां काम प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांसी में परिवहन निगम की तरफ से एक डिपो बनाने का कार्य सम्पन्न करा दें।

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, वैसे तो ऐसा कोई भी विभाग इस देश में नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न लगा हो और ऐसा कोई भी अधिकारी या अब क्या कहें मंत्री जी को बुरा लग जायगा जो भ्रष्टाचार से रंगा न हो।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवन्त सिंह विष्ट---]

[3 बजकर 45 मिनट]

यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ? नेहरू जी कहते थे कि रिश्वतखोरी नहीं चलेगी । ऐसा है कि रिश्वतखोरी एक प्रकार का दान जैसा चल गया है और भ्रष्टाचार भी एक प्रकार इसी तरह का दान हो गया है । परिवहन निगम जो बनाया गया है वह सिर्फ इसलिये बनाया गया है कि किस तरह से रुपया ऐंठा जाय । इसलिये इस तरह के संगठनों को चलाया जाय । बेचारे मंत्री जी क्या करें ? आज तो मंत्री बनन की होड़ लगी हुई है । आज ही नहीं, जब से मंत्री बनने का विधान बनाया गया है तभी से होड़ लगी हुई है [* * *] उसके लिये सबसे बड़े विभाग हैं---परिवहन, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, न्याय आदि । ऐसा कोई विभाग नहीं जिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है ।

श्रीमती कमला साहनी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने आक्षेप किया है कि मंत्री ऐसे विभाग चाहते हैं जिनसे कि उनकी आमदनी हो । इसलिये मान्यवर, आप माननीय सदस्य को ऐसा कहने से रोकें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

बहन जी को बुरा लग रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपके भाषण में कोई इस तरह के शब्द होंगे तो उनको निकाल दिया जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

काहे को निकाल दिया जायेगा । मेरे शब्द अटूट सही हैं । आप अखबरों को उठाकर देख लें । मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य मंत्री पद में नहीं था उस दिन की आमदनी और जब वह मंत्री बन गया उस दिन के बाद उसकी आमदनी क्या थी---उसके पास कार बंगला आदि कहां से आ जाता है ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपको देश को बनाना है तो जो भ्रष्टाचार फैला है उसको दूर करना होगा । मान्यवर, नारंगी में रोग ऊपर से ही लगता है । उसी तरह से भ्रष्टाचार भी ऊपर से ही शुरू होता है । इसी तरह से परिवहन विभाग के अधिकारी भी हैं । एक साल के अन्दर 5/6 लाख रुपया कमा लेते हैं । यदि 5/6 लाख नहीं कमाते हैं तो यह सब कहां से आता है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बजट पर बोलें ।

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसर कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय मंत्री जी ने एक क्रांतिकारी आवाहन किया है कि सब को परमिट दे दिया। मैं पर्वतीय आंचल से आता हूं। मैंने भी वहां के ड्राइवरों से कहा कि आप भी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं क्योंकि मंत्री जी ने घोषणा की है इस-लिये आप भी दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि यह सब कागज में है हमको परमिट नहीं मिल रहा है। पर्वतीय अंचल में आपकी कृपा से परिवहन की बसें चलीं। तीन महीने के अन्दर यह नतीजा हुआ कि चार परिवहन विभाग की बसें गिर गईं और उसमें 40/42 आदमी मर गये। इसका मुख्य कारण आपके वर्कशाप की कमजोरी है। स्थित यह है कि बसों के नये पुरजे मारकेट में मिलेंगे और पुराने गाड़ियों में मिलेंगे। मैंने पहले भी मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मैं एक बार मुरादाबाद गया था। वहां पर आपकी 68 बसें वर्कशाप में थीं। टायर गाड़ी से निकाल दिये गये और वह वैसे ही वहां खड़ी थी। मान्यवर, पैसा कमाने के एक तरीका और है ये गाडियां पुरानी दिखा देते हैं और वही गाड़ियां, प्राइवेट लोग खरीद लेते हैं जिनको ठीक कराकर वह बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं यदि आपको देश की वास्तव में पीड़ा है जैसी कि आपने शपथ ले रखी है तो भ्रष्टाचार को क्यों पनपाते हैं, जांच क्यों नहीं कराते हैं? अपनी भी जांच कराइये पहले अपनी जांच करायें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरी भी जांच करा लें। मेरे घर की जांच करें ताकि लोगों के सामने बात साफ हो जाये। नहीं तो झूठे क्रांतिकारी होने की बात नहीं करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि यथानाम तथा गुणा वाले हमारे माननीय परिवहन मंत्री हैं वह वीरबहादुर सिंह हैं तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह अपने विभाग में फैले भ्रष्टाचार को ऊपर से नीचे तक जांच करायें और अपराधियों को दंडित करें। आज तमाम नवयुवक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं जो बेरोजगार हैं इससे भ्रष्ट लोगों को सबक मिलेगा और मालूम हो जायेगा कि इससे सजा मिलती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*परिवहन राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

मान्यवर, आदरणीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसको मैं सुन्दर रूप प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे कहना चाहता हूं कि जनजीवन में हर एक को कोई न कोई वाहन की जरूरत पड़ती है। परिवहन का जैसा रूप पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं बताने के लिए उनके चरणों में स्वयं हाजिर होता परन्तु मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जिस कारण मैं बीच में कुछ दिन गायब रहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहरहाल हमारे रूप को ठीक तरह से समझ लिया जाय। कटौती का प्रस्ताव जरूर होना चाहिये उसमें सुझाव आना चाहिये क्योंकि अगर कटाक्ष प्राप्त नहीं होगा तो यकीनन आयोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए जन-जन को कटाक्ष करने का हक है वह करना चाहिए उससे हमें खराबियां मालूम होती हैं। मैं आपके सामने इसका रूप प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा इंफोर्समेन्ट एक्ट है मोटर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह पेठी—]

विहिकल्स ऐक्ट उसका कड़ाई से लागू करना है, दूसरा हमारा काम है रैवेन्यू का, कि अधिक से अधिक आय प्राप्त करें, तीसरा काम है अखराजात को कंट्रोल करें। तो मैं पहला रूप प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आप खुद एहसास करेंगे कि किस तरह से वसूली हुई है ? 1977–78 में यह 45·07 करोड़, 1978–79 में 51·5 1979–80 में 61·35 करोड़ और 1980–81 में जो फरवरी, 28, 1981 तक का आंकड़ा है वह 64·23 करोड़ की प्राप्ति हुई है अगर इसमें मार्च का एक महीने का और जोड़ लें जो करीब 5 करोड़ होगा तो यह आय 69 करोड़ तक होगी। तो यह हमारी प्रगति के आंकड़े हैं। अगर हमने प्रगति की है तो उसकी हमें दाद मिलनी चाहिये उससे हमारे काम में मदद मिलती है।

इसी तरह से इनफोर्समेन्ट के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। हमने कोशिश की थी कि चैकिंग सख्ती से हो, क्योंकि, रोड पर बहुत से अनआथोराइज्ड गाड़ियां आ चुकी हैं उसके लिए डिपार्टमेन्ट का फर्ज है कि वह उन्हें रोके। तो हमने 55 चैकिंग स्क्वैड बनाये जिसके आधार पर हमने 63,332 मुकदमे कायम किये और इससे वसूली जो हुई वह 40 लाख 45 हजार रुपये हुई इसमें इधर दो महीने की वसूली के आंकड़े नहीं हैं। हमारे महकमे ने विकास के लिहाज से तरक्की की है लेकिन इसको और मार्गदर्शन चाहिये। हम तवक्को करते हैं कि हमें आलोचना से आप मार्गदर्शन दें। निदेशालय चलाने में इस बार पहली दफा लगभग 12 लाख रुपये की खर्च में कमी की गई है। यह कोई मामूली काम नहीं है, इस धन को आप मामूली भी मान लें, फिर भी इतना मानना ही होगा कि हम एक सही दिशा की ओर चल रहे हैं और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। इसका जनजीवन के साथ बड़ा लगाव है, यह बड़ा क्रिटिसिज्म चाहता है। देश और प्रदेश के साथ इसका चलना तभी सम्भव हो सकता है जब विरोध पक्ष इसके बारे में अपने अच्छे–अच्छे रचनात्मक सुझाव दें।

एक सड़क और परिवहन निगम जो है, इसका बजट यहां नहीं होता है, फिर भी हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं और कहा भी गया है कि साफ–सुथरी और समयबद्ध बसें चलनी चाहिए। यह हमने काफी हद तक किया भी है और हमारी 70 से 80 परसेन्ट तक बसें सही समय पर चल रही हैं और इसे और आगे ले जाने का हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जो कमियां हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और उसे हम पूरा करेंगे।

परिवहन विभाग के भंडारों को भी हमें दुरुस्त करना चाहिए। हमारे जो पुर्जों को क्रय करके स्टोर करने का केन्द्र है, उसके बारे में हमने बहुत साफ निदेश दिये हैं कि एक महीने तक की अवधि के भंडार को तो वह खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जो हमारी क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यशाला हैं, उसमें तीन महीने से ज्यादा का सामान क्रय करके नहीं रखा जाएगा। इस तरह से हम पुर्जों की चोरी और उसके साथ उस्तादी को रोकने का काम कर रहे हैं। हमने दो इकाइयां बनाई हैं, जिनके अन्दर हम पुराने पुर्जों का साफ करके, काम लायक बनाकर फिर से चलाना चाहते हैं इसके अन्दर एक और काम हुआ है, डीजेल के खर्चे में भी हम 25 परसेन्ट की कमी करने जा रहे हैं, जो ड्राइवरों को प्रशिक्षित करके हम उनसे कम डीजल कंजम्शन में उनसे ज्यादा काम लेना चाहते हैं। एक हमने महत्वपूर्ण काम और किया है कि चालकों और मेकेनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए हमने एक कालेज खोला है। तो यह हमारे कोई मामूली काम नहीं हैं। क्रान्तिकारी काम हैं।

प्रदेश के विकास में इनका खड़ा होना पहले थोड़ा छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन यह बाद में बड़ा और महत्वपूर्ण हो जायेगा। आप नोट करें, 6–7 सौ चेसिस टाटा की जो हमको मिलती हैं, हमारी आवाज बहुत तेज है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं और महसूस करते हैं कि इसने प्रदेश की बड़ी सेवा की है, 18 सौ बसें हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह हमको उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। इसीलिए हमने अनुबन्धित बसों को लिया है अपने बेड़े में और इसीलिए हमने राष्ट्रीयकरण की पालिसी नहीं चलाई है। हम राष्ट्रीयकरण करके यह नहीं कहना चाहते हैं कि जनता को असुविधा हो। 45 हजार कर्मचारियों को जो हम रोजी दे रहे हैं उसकी बढ़ोत्तरी करके हम एक लाख की संख्या तक उनको ले जाना चाहते हैं, हमारी कोशिश है।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस जन को ही हम बसों में सुविधा देंगे। बसें हर एक की सेवा करने के लिए हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर माननीय सदन के सदस्यगण कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकें तो दें ताकि हम उस पर विचार कर सकें और अपने विभाग में तरक्की कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोध पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ है वह स्वयं ही वापस होना चाहिये।

श्री मोहन सिंह—

माननीय सेठी जी को तो सांस्कृतिक विभाग का बजट पेश करना चाहिए था।

श्री ऊदल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सदन में कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सेठी जी कहते हैं कि हमारी ओर से कुछ रचनात्मक सुझाव ही दिए जायं। मैं समझता हूं कि सुझाव ही दिए जायं इस विभाग के 2 अंक हैं। एक तो परिवहन निगम है और दूसरा परिवहन आयुक्त का विभाग है जो कन्ट्रोल करता है, परमिट देता है, एंफोर्समेन्ट करता है और गाड़ियों के चालान भी करता है। इन दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों में ही सुधार की बहुत गुन्जाइश है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम फ्री परमिट देना चाहते हैं। मेरा उनसे केवल इतना ही निवेदन है कि कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये, स्टे भी हो गया है। जिन लोगों को आपने परमिट दे रखे हैं, वे अस्थायी रूप से दे रखे हैं। अगर आप स्थायी रूप से परमिट दें तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। वाराणसी से एक रूट किराकत है उस मार्ग पर केवल 2–4 स्थायी परमिट दे रखे हैं 15–16 अस्थायी हैं। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम उनको स्थायी रूप से परमिट दे दें ताकि उस रूट पर बसें चलने लगें। यह बात सही है कि परिवहन निगम की बसों से जनता की काफी सेवा हुई है लेकिन अभी भी उनमें सुधार की काफी गुन्जाइश है। हमारे निगम की बसें खराब रहती हैं, उनमें सीटें नहीं होती हैं और जितनी हमारी बसें हैं उनमें से कम से कम 20 प्रतिशत गाड़ियां खराबी की वजह से डिपो से निकल कर रूट्स पर खड़ी हो जाती हैं। टाइमिंग्स ठीक नहीं हैं।

[श्री ऊदल--]

मैं एक बार वाराणसी गया, वहां पर कोई बस उपलब्ध नहीं थी। करीब सौ, सवा सौ आदमी खड़े थे। मैं स्वयं स्टेशन इन्चार्ज के पास नहीं गया। अन्य मुसाफिर गये फिर एक गाड़ी लगी। उस पर मैं और मुसाफिर बैठ गये। स्टेशन इन्चार्ज ने उसके कहने पर फलां गाड़ी जायेगी और उस पर बैठा दो। वह गाड़ी 10 बजे जाने वाली थी। तो अगर यह कहा जाय तो इससे आपको नाराजगी क्यों होती है। जितने भी आपके बस स्टेन्ड्स हैं, उनके पेशाब खानों, टट्टियों को और पीने के पानी की व्यवस्था को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। यह भी देख लिया जाय कि आपकी कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। आजमगढ़ डिपो में कम से कम 125 गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने इस बारे में जब प्रश्न पूछा था तो मुझे बताया गया था कि कार्यवाही हो रही है।

मेरी प्रार्थना है कि जितनी गाड़ियां खराब पड़ी हैं, उनको डिस्पोज आफ कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैसिस मंगाइये। हमारे यहां पर जहां के माननीय लोकपति त्रिपाठी जी हैं, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर मार्ग के लिए 20 वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप देश को तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो अगर कहीं संविधान, नियम या कायदे कानूनी बाधा पैदा करते हैं तो उनमें तरमीम करना चाहिए, परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। यह सरकार का काम है, हमारा काम है केवल बताना।

(व्यवधान)

बहुत से रूट्स हैं ऐसे जिनका राष्ट्रीयकरण सरकार कर सकती थी, मगर पिछले 10 वर्षों में उसने किसी भी रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है।

एक बात और है। जो बाहर से गाड़ियां हमारे प्रदेश में आती हैं तीर्थ यात्रियों वगैरह को लेकर, उनका लाखों रुपया आपके यहां पड़ा हुआ है, वह एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया है, इस ओर भी माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें।

एक साहब हैं भुवाल सिंह जो सन् 1976 में ब्लैक मार्किटिंग में पकड़े गये थे और बाम्बे में मीसा में बन्द थे। जब वे यहां उत्तर प्रदेश में आये तो उनको उनके नाम से, उनके लड़के के नाम से और पतोहू के नाम से परमिट दिए वाराणसी रूट पर। इसकी जांच भी परिवहन आयुक्त ने की और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास पड़ी है, मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी कृपया उस ओर ध्यान दें।

एक यह मेरे पास 12 जून, 1976 का गजट है, इसमें छपा है कि एक परमिट हाकिम सिंह को दिया गया है राष्ट्रीयकृत मार्ग पर जिसका नं0 है एस0 टी0 17। यह गजट में माननीय मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा। वे इसे देख लें। यह वाराणसी से जमापुर तक का परमिट दिया गया है। 20 मील तक का यह राष्ट्रीयकृत मार्ग है। आर0 टी0 ओ0 ने यह दिया है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की धांधली जो इस आफिस से होती है इस पर कन्ट्रोल किया जाये। यह परमिट गलत दिया गया है।

इमरजेन्सी के समय में बहुत से कन्डक्टर्स एक दो जुर्म में सस्पेन्ड कर दिए गये, उनको निकाल दिया गया। आप कृपया उनके केस को रिव्यू करें और उनको नौकरी में ले लें क्योंकि वे गरीब लोग हैं।

इन शब्दों के साथ में इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह मांग करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाये तथा प्राइवेट लोगों के चंगुल से इस परिवहन निगम को बचाया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य कृपया कम से कम समय लें, 5-5 मिनट में ही अपना भाषण कृपया समाप्त कर दें ।

श्री धर्म सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध तथा माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि रेलों के बाद यात्रियों तथा सामान को ले जाने का काम सबसे ज्यादा यह विभाग करता है और इसलिए इस विभाग की महत्ता बहुत अधिक है । माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय जो बातें बतायीं उनको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था । बसों के बारे में यह कहा गया कि उनको फ्री कर दिया गया है । जहां तक बसों के फ्री करने की बात है मैं उसे नहीं समझ सका क्योंकि एक तरफ जहां आपकी रोडवेज की बसें चलती हैं वहीं पर आपकी फ्री और प्राइवेट बसें भी चलती हैं । और उसके साथ ही साथ मान्यवर, होता यह है कि जो रूट्स चलते हैं, जहां से बस चलती है मान लीजिए मेरठ से बुलन्दशहर को बस आती है, तो जो टाइम है, हर 10 मिनट के बाद में बस मिल जाती है और फिर 10 मिनट के बाद में दूसरी बस मिल जाती है, फिर हर 10 मिनट के बाद में तीसरी बस मिल जाती है । यह प्रातः 7 बजे 10 से बजे रात तक क्रम रहता है । यह सरकार की एक नीति है, जिसके आधार पर इस प्रदेश में यह क्रम चला आ रहा है । टाटा और बिड़ला जो पूंजीपति हैं, हालांकि आप रिस्ट्रिक्शन्स उसमें लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या बिड़ला या टाटा या जिन पर ब्लैक का पैसा ज्यादा है, करोड़पति हैं, वे मोनोपली नहीं कर लेंगे ? तो इससे जनता का हित कहां होगा ? जो गरीब आदमी हैं, जो अपना 50-50, 60-60 साल से यह कारोबार चलाते चले आते हैं, उनको आगे आप परमिट नहीं देते हैं, क्योंकि आपके यहां कोई वैकेंसीज नहीं हैं ।

मैं मान्यवर, 1952 के जमाने से जानता हूं, जिस रूट का रिस्ट्रिक्शन किया गया, आज तक वहां पर बस रोडवेज की नहीं चल पाई हैं और वह रूट जो है पूरे तरीके से ले लिया गया है । तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा कुछ सुझाव है कि इस सदन के कुछ सदस्य हों कुछ सरकारी कर्मचारी हों और इस तरीके से और दूसरे लोग भी हों जो उसके डिटेल्स में जायं, जो दूसरे सूबों में जायं, जो वहां पर जाकर अध्ययन करके एक स्कीम दें । अगर उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, तो उसको आप लागू करें ।

मान्यवर, स्टेशन पर सफाई बहुत जरूरी है । स्टेशनों पर बैठने में भी तकलीफ होती है । बसों के अन्दर बैठने में तकलीफ होती है । जब कोई एम0 एल0 ए0 अचानक आ जाय, तो उसको खड़ा होकर चलना पड़ता है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से खासतौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस बात को देखें । इसके अलावा आर0 टी0 ओज0 की बहुत बड़ी एक फौज है । परिवहन विभाग में जो प्रोमोशन्स इत्यादि होते हैं, मेरी जानकारी है

[श्री धर्म सिंह—]

कि केवल दो या तीन पोस्ट्स प्रोमोशन्स की हैं, जिन्हें हाइयस्ट ग्रेड मिल रहा है। उसके बाद डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के नाम से दो-तीन पोस्ट्स हैं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

कानपुर से बस लखनऊ को आती है और बीच में जो रिफ्रेशमेंट दिये जाते हैं, वहां पर मैं मानता हूं कि ड्राइवर और कंडक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन जो बीच में गाड़ी रोक देते हैं, उसमें वे 15-20 मिनट टाइम लगा देते हैं, तो बीच-बीच में वहां पर खाने-पीने के लिए मान्यवर, इस तरह के स्टापेज होने चाहिये, जहां पर पूरे तरीके से रिफ्रेशमेंट का भी इन्तजाम हो ताकि पैसेंजर्स भी रिफ्रेशमेंट कर सकें। मान्यवर, एक्सीडेंट चाहे बसेज के हो, चाहे रोडवेज के हों, चाहे प्राइवेट बसों के हों, चाहे ठेलों के हों, आप जी0 टी0 रोड चले जाइये कम से कम हर दो सौ मील पर 5 या 10 एक्सीडेंट आपको मिलेंगे।

मान्यवर, आपका जो 39 का यह एक्ट है, इसमें संशोधन होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया और जो मैंने सुझाव दिया है, माननीय मंत्री जी को, उस पर वह विचार करेंगे।

श्री खैरुल बसर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष—

समय की पाबन्दी आप करेंगे तो हम भी आपको धन्यवाद देंगे।

श्री खैरुल बसर—

मैं पिछले साल जब परिवहन के बजट पर बोला था, मैंने यह कहा था कि आप जो एयर-कन्डीशन बसेज चला रहे हैं, तो पहले इस बात की व्यवस्था कीजिए। कि जो छतों पर चल रहे हैं, उनके नीचे बैठने का इन्तजाम कीजिये। एयर-कन्डीशन बसेज तो चल गयीं, लेकिन छतों पर बैठ कर चलने वालों की तादाद भी बढ़ गयी। हमारे प्रदेश में लोग छतों पर बैठकर चल रहे हैं, किस तरह से जन-जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने उसी समय यह भी कहा था कि मैं उस समय तक उस सुरक्षित सीट का इस्तेमाल नहीं करूंगा और सरकार, विधायकों के लिए जो सीट सुरक्षित है, उसे समाप्त कर दें। नहीं विधायक सरकार बनाते हैं यही सरकार बस का इन्तजाम करती है। अगर हम जनता को बैठने का इन्तजाम नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि अपने क्षेत्र की जनता को उठाकर बैठें। मैंने तब से आज तक उस सीट का प्रयोग नहीं किया है। मेरी प्रोटेस्ट है। इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले जनता के बैठने का इन्तजाम किया जाय।

बसों में रोडवेज में प्रोफिट का जहां तक सवाल है, आज जितनी क्षतिग्रस्त बसें हैं, जैसा ऊदल जी ने कहा, बसों की संख्या घट गयी है। परिवहन की बसें ज्यादा रास्ते में खड़ी हो रही हैं। प्राइवेट जो बसें चल रही हैं, वे रोडवेज के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर से जाकर यात्रियों को खींच लाती हैं। हमारे मंत्री जी ने जो बजट बनाया है, उससे सब्जबाग दिखलाये जा रहे हैं। ये जो पूंजीपति हैं, तो इंगलैंड की तरह, इंगलैंड में सारी व्यवस्था बनाकर पूंजीपतियों के हाथ में बेंच दी थी, तो उसी तरह से जो हमारी रोडवेज है, वह बिक गयी है।

मंत्री जी भूल गये हैं कि हमारी रोडवेज दिवालिया होने जा रही है। व्यवस्था इससे बुरी कभी नहीं थी। आजमगढ़ से मऊनाथ भंजन जाने के लिए किसी भी समय बसें मिल जाया करती थीं, अब दो-दो तीन-तीन घंटे खड़े रहते हैं। अभी 500 लीटर डीजल चोरी हुआ था, आजमगढ़ डिपो के अन्दर। मैं वहां गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस आदमी ने रिपोर्ट की उसका विक्टीमाइजेशन हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं परिवहन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जो परिवहन के सम्बन्ध में आलोचनायें हमारे सामने प्रस्तुत की गयी, उन पर ध्यान देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारे माननीय मन्त्री जी ने परिवहन विभाग को सम्भाला था अक्तूबर के महीने में, उस समय यह कहा जा रहा था कि राज्य परिवहन निगम घाटे के कारण समाप्त हो जायगा। अक्तूबर तक 2 करोड़ रुपया का घाटा था, उसमें अपनी कार्यक्षमता और दक्षता के आधार पर परिवर्तन करके माननीय मंत्री जी ने 2 करोड़ का घाटा समाप्त कर दिया और आज यह निगम 5 लाख रु0 के मुनाफे से चल रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका एकमात्र कारण था, कोई अन्य चीज नहीं हुई, मन्त्री जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। क्योंकि जो कार्यक्षमता थी परिवहन विभाग की उसे संभाला गया। विभाग में व्यापक परिवर्तन हुए। जो सामान खरीदा जाता था उसमें छानबीन हुई। जो बेकार बसें पड़ी थीं उनको सुधारा गया और कार्य कुशलता पर विशेष ध्यान दिया गया।

परिवहन समाज का चलता हुआ अंग है। जिस देश व प्रदेश में परिवहन अच्छा नहीं होता है वह लंगड़ा समाज होता है। परिवहन विभाग का सम्बन्ध सीधे सड़कों से भी है। अच्छी सड़कें होती हैं तो परिवहन में प्रगति होती है। यह कहा गया कि घाटा किराया बढ़ाने से पूरा किया गया है। लेकिन सन् 75 से किराया नहीं बढ़ाया गया। जनता शासन ने अपने कार्यकाल में अवश्य किराया दुगुना तथा तिगुना बढ़ाया। परिवहन मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साहस करके तमाम संस्तुतियों के बावजूद केवल 20 प्रतिशत किराया बढ़ाने की ही अनुमति प्रदान की। लगता था कि बड़ा आन्दोलन होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बढ़े हुए किराए को जनता ने स्वीकार किया और फिर जिस दिन किराया बढ़ा उसके दूसरे दिन ही पेट्रोल व डीजल के दामों में भी 25 प्रतिशत वृद्धि हो गयी। परिवहन विभाग ने अपनी कार्यक्षमता से इतनी तरक्की की है कि डबल डेकर बस तथा एयरकूल बसें चलाई हैं। यह बड़ी भारी उपलब्धि है। तीर्थ स्थलों तथा ऐतिहासिक स्थलों से प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और इस प्रकार जो निराशा पहले परिवहन विभाग के प्रति हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर सिंह--]

रही थी वह अब दूर हो रही है। यह विभाग आगे इस बात का प्रयास करेगा कि जनता की सेवायें बढ़ाया जायं। इन शब्दों के साथ में बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बजट जिस तरह से प्रतिवर्ष दिया जाता है और जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है तो यह पाया गया कि फायदा कभी नहीं हुआ। लेकिन इधर जो प्राइवेट अन्डरटेकिंग के रूप में बसें ली गयी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी पाई गई और उनकी अच्छी व्यवस्था थी लेकिन परिवहन विभाग की बसों को देखा जाय तो दो साल के बाद तीसरे साल वे कंडम हो जाती हैं। छत तथा बांडी बेकार हो जाती है। परिवहन विभाग में बसों की खरीद में भी धपलेबाजी की गयी। इसके अलावा इस विभाग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बड़ी मनमानी चल रही है। मैंने यह प्रस्ताव किया था अपनी तहसील के सम्बन्ध में कि फैजाबाद से या महबूबगंज हल्वार बाजार तक रोडवेज बस चलाई जाय तो अधिकारियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दिया कि रास्ता खराब है, उस रूट पर कोई बस न चलाई जाय, जबकि उस रोड पर 6 प्राइवेट बसें चल रही हैं और एक रोडवेज की बस भी वहां चल रही है। विभाग ने कह दिया कोई बस चलना सम्भव नहीं है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो अधिकारियों की प्रवृत्ति है अपनी मनमानी रिपोर्ट दे कर मन्त्री महोदय को संतुष्ट करने की इसमें जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं हो सका है। गाड़ियों के टायर बेच दिये जाते हैं। उनके कल-पुर्जे हटा लिये जाते हैं और इंजन भी बेच लिया जाता है। और पुराने सामान उसमें लगा दिये जाते हैं और देखा गया कि बसें कंडम हो गयीं और उनको नीलाम कर दिया गया। इस लिए मैं ही कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जो धपलेबाजी है उसको रोका जाय और उसपर निगाह रखी जाय एवं अच्छी व्यवस्था की जाय अन्यथा यह अधिकारी जो अजगर की तरह बैठे हैं आपके बजट तथा आपके निगम को पूरी तरह भस्म करने के लिये तैयार हैं।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आप ने परिवहन बजट पर जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि, उन्होंने, इस लोकप्रिय सरकार ने जो वायदा किया था अच्छा रिजल्ट दिखाने का तो वह थोड़े ही समय में दिखला दिया है। साथ ही प्रबन्ध निदेशक को भी बधाई दूंगा कि थोड़े ही समय में उन्होंने इस विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार किया है। मान्यवर, जो लाभ, भिन्न-भिन्न प्रकार की बस सेवा शुरू करके, दिखाया है उसके लिए मन्त्री जी और सरकार बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, समय थोड़ा है इस लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहला सुझाव यह है कि जो नई बसों की आपने डिमान्ड किया है उसमें डिमान्ड की पूर्ति करने से पहले आप मेन्टीनेन्स, जो आलरेडी बसें हैं उनकी क्या दशा है, को देखें तो पहले उसमें जांच करलें और उसमें पहले सुधार करें क्योंकि जो बसों के पहिये और बैठने के गद्दे खराब हैं, खासतौर से, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें सुधार करा दें।

मान्यवर, दूसरी बात बसों की टाइमिंग ठीक नहीं है। अमेरिका के अन्दर ग्रेहन्ड प्राइवेट बस चलती है जिसकी टाइमिंग इतनी सही है कि उस बस के आने पर घड़ी मिलाई जाती है। इसलिए प्रार्थना है कि जो परिवहन निगम की बसें चलती हैं उनकी टाइमिंग पर कन्ट्रोल किया जाय।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर, में जो बसें चल रही हैं वह कम हैं और 4 हैं। सरकारी आंकड़े देखें तो 1 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हमारे यहां गंगा में स्नान करने आते हैं, जिसको देखते हुए क्या वह बसें काफी हैं? इसलिये हमारे क्षेत्र में परिवहन निगम की बसों की संख्या बढ़ाई जाय और छोटे बस स्टेशन अनुप शहर और जहांगीराबाद में दिये जांय। बुलन्दशहर के बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और सहदरा में यू0 पी0 के लोग निवास करते हैं। जितनी बसें आपकी जाती हैं बुलन्दशहर से दिल्ली वह वाया मोहन नगर होकर जाती हैं, इस लिए अनुरोध है कि उसमें 20—25 प्रतिशत निगम की बसों को शाहदरा हो कर दिल्ली भेजें। इसके साथ ही आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

*श्री धरम पाल—

मान्यवर, आपने परिवहन बजट पर बोलने का मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कटौती के पक्ष में और प्रस्तुत बजट के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर सबसे पहले मैं अपने मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वह कहते हैं कि क्रान्तिकारी बजट से हमने पेश किया और बढ़े लाभ का बजट दिखलाया है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह थोड़ी सी अपनी निगाह आंकड़ों को तरफ करें। मान्यवर, सब से पहले कहानी शुरू होती है अप्रैल 1980 से और समाप्त होती है फरवरी 1981 में। मान्यवर, 1980 में 780 करोड़ रुपये आपकी टिकट की बिक्री से आये और 747 करोड़ रुपये खर्च हुये और लाभ हुआ 33·20 लाख रुपय। मई 1980 में राष्ट्रपति शासन था और जून के महीने में आपके शासन का गठन हुआ। जून से कहानी शुरू करता हूं। जून के महीने में आमदनी हुई है जून 80—81 में 23—73 करोड़ रुपया और 8·56 करोड़ का आपका शुद्ध लाभ आता है। परिवहन निगम घाटे पर चलने के बाद आप कह रहे हैं कि लाभ हुआ है। आइये लाभ की लाइन पर चलिये अगर देखा जाय तो 1·93 लाख यानी 1 लाख 93 हजार का होता है। लेकिन यह देखने की बात है कि टिकट की कितनी बिक्री हुई। 858 लाख रुपये का 25 परसेंट किराया बढ़ाने के बाद घाटे पर चलने वाले निगम में यह जोड़ा जाय तो 6 सौ लाख के टिकट बेचे। यह इस विभाग की व्यवस्था है।

आइये अब मैं आपको इस विभाग के रिपुटेशन की ओर आपको ले चलता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा भाई धरम पाल मैं दिल्ली जा रहा हूं मेरे भाई की शादी है हमने कहा चलिये हम भी आ जायेंगे। हमने जब हमारे हिसाब से दिल्ली जाने का समय हो गया था दोपहर के समय रात्रि को गाड़ी जाती थी अपने मित्र के घर पहुंचा तो उनके यहां कोहराम मचा हुआ था हमने समझा कोई दुर्घटना हो गई या शादी टूट गई। जब मैं घर के अन्दर गया तो देखा कि किसी की मृत्यु की बात नहीं है, शादी का चक्कर था वह टूट गई। हमने बच्चे से पूछा क्यों रो

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरम पाल--]

रहे हो तो उसने कहा अंकल मेरे पापा दिल्ली जा रहे हैं हमने कहा इसमें कौन सी बात है तो उसने कहा अंकल आपको पता नहीं है हमारे पापा परिवहन विभाग की बस से जा रहे हैं, तो तुम क्यो रो रहे हो उसने कहा अंकल आज तक का रिकार्ड है परिवहन विभाग की बसें सही सलामत नहीं पहुंचती हैं ।

ज्यादा आलोचना करने के पक्ष में मैं नहीं हूं । मैं थोड़े सुझाव देना चाहता हूं आशा है हमारे सुझाव स्वीकार हों क्योंकि बहुत ही कंकरीट सुझाव हैं । सबसे पहला सुझाव मेरा यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये आपने लिखा है चिकित्सा के लिए 15 रुपया महीना और उसके ऊपर वालों को 20 रुपया । मैं चाहता हूं कि चिकित्सा सुविधा बराबर कर दी जाय । दूसरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जब मर जाता है तो उसको 12 हजार रुपया और उसके ऊपर वालों को 25 हजार रुपया दिया जाता है । क्या वास्तव में मनुष्य के जीवन का मूल्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले तनख्वाह से नापा जायेगा । कम से कम इसमें एकरूपता की जाय । 12 हजार की जगह सबका 25 हजार कर दिया जाय । इसी तरह से मान्यवर, जब किसी दुर्घटना में बच्चा मर जाता है तो 12 हजार और बूढ़ा मर जाता है 80 साल वाला जिसे वैसे मरना था तो उसको 20 हजार दिया जाता है कम से कम बच्चे के भविष्य को समझ कर इसको बढ़ाया जाय ।

आपने कहा 5 हजार बसें चल रही हैं इस पुस्तिका को देखने से जानकारी होती है कि ढाई हजार बसें चल रही हैं क्योंकि इसमें दिया गया है 15 हजार टायर खरीदे गये एक बस में 6 टायर लगते हैं इस हिसाब से ढाई हजार बस चल रही हैं इसके अलावा ढाई हजार का रिपेयर हो रहा है या डिपो में पड़ी है आप बसों के लिए समय फिक्स कर दें कि इतना समय चलने के बाद उनको लांग रूट से रीजन पर ले जायं और फिर इतना समय चलने के बाद उनको सिटी बस में चलाये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, कुछ कहने के पहले मेरे दिल में यह आया कि मैं एक शेर सुना दूं—

तेरे वायदे पर कहां तक मेरा दिल फरेब खाये
कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाये ।

श्री मोहन सिंह--

कमला जी ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

भाई मोहन सिंह, 5 मिनट का समय है और आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मान्यवर, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं । आप विरोध पक्ष के आंकड़ो को देखें। लेकिन परिवहन विभाग की नैतिकता चरम सीमा पर आज है

रही है और इस बात को आपको मानना होगा कि परिवहन विभाग में कई परिर्तन बड़े जोरों से आये हैं । अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे मंत्री जी के विषय में । इसमें कोई शक और शुबहा नहीं की मंत्री जी देखने में भी और सच्चाई के रूप में भी शांति और सादगी के प्रतीक हैं । उसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं । जैसा कि अभी हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं । तो मैं इसी के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जनपद में ए0डी0एम0 दास साहब नये-नये गये थे, जो अब डी0 एम0 हो गये हैं । उनकी ईमानदारी और नैतिकता को प्रत्येक आदमी जानता है और हम में से हर आदमी उनके बारे में जानता है । और आज विभाग में जो परिवर्तन आये हैं, उसके लिए बधाई के पात्र माननीय मंत्री जी तो हैं और अधिकारी व कर्मचारी भी हैं, जिनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से यह सारे परिवर्तन आये हैं ।

आज परिवहन विभाग अपनी गति से चल रहा है, लेकिन इससे यह मान लें कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ कमियां भी अभी हैं । अभी मान्यवर, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने कहा कि ऊंचे कर्मचारियों की तनख्वाहें डेढ़ हजार से लेकर दो हजार तक हैं, लेकिन वह काम कुछ नहीं करते, उन्हें सस्पेन्ड किया जाना चाहिए । इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, कर्मचारियों को तनख्वाह से मतलब नहीं है, इसको देखकर उन्हें सस्पेंड नहीं करना है, बल्कि अगर उनके काम में कोई गलती हो, तो उसे देखकर उनको सस्पेंड करना चाहिए । दूसरे यह कि जो मजदूर किस्म के कर्मचारी हैं, जिन्हें 3-3 और 4-4 साल पहले सस्पेंड किया गया किसी वजह से, लेकिन उनकी फाइलों को आज तक नहीं देखा जा रहा है और जो दारुलसफा के विधायक निवासी कर्मचारी हैं, ऊंचे-ऊंचे लोगों के कर्मचारी हैं, उनके काम तो फौरन हो जाते हैं । तो इस ओर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी कोई पहुंच नहीं है, उनकी फाइलों को आप देखें, अगर कोई उन्होंने छोटी-छोटी गलती कर भी दी हो तो उसको माफी दे दें ताकि उनका कुछ भविष्य सुधरे ।

एक रात हम लोग देवरिया से आ रहे थे । कंडक्टर और ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दास साहब आ रहे हो तो कम से कम दिलो-दिमाग में एक बात आयी कि यहां परिवहन विभाग का संचालन किसी हद तक सही तरीके पर चल रहा है । माननीय मंत्री जी गोण्डा डिपो की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कितने ऐसे ड्राइवर हैं, जिन्होंने आज तक स्टेयरिंग ड्यूटी नहीं की और तनख्वाह ले रहे हैं । मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती कि कोई ड्राइवर स्टेयरिंग ड्यूटी न करे और भत्ता उसको मिलता रहे । देवरिया के पडरौना क्षेत्र में श्री राज मंगल पाण्डे के समय में सन् 74 में वहां के कोने-कोने में बसें चलती थीं, जो बात मानने की है, लेकिन इधर कुछ समय से सारबोपर के रूट की बसें बन्द कर दी गयी । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बसें बन्द कर दी गयी हैं किसी वजह से उनको पुनः चालू किया जाए । बुधई पर बस चालू की जाए । गोण्डा-पडरौना बस चलाई जाए और सारबोपर स्टैण्ड चालू किया जाए । इन्हीं बातों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्षों की तुलना में इस

[श्री हरिवंश सहाय—]

वर्ष जो परिवहन विभाग में आमदनी हुयी है । अगर इस बात की माननीय मंत्री जी जानकारी करें कि 25% जो किराया बढ़ा दिया गया, उससे मूल आमदनी बढ़ी और अगर 25 परसेंट बढ़े हुए किराये को घटा दिया जाए तो पता चलेगा कि कोई आमदनी नहीं हुयी । आमदनी इसलिए नहीं हो रही है कि इसमें तमाम भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है । जब उन भ्रष्ट लोगों ने देखा कि हमारे भ्रष्टाचार का पर्दा खुलने वाला है तो मंत्री जी को सुझाव दिया कि 25 प्रतिशत किराया बढ़ाकर परिवहन विभाग में घाटा पूरा किया जाय । तो 25 प्रतिशत किराया जो बढ़ाया गया उस घाटे क, इसीलिये यह घाटा पूरा हुआ 25 प्रतिशत किराया बढ़ाकर । जब लोग बसों पर चलते हैं तो बसों में कोई टूल बाक्स नहीं रहता है । यदि 8 आने का भी कोई पार्ट खराब हो जाता है या टूट जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती, यात्री परेशान होते हैं । जब कोई मिस्त्री आता है और उसे ठीक करता है तब बस आगे चल पाती है । इसी तरह से बस पर कोई एकस्ट्रा टायर नहीं रहता है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बसों में एक टूल बाक्स जरूर होना चाहिये और इसके साथ ही पूरी बसों पर कम से कम एक एकस्ट्रा टायर होना चाहिये । इसके अलावा कंडक्टर और ड्राइवर के पास कम से कम 5 रुपये के पार्ट खरीदने का अधिकार होना चाहिये जिससे कि यदि कहीं कोई छोटी-मोटी पार्ट खराब हो जाय या कोई टूट फूट हो जाय तो कम से कम वह अपने उस अधिकार से पुर्जा क्रय करके तुरन्त उस खराबी को दूर कर सके ।

यहां पर आर० टी० ओ० विभाग की बड़ी चर्चा की गयी । मैं समझता हूं कि आर० टी० ओ० विभाग खाने कमाने वाला विभाग है और ऊपर के अधिकारियों को सामान पहुंचाने और खाने कमाने के अलावा और कोई काम नहीं है इसका । काम तो केवल साधन मात्र है या फिर सत्ता पक्ष की कोई रैली हो रही हो तो उस रैली को सफल बनाने और खाने कमाने के अतिरिक्त यह विभाग और कोई काम नहीं कर सकता है ।

आर० टी० ओ० विभाग के अधिकारी जब देवरिया में जाते हैं तो वहां से बंधी रकम लेकर के वापस चले जाते हैं । माननीय मंत्री जी को आज बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले में सलेमपुर में दिलावरघाट के ऊपर एक पक्का पुल बना हुआ है । उस पुल पर बस से पास करने वाले यात्रियों को पर यात्री से 8 आना किराया टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है । इस तरह से हर ट्रिप में 50 रुपये से लेकर 25 रुपये तक वसूल किये जाते हैं जबकि परिवहन विभाग केवल 10 रुपये ही देता लेता है । माननीय मंत्री जी उस टोल टैक्स को कम करके केवल 10 पैसा प्रति यात्री कर दें । एक बात और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बिहार सीमा पर बनकटा है, अब तक वहां कोई बस चालू नहीं हुई है । बनकटा बार्डर पर है वहां एक बस चालू करायें ।

देवरिया जिले में जो रोडवेज की वर्कशाप है उसमें तमाम भ्रष्टाचार है बरसात के दिनों में वहां पानी जम जाता है, निकल नहीं पाता है जिसके कारण गाड़ियां रुक जाती हैं, उसको ठीक कराने की व्यवस्था की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया । मैं जो परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत क्रान्तिकारी

बजट है उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि मेरठ आज तक का जो मेरठ ऐतिहासिक स्थल है, वहां से न तो कोई बस झांसी को आती है, न झांसी के लिये चलती है। मैं मंत्री जी से पहली बार अनुरोध कर रहा हूं और मेरा आग्रह है कि मेरठ से झांसी के लिये एक बस अवश्य चलवायें।

दूसरी बात मान्यवर, परिवहन विभाग जो प्रदेश के जन जीवन का आने और जाने का एक माध्यम है और जो समाज को गति देता है और जिससे कि समाज की समृद्धि होती है, उसमें परिवहन विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो बसों के परमिट फ्री किये हैं वह वास्तविकता में बहुत बड़ा कार्य है। हमारे जिले में जहां प्राइवेट बसों के परमिट 20-20 और 30-30 की संख्या में दिये जाते थे उनके नाम के आगे कहा जाता था कि यह दीक्षित जी का परमिट है, यह अब्दुल रशीद साहब का परमिट है। तो परमिट के आगे नाम लिये जाते थे। जो मोनोपोली थी प्राइवेट बसों के जो परमिट लेते थे, आज तक भी उनकी मोनोपोली थी। अब माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जो परमिट फ्री कर रहे हैं तो उससे कोई गरीब आदमी भी परमिट लेकर अपनी बस सड़क पर चला सकेगा, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[4 बजकर 45 मिनट पर]

दूसरी बात जो मान्यवर, ड्राइवर, कण्डक्टर्स हैं सबसे छोटे कर्मचारी हैं निगम में, इनकी तरक्की के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये हमेशा ड्राइवर, कण्डक्टर ही बने रहते हैं अतः मेरा सुझाव है कि आप इनकी तरक्की के रास्ते खोलें। जो सस्पेंड ड्राइवर और कण्डक्टर हैं उनको बहाल किये जाने की मांग करता हूं। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बताऊं, वहां एक ट्रैफिक सुपरिंटेन्डेन्ट हैं झांसी रीजन में सिद्दीकी। श्री सी० एम० बाजपेयी और वी० वी० सिंह से जूनियर थे, बहुत भ्रष्टाचारी थे, कानपुर में 3-4 मकान खरीदे हैं, झांसी रीजन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना दिये गये हैं मेरा पूर्ण आरोप है कि अगर मंत्री जी इसके खिलाफ, जिसका प्रमोशन किया गया है, जांच करायेंगे तो पायेंगे कि उन दोनों के साथ अन्याय किया गया है।

मेरठ नगर के अन्दर सेठी जी ने दो लोकल बसें चलायी हैं और मेरठ शहर में मोदी पुरम से मोहीउद्दीन और मोहीउद्दीनपुर से फकुंडा लोकल बसें चलायी जायें। वहां जो प्राइवेट मिनी बसेज चलती हैं उनमें अगर 30 आदमियों की जगह होती है तो 100 आदमी चढ़ जाते हैं, आदमी की सांस रुक जाती है, जूते चप्पल छूट जाते हैं। कुछ रीजनल मैनेजर्स ऐसे हैं, जो बसों के किराये में 5-10 पैसे फालतू लेते हैं, जबकि अन्य बसों में नहीं लिया जाता है। ऐसी स्थिति में झगड़े होते-होते रह जाते हैं। कन्नौज से मैं फर्रुखाबाद गया उसमें भी झगड़ा होते-होते बचा जब मैंने शान्त किया कि बस इतनी रद्दी है कि कानपुर से फर्रुखाबाद 6 घंटे लेगी, अगर बीच में रुक गयी तो दिक्कत होगी, तब जाकर कहीं झगड़ा रुका। दूसरा मेरा सुझाव है कि जितनी परिवहन निगम, रोडवेज के अन्दर खराब बसें हैं उनके मेन्टेनेन्स की ओर ध्यान दिया जाये। कुछ तो सड़कें खराब हैं और कुछ बसें उनके लिए अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता है। जो बसें एयर कण्डीशन्ड, एयर कूल चल रही हैं वे खाली चल रही हैं। इसमें भी मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन बसों का किराया कुछ कम कर दिया जाये। इतना ही कह कर मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इस प्रसन्नता के साथ इस पक्ष के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि भले ही उन्होंने इस बात को न कहा हो कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बोला है वह कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में ही बोले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से 2, 3, 4 बातें जो शेष रह गई हैं मैं उनको ध्यान में दिलाना चाहता हूं। एक गोरखपुर के सरदार जी हैं जो माननीय मंत्री जी से अच्छी भली प्रकार परिचित हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि कितना प्रेम व्यवहार आपसे है लेकिन एक करोड़ रुपये का लाइसेंस उनको दिया गया है, ठेका दिया गया है। जो कि चार साल पहले साइकिलों और मोटर के पंचर जोड़ा करते थे, न उनके पास कोई कारखाना है और न उनके पास कोई अनुभव है, न पूंजी है। माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि इसकी तुरन्त जांच करायें और आप शायद उनसे परिचत होंगे क्योंकि वह गोरखपुर के ही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ट्रकों के सम्बन्ध में और वह यह है कि केवल 8 टन माल लादा जा सकता है, 8 या 10 टन लेकिन यह देखा जाता है कि 12 या 13 टन से कम कोई नहीं लादता है और ओव लोड का कोई चालान नहीं होता है। 5 रुपया देकर चले जाते हैं इससे राजस्व का भी नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि 12 से 14 टन के बीच में माल लादने की अनुमति देने की कृपा करें। तीसरा मेरा कहना यह है कि हमारे पत्रकार साथियों को, मैं किसको सुना कर कहूं। सरदार जी बात कर रहे हैं और मंत्री जी उठ कर चले गये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। मंत्री जी आ गए, आप अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं यह कह रहा था कि पत्रकार बन्धुओं को प्रदेश में आपने दो हजार किलोमीटर तक की सुविधा दी है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाकर दूना कर दिया जाय और साथ में जो कार्ड उनको दी गई है उसके स्थान पर कोई कार्ड इशू कर दिये जायें जैसे विधायकों के लिए इशू किये गए हैं वैसे ही उनके लिए भी कार्ड इशू कर दें जिससे कि कभी कापी आदि न मिलने से जो कठिनाई होती है वह समाप्त हो जाय। एक और बात कहना चाहता हूं जनपदों के सम्बन्ध में। वहां बस स्टैंड के सम्बन्ध में अगर पूरे जनपदों में न कर पायें तो झांसी, बांदा, बहराइच में तो जरूर व्यवस्था करें बहराइच का तो पेपरों में घोषित है कि वहां एक डिपो है लेकिन वह चालू नहीं है मैं चाहता हूं कि जहां धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक केन्द्र हैं वहां पर बस स्टैन्ड पर यात्रियों के सामान रखने की, ठहरने आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात माननीय मंत्री जी आप से यह कहनी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब शक्कर ढाई रुपये किलो थी दुर्घटना में मृतक को आप बीस हजार रुपये देते थे। अब शक्कर साढ़े सात रुपये किलो हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है और होनहार प्राणी की ही दुर्घटना में मृत्यु होती है अभागे लोग जिन्दा रहते हैं, आप दुर्घटना में मरने वालों को बीस हजार रुपये से बढ़ा कर तीस हजार रुपये प्रत्येक को दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंत में मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप के 22 हजार अगर बसें हों तो प्रदेश की सुचारु रूप से व्यवस्था चल सकती है। इस समय आप की प्राइवेट और आप की कुल बसें मिला कर आप के पास 14 हजार बसें हैं। दो हजार आप खरीदना चाहते हैं। 16,000 हो गई। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से चार हजार की और व्यवस्था करनी है। चार हजार की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, प्राइवेट बस चलायेंगे कि सरकारी बस चलायेंगे या अनुबंधित बस चलायेंगे, इसकी घोषणा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का जरूर विचार कर लें कि अगर इस विभाग को सुचारु रूप से चलाना है जनता के लिए चलाना है—प्राफिट के लिए चलाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है तो प्रदेश के अंदर 22000 बसों की आवश्यकता है। इस समय आप की नगर सेवा बिल्कुल चौपट हो गई है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि नगर सेवा के संबंध में कहीं पर भी आप का ऐसा बोर्ड नहीं लगा है जहां पर यह लिखा हो कि यहां पर इस समय में बस मिलेगी। नगर सेवा के लिए इस समय आप के पास जो बसें हैं इनकी संख्या दुगुनी की जाय और हर चौराहे पर, जहां-जहां बस स्टाप है, वहां पर एक समय सारिणी टांग दी जाय जिससे लोगों को पता चले कि यहां से बस मिल जायेगी।

इतनी बात कह कर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके प्रति तथा माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव में रुचि ली है और समर्थन किया है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ और उस पर जो माननीय सदस्यों के, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, जो सुझाव आये उनके लिये मैं आभारी हूं।

मान्यवर, निगम की जो स्थिति है, हमारे परिवहन निगम की हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, इसको बड़े विस्तार से बता दिया गया है। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारे पास 9 हजार के लगभग प्राइवेट बसें हैं, 6 हजार के लगभग हमारी बसें हैं और यह बात सही है कि जो हमारी आबादी के लिए बसें कम हैं। हमें ज्यादा बसें चाहिए। मैंने कहा था दो हजार बसें और खरीदने के हम प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों से बसें लेंगे क्योंकि तमाम नये रूट बढ़ रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं। हमने परमिट सुलभ कर दिये हैं इसका फायदा होगा। जिन लोगों को परमिट मिलने में दिक्कत होती थी जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा कि जो लोग बगैर परमिट के चलाते हैं उन्हें स्थायी परमिट दे दिया जाय तो उस दिशा में काम हो रहा है वह दिक्कत अब नहीं होगी हर प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा प्रदान की जाय।

माननीय सदस्यों ने कोई बात नहीं कही। सारी बातें वहीं कही गयी जो हम सब जानते हैं। हमारे निगम की स्थिति इस प्रकार की थी कि 40 प्रतिशत बसें गैराज में पड़ी रहती थीं, सड़कों पर पड़ी रहती थी, आज इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। और भी सुधार हम करने जा रहे हैं। जो हमारे बस डिपो हैं उनमें भी हम सुधार करना चाहते हैं, इस दिशा में कार्यवाही करने जा रहे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर बहादुर सिंह—]

लेकिन जो चीज इतनी बिगड़ गई हो उसको छूमंतर करके ठीक करना चाहते हों तो वह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। माननीय सदस्य उस पक्ष के बोल रहे थे। उन्होंने क्या यह देखा कि जब उनकी सरकार थी तो इस दिशा में क्या-क्या काम किया गया। निगम में किस तरह से अनुशासनहीनता पैदा की गई मैं उसको नहीं कहना चाहता।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को भुला कर किस तरह से निगम को ठीक किया जाय सरकार इस दिशा में काम कर रही है मान्यवर, जो भी सुझाव आये हैं वे सब एक ही तरह के हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं स्थिति से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय अग्निहोत्री जी ने सुझाव दिया है कि ऐतिहासिक और तीर्थ स्थानों को जोड़ दिया जाय। इस दिशा में कदम उठाये गये हैं। वृन्दावन को द्वारिका से और उसको हरिद्वार, चित्रकूट और वाराणसी से सम्बद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वाराणसी को गोरखपुर से काठमांडू से जोड़ा जाता रहा है। इसके सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बात चल रही है और हमें आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। इसके अलावा हमारा यह भी प्रयास है कि जो हमारे पड़ोसी स्टेट हैं और उनकी जो राजधानी है उनके साथ अपने प्रदेश को जोड़ दें, भोपाल, अजमेर, जयपुर, अम्बाला आदि जगहों पर तो हमारी बसें जा रही हैं लेकिन अन्य प्रदेशों की राजधानियों में भी हम अपनी बसों को चलाना चाहते हैं जिससे हमारा और उनका आवागमन हो सके और दूर के लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही हमने यह भी किया है कि जो भी दिक्कतें हमारे लम्बे रूट पर होती थीं, छोटे रूट पर होती थीं, बसें नहीं रुकती थी, जहां से बस चलनी चाहिए थी नहीं चलती हैं, कंडक्टर लापरवाही बरतते थे, पैसेन्जर के साथ अच्छा बरताव नहीं करते थे, कंडक्टर या ड्राइवर को जो सुविधा देनी चाहिए थी ये सब बातें चाहे कोई कर्मचारी हो, जो निगम को अपना समझेगा, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, निगम को आगे बढ़ाने में सहायता देगा, जनता को सुविधा देने में शासन के साथ हाथ बटायेगा उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा और सहायता देंगे। लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, निगम के अधिकारियों को परेशान करेगा, ऐसे लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं।

इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। इसमें हो सकता है छोटे कर्मचारी भी हों। कुछ शिकायतें भी आई हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं काम पर नहीं जाते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो किसी को बख्शा नहीं जायगा। उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जायेगी। हमारा प्रदेश गरीब है। हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ऊंचा उठायें और जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखें। निगम तभी अच्छा काम कर सकता है जब उसको आपका और जनता का मौरल सपोर्ट मिलेगा। निगम के जो तौर तरीके हैं और जिस तरह से उसमें काम हो रहा है उनसे मैं संतुष्ट नहीं था और आज भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन एक दिशा बदली गई है, काम किया जा रहा है, उसके बारे में सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। मान्यवर, आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन आया है। जो लोग निगम को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, बहुत सी बातों की ओर इशारा किया गया कि जिस तरह से हमारा निगम चल रहा है उसमें खामियां हैं, हमारा प्रयास है कि किस तरह से हम डीजल की व्यवस्था करें, किस तरह से उसमें व्याप्त गड़बड़ी को दूर करें, कैसे करप्शन को दूर करें? हम इन सब दिशाओं में कठोर कदम उठा रहे हैं।

भंडार नियंत्रण की बात कही गई । कल पुर्जों की खरीद में शिकायतें होती थीं और माननीय सदस्यों ने भी उनके बारे में शिकायत की । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है चाहे वह हाउस में हो या बाहर हो, किसी को झूठा इल्जाम लगाने का अधिकार नहीं है । एक भी बैटरी इस तरह से नहीं खरीदी गई है । इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिये । हमने यह व्यवस्था की है और कड़े आदेश हैं कि जो भी सामान खरीदा जायेगा वह सीधे कम्पनी से खरीदा जायेगा, ओरीजिनल खरीदा जायेगा और किसी एजेन्ट के माध्यम से नहीं खरीदा जायेगा । इस तरह से जो कमीशन एजेन्ट लेता था वह कारपोरेशन को मिलेगा किसी निजी व्यक्ति को नहीं मिलेगा । इस दिशा में कठोर कदम उठाये गये हैं । यह जरूर है कि जो वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग थे उनको नुकसान हो रहा हो, वे परेशान हों, उन्हें दिक्कत हो रही हो । लेकिन सरकार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, सरकार किसी भी आदमी को गलत काम नहीं करने देगी । ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी बात हमारे सामने लायेंगे, ऐसे व्यक्ति को बतायेंगे तो सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है ।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर मैं साफ नहीं हूं, मजबूत नहीं हूं, ईमानदार नहीं हूं तो दूसरे को ईमानदार नहीं बना सकता । मैं इस बात को मान कर चलता हूं और काम कर रहा हूं । माननीय सदस्य कोई बात उठायें क्योंकि कहना तो आसान होता है उसको उन्हें पहले देख लेना चाहिये क्योंकि हर आदमी का कोई दुश्मन होता है और हर आदमी का कोई हित होता है तो उन सब बातों का पहले पता लगा लेना चाहिये । इस तरह से जो इलजाम लगाते हैं उससे इस हाऊस की बदनामी करते हैं, अपनी बदनामी करते हैं, मेम्बर की बदनामी करते हैं उससे समाज में अच्छा रूप नहीं पड़ता है । अगर कोई गलत काम करता हो चाहे मैं हूं या मेरे परिवार का हो या मेरा रिश्तेदार हो मैं किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा मैं गलत काम नहीं करता हूं और न करने दूंगा । हमने कठोर कदम उठाये हैं । टायरों के क्रय में तमाम गलत काम होते थे मैंने उसमें क्या-क्या कार्यवाही की है उसे मैं बताऊंगा ? टायर परचेज कैसे हो, बैट्री परचेज कैसे हो, पहले सर्विस मैनेजर द्वारा होती थी, अब उसके लिए हमने एक परचेज कमेटी बनाई है जो निगरानी करती है और सारे काम जनरल मैनेजर करता है ताकि कोई गड़बड़ी न करे । जो गलत काम करेगा उसे छोड़ा नहीं जायेगा ।

केन्द्रीय कारखाने में हमने एक रिसर्च एण्ड डिजाइन की व्यवस्था की है ताकि हमारे यहां जो चीजें बनती हैं वह अच्छी बने, जो बसों की बाडी बनती हैं उसमें कोई सुधार हो सकता है तो वह किया जाय अगर दूसरे राज्यों में अच्छी कोई चीज होती है तो उसको अपनायें दूसरे देशों में भी कोई अच्छी बाडी बनती हैं तो उसे बनाया जाय ।

हमने एयरकूल बस चलाई है ऐसी हमारे देश में कहीं नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में ऐसी बसें हैं । उसमें 100 परसेंट लोड फैक्टर बढ़ा है हर आदमी उसमें जाना चाहता है । ऐसी चीज बनी है जिससे निगम को फायदा हो रहा है, पब्लिक को भी फायदा हम कर रहे हैं, पब्लिक उसे पसन्द कर रही है तो ऐसे काम को हमें करना पड़ेगा । हमें ज्यादा बसें चलानी हैं हमारे लोग गरीब हैं उन्हें हमें सुविधा प्रदान करनी है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी करना पड़ेगा

[श्री वीर बहादुर सिंह---]

कि जो टूरिस्ट यहां आता है, या बाहर के यात्री आते हैं उनको भी सुविधा देनी है। इन सब बातों को देखकर हमें अच्छी सुविधा देनी है और जो दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं उनको भी सुविधा मिलनी चाहिये। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, बहुत से काम हमने किये हैं बसों की सफाई के लिए एक नया प्लांट हम लगा रहे हैं जिसमें तीन मिनट में एक बस की सफाई हो जाती है यह छोटा सा प्लांट है। हमारी बसें जो गंदी रहती हैं वह तीन मिनट में साफ होकर आ जायेंगी, ऐसे प्लांट हम लगाते चले जा रहे हैं। और भी शिकायतें आई है कि बस स्टेशन गन्दे रहते हैं, वहां पर लैट्रीन गन्दी रहती हैं। इसके लिए हमने किया है कि जो स्टेशन इंचार्ज होगा वह जिम्मेदार रहेगा उसकी यह जिम्मेदारी होगी, जो भी शिकायत होगी उनके लिए वह जिम्मेदार रहेगा।

हम यह भी करने जा रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 17-17 और 15-15 वर्ष से एक ही जगह पर बैठ हुये हैं और मोनोपोली कायम किये हैं जिससे निगम को हानि हो रही है तो ऐसे लोगों को हटा देंगे। इसमें नियम सब के लिए बराबर होगा। जितने लोग हैं उनका ट्रांसफर किया जाय एक नियम से ट्रांसफर सब का होगा उसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। जो भी गलत काम किये गये हैं उनको दूर किया जा रहा है उसमें हमें काफी सफलता मिल रही है, काफी कठोर कार्यवाही कर रहे हैं, जांच पड़ताल भी हम काफी सख्ती से कर रहे हैं।

जो हमारा अरबन ट्रांसपोर्ट है उसमें सुधार करना है जैसे आगरा है और दूसरे कवाल टाउन्स हैं जैसे बनारस है इलाहाबाद है या कानपुर है जो हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेन्टर है इसी प्रकार 35-40 लाख आबादी लखनऊ की है, मेरठ और दूसरे बड़े-बड़े कस्बे सहारनपुर, गोरखपुर आदि आते हैं जो कि बड़े-बड़े शहर हैं, जिन नगरों में हमें नगर बस सेवा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम नगरीय सेवा के लिए एक अलग से अरबन यूनिट का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। उसके द्वारा नगरीय सेवा की बसों का संचालन एक जगह से, पृथक रूप से एक सा होगा। हम कानपुर जैसे बड़े-बड़े नगरों के लिये विश्व बैंक से सहायता मांग रहे हैं, ताकि हम कलकत्ता और बम्बई की तरह की कुशल सेवा इन नगरों में दे सकें।

अनअथोराइज्ड बसों का चलना रोकने के लिये हमने कारगर कदम उठाये हैं। हमारे जो नियम बने हैं, उसके अन्दर जो लोग पकड़े जाते हैं वे जमानत कराकर चले आते हैं। इसलिए अब हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं, ताकि वह दुबारा इस प्रकार का काम न कर सकें। इसके लिए हमें ऐक्ट कुछ अमेण्ड करना पड़ेगा और उस दिशा में हम सोच रहे हैं। अब तक 19 संभागीय अधिकारी हैं जिन्होंने ठीक से अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया, चेकिंग आदि ठीक से नहीं की है उनको चेतावनी दे दी गई है। संभागीय निरीक्षक को चेतावनी दी है और इसी प्रकार अन्य लोगों के बारे में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई हैं। अभी हमने निगमों में बिलकुल ही कठोर कार्यवाही की है। एक उप प्रधान प्रबन्धक को अभी हमने सस्पेंड किया है, एक क्षेत्रीय और सहायक प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एक क्षेत्रीय प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही

करने की संस्तुति की गई है। एक क्षेत्रीय और सहायक प्रबन्धक को रिवर्ट कर दिया गया है।

इसी प्रकार से तमाम लोगों के खिलाफ हमने समय-समय पर कठोर कार्यवाही की है और बहुत से फोरमैन आदि लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की है। इस तरह से कुल करीब* ढाई सौ आदमियों को गलत काम करने के लिए सजा दी गई है सस्पेंड किया गया है नौकरी से अलग भी किया गया है। बहुत से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे अच्छा काम होने जा रहा है जो आप लोगों ने अच्छे सुझाव दिये हैं . . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो कर्मचारी तीन-तीन और चार-चार साल से सस्पेन्ड पड़े हैं, उनको आप लेने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो लोग निगम को बराबर घाटा देते हैं, चोरी करते हैं उनको बहाल कर दिया जाता रहा है, इस मनोवृत्ति को अब से हम सख्ती से रोकना चाहते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। वह या तो चोरी करें जाकर या सही काम करें। इन लोगों के बारे में हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार करने वाले जो आदमी हैं, उनको बसने की जरूरत नहीं है। किसी को बख्शा नहीं जायेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। भविष्य में जो सुविधा आप निगम से चाहते हैं वह आपको मिलेगी। जो कठिनाई हमने रखी है, नई बसों के आने से वह दूर हो जायेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। अब मैं अग्निहोत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उनके कहने से लगता है कि वह जोरों से कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के ए० आर० एम० ने जो यह कहा है कि मंत्री लोगों के साथ लफंगे और ठलुआ रहते हैं, जिसके बारे में मैंने लिखकर भी दिया है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अग्निहोत्री जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,33,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं जिनमें से 6 सूचनायें जो सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राजेन्द्र अग्निहोत्री, जटा शंकर सिंह, हरिवंश सहाय, प्रदीप कुमार यादव, ऊदल आदि की गत 19 मार्च, 1981 को मिर्जापुर जिले के रिहन्द बांध में नाव डूबने से लगभग 70 व्यक्तियों के मरने के सम्बन्ध में हैं । यह वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुयी हैं शेष सभी अन्य सूचनायें अस्वीकृत हुयी हैं ।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, श्रीमती गौरी देवी वाले मसले पर माननीय मंत्री जी ने 5 बजे कुछ कहने के लिए कहा था । उनका वक्तव्य दिला दीजिए ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, कल आपने आज्ञा दी थी। 30 तारीख तक यह सूचना आपके समक्ष रख दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आज 5 बजे के लिए कहा गया था। स्वयं संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आज इसके सम्बन्ध में हम 5 बजे सूचना दे देंगे।

श्री लोकपति--

आपके आदेशानुसार जो कार्यवाही अब तक की गयी है उसके बारे में मैं सदन को सूचना दे रहा हूं। कमिश्नर को कल ही इत्तिला दी गयी। वे बस्ती में हैं। आज टेलेक्स दे दिया गया है और 3 दिन के अन्दर उनकी रिपोर्ट मांग ली गयी है। और जैसा कि कल आपने पत्र में आदेश दिया है 30 तारीख के पूर्व ही वह सूचना पेश कर दी जायेगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने से कतिपय छात्रों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

12 मार्च 1981 को लगभग 11 बजे दिन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के छात्र जब क्लास समाप्त होने पर बाहर निकले हुए थे तब श्री अजय कुमार सिंह, जो एम0 ए0 प्रथम वर्ष के छात्र हैं, को आठ-नौ छात्रों ने मारना पीटना शुरू किया। जब श्री सिंह के सहपाठियों ने बीच बचाव की कोशिश की तब एक अभियुक्त ने श्री सिंह पर तमन्चा निकाल कर फायर किया लेकिन श्री सिंह बच गये परन्तु चार अन्य छात्र घायल हो गये। घटना के उपरान्त सभी अभियुक्त भागने में सफल हो गये। श्री अजय कुमार सिंह द्वारा सूचना दिये जाने पर उसी दिन धारा 147/148/307/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना कर्नलगंज में चार नामजद व चार-पांच अज्ञात छात्रों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभी तक दो अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह घटना छात्रगण की आपसी रंजिश के कारण हुई प्रतीत होती है। विश्वविद्यालय परिसर में तनाव अथवा असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है और पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री मोहन सिंह--

जब कभी श्रीमन्, विश्वविद्यालय के परिसर में इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो दो तरह की कार्यवाही की जाती है एक तो पुलिस के द्वारा और दूसरी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। दो छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें संयोग से एक विश्वविद्यालय यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुशासन बनाये रखने के लये विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने क्या

[श्री मोहन सिंह—]

कार्यवाही की है क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र संघ ने भी प्रदर्शन किया है और यह कहा है कि यह घटना हम लोगों को कलंकित करने वाली है ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है, हम कोई निर्देश कार्यवाही करने के लिए नहीं दे सकते । लेकिन सरकार उनसे यह अपेक्षा करती है कि वे कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोहन सिंह—

अभी तक किसी कार्यवाही के होने की सरकार को जानकारी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अभी तक कोई सूचना नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने बताया है कि दो छात्र गिरफ्तार हुये हैं बाकी अभी नहीं हुये हैं और उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है । कुछ सरेन्डर भी करने वाले हैं । तो इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

एक मुलजिम ने सरेन्डर करने के लिए 17 तारीख को न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया था, पर अभी तक सरेन्डर नहीं किया । एस० पी० गोस्वामी हैं वे उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही कर रहे हैं । और कोई सूचना सरेन्डर आदि की अभी इस समय मेरे पास नहीं है ।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा का शिक्षकों द्वारा बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय सदस्य श्री हरिवंश सहाय एवं माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना—26 मार्च, 1981 से प्रारम्भ होने वाली हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षाओं का शिक्षकों से द्वारा बहिष्कार के सम्बन्ध में मुझे इस माननीय सदन को सूचित करते हुये हर्ष है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के फलस्वरूप शिक्षकों ने परीक्षा-कार्य के बहिष्कार का नोटिस वापस ले लिया है और अब परीक्षाएं 26 मार्च, 1981 से शिक्षकों के पूर्ण सहयोग के साथ सम्पादित होंगी ।

मैं इस अवसर पर जो बातचीत के मुख्य निष्कर्ष निकले हैं, उनके बारे में माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगी ।

माध्यमिक शिक्षक संघ की यह बहुत अर्से से मांग रही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय । इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम शासन ने 1980-81 में उठाया है और शिक्षा विभाग के अनुदान के ऊपर बहस के दौरान शासन की ओर

से यह घोषणा की गयी थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जायेगा। इस निर्णय का सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया है।

मध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा--9(4) के प्रयोग पर शासन की यह नीति है कि इसका इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थितियों में ही किया जाय। सामान्य स्थितियों में धारा--9(3) के अन्तर्गत परिषद् को सम्बोधित करना और उसकी संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्णय लेना उपयुक्त होगा।

स्नातक योग्यताधारी सी0 टी0 वेतन-क्रम के शिक्षकों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षकत्व को छोड़कर अन्य पारिश्रमिक कार्य इन अध्यापकों को दिया जाय।

कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की गयी है और उनको अब 5 रु0 प्रति पाली के बजाय 6 रु0 प्रति पाली दिया जायेगा। आन्तरिक एवं बाह्य कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक दरों में समानता लाई जा चुकी है।

1981 की परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर सह केन्द्र-व्यवस्थापकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

बातचीत के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान असामयिक मृत्यु की दशा में उनके पाल्यों में से एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार सेवा में लिया जायेगा। इसके लिए अधिनियम/विनियमों के प्राविधानों में संशोधन करने की आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

भाषाओं के प्रश्न-पत्रों की संख्या को घटाये जाने तथा गणित के प्रश्न-पत्रों की सीमा-अवधि को घटाये जाने के विषय में विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि धारा--9(4) के अन्तर्गत किये गये आदेश 1982 और आगे होने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में निरस्त किये जायेंगे तथा परिषद् की संस्तुति प्राप्त करके इस विषय में निर्णय लिया जायेगा।

परीक्षाओं में कम्प्यूटर के प्रयोग तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अतिरिक्त अन्य परीक्षा संस्थाओं से सम्बद्धता के विषय में शासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण पर विचार किया जायेगा।

मैं शिक्षकों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के महत्व और जनहित को दृष्टि में रखते हुए परीक्षाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में अपना पूर्ण सहयोग देने का निर्णय लिया है। मैं आशा करती हूं कि सभी वर्गों के सहयोग से परीक्षायें भली भांति सम्पन्न होंगी।

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय हरिवंश सहाय जी कुछ बाकी रह गया? जो आपने पूछा था वह तो सब वक्तव्य में आ गया है।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या कल बातचीत के दौर में यह भी तय हुआ था कि अध्यापकों के आश्रितों को उनके निधन के बाद पारिवारिक पेंशन दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, वे अध्यापक जिनकी पूर्ण आयु के पूर्व ही मृत्यु हो जाय, उन अध्यापकों के आश्रितों को फेमिली पेंशन देने के सम्बन्ध में जो बात है, वह शासन के विचाराधीन है। लेकिन जब तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक अध्यापक कल्याण कोष जो है, उससे मैं अधिक से अधिक सब टीचर्स की फेमिलीज को सहायता देने का प्रयास करूंगी।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण माननीया मन्त्री जी कब तक करा देंगी ? यह भी एक मुख्य मांग रही है शिक्षकों की। राष्ट्रीयकरण करने में सरकार क्यों भाग रही है ?

श्री अध्यक्ष —

यह तो इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

तो मान्यवर, माननीया मन्त्री जी यही बता दें कि शिक्षकों की मांगें क्या रही हैं, जिस पर समझौता कल हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, एक महान यज्ञ होने जा रहा है ....

(हंसी)

हंसिए मत, इस यज्ञ में जो 12 लाख बच्चे अपनी परीक्षा देंगे हाई स्कूल और इन्टर की उसमें आपके भी बच्चे हैं और वहां के भी बच्चे हैं।

एक सदस्य—

और आपके।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं तो बच्चों की नानी हूं ही। इन 12 लाख बच्चों की बूढ़ी खूसट नानी। तो मान्यवर, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आयी हूं और आप के माध्यम से जितने भी सदन के माननीय सदस्य हैं चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के उनका आशीर्वाद लेने आयी हूं कि मेरे बच्चों का यज्ञ, यह परीक्षा सफलता पूर्वक सम्पन्न हो जाय।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीया मन्त्री जी ने अध्यापकों के प्रतिनिधियों से बात करके 12 लाख बच्चों के इन्ट्रेस्ट में कुछ फैसला कर लिया, तो क्या माननीया मन्त्री जी की उन नेताओं से बात हुई कि वे इम्तहान के समय पर प्रेशर डालने की कोशिश न करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह जो हमारी वार्ता हुई है, यह जो पाइण्ट्स हैं, वह कई महीनों से इसके ऊपर बहस चल रही थी और कई सालों से यह बातें चल रही थीं और मांगें पेश की जा रही थीं और उनको हम धीरे-धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 12 लाख बच्चों के हित का ध्यान हमें है तो उन 12 लाख बच्चों के गुरुजनों के हित का भी ध्यान रखना हमारा फर्ज है।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
24 मार्च, 1981

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अवध पत्रकार महासंघ

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 748 पर]

माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ के मांगों की सूची

1—गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घबरिया साथ आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर द्वारा मांगी गई आख्या एवं संस्तुति अविलम्ब भेजी जाय।

2—ग्राम समाज इन्टर कालेज, जयनगर, आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध वेतन-वितरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

3—प्रवक्ता वेतन क्रम के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान एवं भिवर्तमान पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में जो निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त हुये हैं अब तक उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

4—श्री केदार नाथ इन्टर कालेज, टेघना, आजमगढ़ के श्री वली मुहम्मद हरिशंकर शाही, श्री राम दवन, श्री राम विजय पाण्डे, श्री जनार्दन उपाध्याय तथा श्री रामाश्रय दुबे, सहायक अध्यापक के वेतन से अनिवार्य बचत के अन्तर्गत काटा गया पैसा वापस कराया जाय तथा विद्यालयों का दुरुपयोग रोका जाय।

5—श्री राम दरस सिंह, सहायक अध्यापक तथा श्री विजय बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, कला की सेवायें विनियमित करने का प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लम्बित है। शीघ्र कार्यवाही की जाय।

6—टाउन इण्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना के प्रधानाचार्य पद रिक्त होने के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रवक्ता, श्री के0 के0 पाण्डेय को अविलम्ब प्रधानाचार्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाय।

7—श्री जगदीश सिंह, (प्रवक्ता भौतिक शास्त्र,) शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबारी के मामले में बुक बैंक एवं अभिलेख प्राप्त कर भुगतान की व्यवस्था की जाय।

8—श्री मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज, राम नगर के प्रधानाचार्य पद पर श्री नागेश्वर लाल को ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाना विधि संगत होगा।

9—जे0 एम0 के0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरी डीह के प्रबन्धक के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत की जाय।

10—डाक्टर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध 6(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

11—शान्ता नन्द स्वतंत्र भारत इन्टर कालेज, अमिला द्वारा प्रस्तुत पद सृजन के प्रकरण में तीव्रता की जाय।

12—श्री राम रेवा, परिचारक, सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीमवर की सेवा विनियमतीकरण के प्रकरण में तीव्रता की जाय।

13—श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ के वेतन निर्धारण के संशोधन के प्रकरण में शीघ्रता की जाय।

14—टाउन इन्टर कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना में सेलेक्शन ग्रेड का प्रकरण शीघ्र निस्तारित किया जाय अथवा प्रबन्धाधिकरण कार्यवाही की जाय।

15—श्री राम शब्द सिंह, सहायक अध्यापक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उंविहा का वेतन अनियमित रूप से काट दिया गया है, शीघ्र भुगतान अपेक्षित है।

16—श्री नृपति यादव, सहायक अध्यापक, श्री परमहंस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवपुर, हनुमाननगर की पदोन्नति के प्रकरण में शीघ्रता की जाय।

17—श्री परमेश्वर सिंह, सहायक अध्यापक, वि0 उ0 मा0 वि0, कोरौली के कटे वेतन का शीघ्र भुगतान कराया जाय।

18—श्री सूर्यनाथ हंस बनदेवी इन्टर कालेज, कहिनौर की नियुक्ति जनवरी, 1980 में की गई प्रबन्धाधिकरण द्वारा भी नियुक्ति का वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाय।

19—श्री राम अवध सिंह की नियुक्ति वैकल्पिक शिक्षक के रूप में लोक शिक्षा परिषद् इन्टर कालेज, सरदहा, आजमगढ़ में तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार की गई थी उनकी सेवा अविरल चल रही है किन्तु वेतन का भुगतान नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में सी0 टी0 वेतन क्रम पद पर चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की जाय।

20—विकट्टी इन्टर कालेज, आजमगढ़ के शिक्षकों को पदोन्नति के प्रस्ताव पर बात करने का अवसर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 776 पर)

शिकायतों की सूची

1—अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का अनियमित रूप से स्थानान्तरण कर धन कमाना ।

2—जनपद के 2% विद्यालयों में ही टाट-पट्टी, कोटा, बाल्टी, रस्सी, श्यामपट, मेज-कुर्सी एवं विज्ञान सामग्री की व्यवस्था वर्गवाद के आधार पर करना ।

3—अवकाश प्राप्त अध्यापकों को भविष्य निधि का भुगतान न करना ।

4—समय से शिक्षकों का वेतन-वितरण न करना ।

—कक्षा 8 के प्रमाण-पत्रों का न देना ।

6—अध्यापकों के अवशेष वेतन का भुगतान न करना ।

7—शिक्षकों की कोई वरिष्ठता सूची न रखना और उनकी मनमाने ढंग से पदोन्नति करना ।

8—भू0 पू0 प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री तथा 2-3 शिक्षकों एवं 5-6 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का एक गैंग बनाकर स्वार्थपूर्ति करना ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 788 पर)

गोरखपुर मंडल में दिनांक 1-6-80 से 31-1-81 तक पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों का विवरण--

जनपद	थाना	तारीख	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
गोरखपुर	चौरीचौरा	6-11-80	1
	चौरीचौरा	17/18-11-80	1
	पिपराइच	10/11-9-80	2
	पिपराइच	1/2-10-80	1
	पिपराइच	1/2-11-80	3
	श्यामदेउरवा	27-8-80	1
	श्यामदेउरवा	28-8-80	1
	पुन्दरपुर	11-11-80	1
	पुन्दरपुर	6-9-80	2
	निचलौल	15-11-80	2
	राजघाट	15-11-80	1
	पीपीगंज	..	1
	कम्पियरगंज	21/22-8-80	1
	खोराबार	12/13-11-80	3
	महाराजगंज	14-12-80	1
	घुघली	15-9-80	1
	फरेन्दा	22-1-80	2
	श्यामदेउरवा	30/31-1-81	1
बस्ती	मेंहदावल	19/20-6-80	1
	दुधारा	6/7-7-80	1
	लालगंज	11-12-8-0	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
बस्ती	खलीलाबाद	25–9–80	2
	परशुरामपुर	6/7–11–80	1
	कप्तानगंज	16–12–80	1
	दुधारा	2/3–1–81	1
आजमगढ़	कोतवाली	5–6–80	1
	कोतवाली	30–7–80	1
	कोतवाली	21–11–80	2
	कोतवाली	29–11–80	2
	चौकीफूलपुर अहिरौली	25/26–9–80	1
	कन्धरापुर	4/5–9–80	1
	निजामाबाद	5/6–9–80	2
	निजामाबाद	24/25–1–81	1
	मुबारकपुर	22/23–12–80	1
	देवगांव	23/24–12–80	1
	मेहनगर	5/6–12–80	2
देवरिया	बनकटा	10/11–6–80	1
	रामपुर कारखाना	18/20–6–80	1
	खामपार	21/22–6–80	1
	भटनी	30–6–80	1
	सलेमपुर	6/7–7–80	1
	कप्तानगंज	13–14–7–80	2
	खुखुन्दू	3/4–7–80	1
	पटहेरवा	11/12–6–80	1
	बरहज	26/27–8–80	1
	कोतवाली	3/4–9–80	1
	हाटा	5/6–9–80	1
	तुर्कपट्टी	19/20–9–80	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
देवरिया	खुखुन्दू	24/25-9-80	1
	विशुनपुरा	29/30-9-80	1
	पडरौना	1/2-10-80	1
	सलेमपुर	2/3-10-80	2
	खड्डा	3/4-10-80	1
	नेबुआ नौरंगिया	4/5-10-80	1
	तरैया सुजान	5/6-10-80	2
	बनकटा	6/7-10-80	1
	बरहज	7/8-10-80	1
	कप्तानगंज	9/10-10-80	1
	कोतवाली	18-10-80	1
	तरया सुजान	23-11-80	1
	कप्तानगंज	28/29-11-80	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 798 पर)

कानपुर देहात जिले का तहसीलवार स्कूल विवरण—

तहसील		संख्या	स्थान जहां पर विद्यालय स्थित है
1—कानपुर	इन्टर	3	मन्धना, नर्वल, साढ़ ।
	हाई स्कूल	5	बिठूर, मझावन, प्रेमपुर, सरसौल, जामू ।
2—घाटमपुर	इन्टर	3	घाटमपुर (2), कौरियां ।
	हाई स्कूल	8	असघना, भदवारा, भीतरगांव, कुआं खेड़ा, गिरसी मिलकिनपुर, धरमंगदपुर, रवाईपुर ।
3—भोगनीपुर	इन्टर	10	मसानगर, पुखरायां, बरौर, मुहम्मदपुर, नोनापुर, रसधान, राजपुर, बधौली, सिकन्दरा ।
	हाई स्कूल	9	पुखरायां, डोभा, सुजौर, शाहिजहांपुर, अमरोधा, हासमऊ, शेरपुर गुढ़ा, शेखपुर, अमरोधा, कल्ली ।
4—डेरापुर	इन्टर	6	गलवापुर, कठारा, झींझक, औरंगाबाद, प्रयागपुर, खानपुर, कन्धौसी ।
	हाई स्कूल	6	झींझक (2) रसूलाबाद, कोरूफरहदपुर, नोनारी, चिलौली ।
5—अकबरपुर	इन्टर	6	अकबरपुर, रूरा, (2) शिवली, काशीपुर, रंजीतपुर ।
	हाई स्कूल	7	गौरियापुर, बाढ़ापुर, (2) शोमन, भेवान, बाघपुर, जिन्दौरा, गजनेर ।
6—बिल्हौर	इन्टर	5	बिल्हौर (2), अरौल (2), बैरी शिवराजपुर ।
	हाई स्कूल	8	चौबेपुर, पूरा, मकनपुर, अरौल, ककवन, पिहानी, सैक्सू, कुर्सी खेड़ा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपरोक्त विद्यालयों में से ऐसे विद्यालयों के नाम जिनमें इन्टर कक्षाओं में विज्ञान/वाणिज्य पढ़ाया जाता है तथा विज्ञान/वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

विद्यालय का नाम	इन्टर कक्षाओं की छात्रों की संख्या	
	विज्ञान	वाणिज्य
1—बी0 पी0 एम0 जी0 इं0 का0, मथरना	202	228
2—भास्करानन्द इं0 का0, नवल	28	98
1—श्री गांधी विद्यापीठ इं0 का0, घाटमपुर	114	166
2—श्री आस्तिकमुनि इं0 का0, कोरियां	82	129
1—श्री रामस्वरूप ग्रामोद्योग इं0 का0, पुखरायां	118	129
2—पटेल विद्यापीठ इं0 का0, बरौर	142	..
3—नोनापुर इं0 का0, नोनापुर	40	..
4—श्री विकास इं0 का0, बघौली	106	..
1—गलुवापुर इं0 का0, गलुवापुर	115	..
2—श्री गांधी विद्यालय इं0 का0, झींझक	43	..
3—राम सहाय इं0 का0, बैरी शिवराजपुर	..	353
1—अकबरपुर इं0 का0, अकबरपुर	208	173
2—आर0 पी0 एस0 इं0 का0, रूरा	90	79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 802 पर)

सूची I

मुरादाबाद जनपद के उन व्यक्तियों के नाम जो गिरफ्तारी के उपरान्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से छोड़ दिए गए :

1— श्री मोहम्मद यासीन उर्फ हाजी नन्हे
2— ,, सतीश चन्द्र नरुला
3— ,, शब्बन हुसेन खां
4— ,, मुनव्वर
5— ,, डा0 शमीम अहमद
6— ,, असफाक हुसैन अंसारी
7— ,, डा0 गयूर अहमद
8— ,, प्रेम शंकर
9— ,, फकीर मोहम्मद
10— ,, मिर्जा मोहम्मद अतलम बेग
11— ,, काजी नुसरत हुसन
12— ,, देश राज मेहरोत्रा
13— ,, कैलाश कुमार
14— ,, चिम्मन लाल
15— ,, नूतन विजय
16— ,, उस्मान अहमद खां
17— ,, हंस राज चोपड़ा
18— ,, श्याम मोहन
19— ,, अशोक प्रसाद सिंह

सूची—II

मुरादाबाद जनपद के उन व्यक्तियों के नाम जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे और अभी बन्दी हैं।

1— श्री अनिल उर्फ लल्लू
2— ,, गोपाली

3--श्री हामिद हुसैन खां उर्फ अज्जी

4-- ,, महबूब हुसैन

5-- ,, मौलाना रईस अशरफ

6-- ,, अजीउद्दीन

7-- ,, मुख्तार अहमद

8-- ,, सैयद इकबाल हुसैन जाफरी

9-- ,, गुलफाम

10-- ,, मशकूर उर्फ एहसान

11-- ,, अनिल कुमार उर्फ गुरु

12-- ,, डा0 अथर अली

सूची-III

जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए शिक्षित व्यक्तियों को 'बी' क्लास जेल न देने का कारण

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी (निरुद्ध करने की शर्तें), आदेश, 1980 के नियम 4 के अनुसार किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बंदी को सामान्यतया साधारण श्रेणी में रखा जाएगा, जब तक कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी या उस जिले में, जहां वह तत्समय निरुद्ध हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध दोष व्यक्तियों के वर्गीकरण सम्बन्धित जेल मैनुअल में दिए गए उपबन्धों के अनुसार उच्चतर श्रेणी में अन्यथा वर्गीकृत न किया जाय। उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को सामान्यतया साधारण श्रेणी में रखा जायगा अथवा उसको उच्च श्रेणी देने के प्रश्न पर जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार निर्णय लेना होगा। जेल मैनुअल के प्रस्तर 280 (2) में यह प्राविधान है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाय कि बन्दी की शिक्षा, उसका चरित्र और पूर्ववृत्त, किए गए अपराध का प्रकार और उसे करने के उद्देश्य इस बात का औचित्य सिद्ध करते हैं कि उसे उच्च श्रेणी दी जाय तो वह स्वप्रेरणा से उच्च श्रेणी दे सकता है। उक्त प्रस्तर के उपबन्ध (4) में इस बात का प्राविधान है कि राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश पर, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे इसी तरह किसी बन्दी को उच्च श्रेणी दे सकती है यदि उसको यह समाधान हो जाय कि उसकी शिक्षा, उसका चरित्र और पूर्ववृत्त किए गए अपराध का प्रकार और उसे करने के उद्देश्य, उसका औचित्य सिद्ध करते हैं। अतः केवल उच्च शिक्षा के आधार पर ही उच्च श्रेणी नहीं प्रदान की जाती है।

पी0एस0यू0पी0—45 विधान सभा—24-8-82—835—(पी0डी0)